हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1984

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 14 मार्च, 1984

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(3)21

अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)25
विभिन्न विशयौं का उठाया जाना	(3)31
वाक आउट	
वक्तव्य –	(3)40
सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा राज्य में बिजली आदि की कम सप्लाई संबंधी	(3)40
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव	(3)51
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा	(3)60
बैठक का समय बढाना	(3)78
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)78
बैठक का समय बढाना	(3)80
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)81
बैठक का समय बढाना	(3)85
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)85
	(3)88
अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)88

हरियाणा विधान सभा,

बुधवार, 14 मार्च, 1984

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Road Links for Non-Directory Villages

***559. Ch. Phool Chand:** Will the Chief Minister, be pleased to state-

(a) whether all the Non-Direcotry villages in Mullana Constituency, having a population of more than 250, have been linked with metalled roads; and

(b) if not, the time by which such villages are likely to be linked with metalled roads ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी नहीं

(ख) सातवीं पंच वर्शीय योजना के अवधीकाल में अर्थात 1985–90।

चौधरी फूल चन्दः मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि सड़कों से सभी नान डायरैक्टरी विलेजित नहीं जुडे हुए हैं और यह कहा है कि हम 7वीं पंचवर्शीय योजना में इनको जोडेंगें। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने ऐसे गांव हैं जिनमें अभी सड़कें बननी है और उनमें से कितने पांचवीं पंचवर्शीय योजना में बनाये गये हैं और कितने छठी पंचवर्शीय योजना में बनाये जा रहे हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुलाना हल्के में सिर्फ दो गांव ऐसे हैं जिनकी एंट्री रिकार्ड में नहीं है यानि जो नान डायरैक्टरी विलेजिज हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुलाना हल्के में पिछले चार साल में हमने ज्यादा से ज्यादा सडकें बनाई हैं। तकरीबन 40.2 किलोमीटर सडक हमने अकेले मुलाना हल्के में बनाई हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना समय बीत गया है जब से रैवेन्यू रिवाईज नहीं, कराया गया है ?

चौधरी भजन लालः बहिन जी, यह रैवेन्यू रिकार्ड रिवाईज कराने का सवाल नहीं है। यह सवाल तो मुलाना हल्के में सडकों का है। (व्यवधान व भज्ञोर)

श्रीमती चन्द्रावतीः मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रैवेन्यू रिकार्ड में पहले माजरे व ढानियां थीं, वह अब बडे बडे गांव बने गये हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि उस रैवेन्यू रिकार्ड को

अब तक रिवाईज क्यों नहीं किया गया और इसको रिवाईज किये हुए कितने साल हो गये हैं ? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः बहिन जी, आप तो लाइयर हैं, लीगल माईंडिड भी है। रैवेन्यू रिकार्ड कोई ऐसी चीज तो हैं नहीं जिसे हर 6 महीने बाद रिवाईज किया जाता है (व्यवधान व भाोर)

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, ऐसे इलाके जो सब मांटेनीयस हैं या पहाडी इलाके हैं जैसे कालका, नारायणगढ, छछरौली और जगाधरी हल्के का कुछ हिस्सा है, यहां पर सडकें बनाने के लिये 250 की आबादी की बजाये 125 की आबादी का क्राइटेरिया बनाया हुआ है। क्या ऐसे इलाके के गांवों को सड़कों से जोडने की कोई स्कीम विचाराधीन या जेरे तजवीज है ताकि अन गांवों के लोगों को भी सुविधा हो सके ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि कई ऐसे पहाडी इलाके हैं जिनमें गांव की आबादी 150 से कम है और ऐसे तकरीबन 6 ही गांव हैं इनके अलावा कुछ खादर के एरिया के गांव हैं जिनकी आबादी 250 से भी कम है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन गांवौं को भी सडक की सुविधा प्रदान की जाये। ज्यों ही पैसा उपलब्ध होगा, हम इन गांवौं को सडकों से जोडने की कोि ा ा करेंगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 1985 से 1990 के बीच यह सडकें बनेंगी और यह

भी जवाब दिया है कि कुल दो सडकें गांवों को जोडने के लिये बननी हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन दो सडकों को बनाने के लिए 5 साल लगेंगे। क्या इतनी जल्दी काम इसलिये तो नहीं किया जायेगा कि मेरे भाई श्री फूल चन्द जी आजकल इनसे नाराज हैं और उनको सजा देने की नीयत से इतना समय लगाया जायेगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि सातवीं पंच वर्शीय योजना से यह सडकें भाामिल कर ली गयी हैं। मैं टोटल सडकों की बात बता रहा हूं कि ये सातवीं पंच वर्शीय योजना में बन जायेंगी। ऐसे गांव जिनकी आबादी अढाई सौ से कम है और जो नान डायरैक्टरी विलेजिज हैं, उनके ऊपर सड़कें बनाने का काम सातवीं पंच वर्शीय योजना में भाुरू हो जायेगा जो पहली अप्रैल 1989 से भाुरू हो जायेगा। हो सकता है कि इन गांवों की सडकें 1985 से भाुरू होते ही बन जायें।

चौधरी धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे बादली हल्के में एक नगरपुर गांव है जिसकी आबादी एक हजार के लगभग हैं, वहां पर केवल डेढ किलोमीटर का टोटा बनना बाकी है उस सडक को कब तक बना दिया जायेगा ? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लालः यह सवाल तो मुलाना हल्के का है।

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब तक उनकी नौलेज में किने ऐसे माजरे या ढानियां हैं जिनको अभी पक्की सडक से जोडा जाना बाकी है ?

चौधरी भजन लालः 445 है।

श्री फतेह चन्द विजः मैं मुख्य मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कई कई कांस्टीच्यूएंसीज के गांवों में डबल लिंक्स बन गये हैं लेकिन कई ढानियां और माजरे ऐसे हैं जो काफी बडे बडे गांव बन चूके हैं लेकिन उनमें अभी तक डबल लिंक्स नहीं बनाए गए हैं, इसका क्या कारण है ? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आप तो बडे पुराने लैजिस्लेटर हैं This question is only for Mullana constituency. (व्यवधान व भाोर)

चौधरी बलीबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पी0डब्ल्यू0डी0 का जो बजट है, उसको खर्च करते समय प्रदे ा के 90 हल्कों का यकसां ख्याल रखा जाता है ? बजट के खर्च करने का जो क्राइटेरिया है, क्या उसमें पोलीटिकल रोजन्ज की बिना पर कोई भेदभाव तो नहीं करते ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अपोजी ान के माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि

हमने फैसला किया था कि सारे हरियाणा प्रान्त के हर गांव को पक्की सडक से मिलाना है। चाहे वह अपोजी ान के सदस्य का हल्का है, चाहे किसी दूसरे सदस्य का हल्का है, हमने सबको एटपार ट्रीट किया है। अब प्रांत कें कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसको पक्की सडक से न जोडा गया हो। जैसे मैंने बताया है, 445 गांव ऐसे हैं जो खादर के एरिया के गांव हैं या जिनकी आबादी अढाई सौ से कम है। चाहे किसी भी भाई का हल्का था, हमने सब हल्कों के गांवों को पक्की सडकों से मिला दिया है।

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा है कि मेरे यहां केवल दो ही नान डायरैक्टरी विलेजिज हैं, जहां पर सडकें बननी भोश हैं। गांव बहुत हैं, मैं इनको नाम गिनवा सकता हूं। कम्बोह माजरी, धीन माजरा या धीन टपरियां, सरदाहेडी टपरिया, गंगनपुर टपरियां, ब्राह्मण माजरा, रामपुर माजरा और इसके अलावा भाायद एक दो और गांव भी ऐसे होंगे जिनमें अभी सडकें बननी हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय सडकें बनाने से पहले जल्दी ही वहां पर दोबारा सर्वे करवाने की चेश्टा करेंगे।

चौधरी भजन लालः जो बात मेरे नोटिस में आयी है, वह मैंने बता दी है। एक गांव कम्बोह माजरा और दूसरा धीन माजरा है। उसको धीन टपरियां भी कहते हैं। एक जगह 2.40 किलोमीटर सडक बननी है और दूसरी जगह 1.30 किलोमीटर सडक बननी है। जहां तक सदस्य ने बाकी गांवों के बारे में कहा

है, हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर उनकी भी जरूरत हुई तो हम उनको भी भाामिल कर लेंगे।

Workshop for repairing Transformers

***595. Sh. Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any work shop for the repair of transformers is proposed to be set up in District Mohindergarh; and

(b) if so, the name of the place of location thereof togetherwith the criteria, if any, kept in view in making selection for the said location ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) No.

(b) Upto the year 1982-83 there were 3 workshops for the repair of transformers in the State i.e. Dhulkot, Hissar and Faridabad. Keeping in view the need tow more workshops, one at Karnal and another at Sonepat were opened during 1983.

Density of transformer population/availability of infrastructure facilities etc. are the criteria for location of the workshop.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, सुरजेवाला साहब ने बताया कि महेन्द्रगढ में ट्रांसफार्मर्ज रिपेयर के लिये कोई वर्क ाप खोलने की प्रपोजल नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रांनसफार्मर्ज की तादाद और इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्क ाप खोली जा रही हैं। मेरा उनसे सवाल यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महेन्द्रगढ जिला जिसमें 6000 से भी ज्यादा ट्रांन्सफार्मर्ज हैं जो भाायद बहुत से जिलों से ज्यादा होंगे तथा और भी चीजें हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महेन्द्रगढ जिले में नई वर्क ाप खोलते वक्त कोई पक्षपात तो नहीं करेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: मैंने यह नहीं कहा है कि हम खोलने जा रहे हैं। जैसे जैसे जरूरत और फाइनांसिज परमिट करेंगे, हम और वर्क ाप जरूर खोलंगे। जहां तक सोनीपत, करनाल और दूसरी जगहों पर वर्क ाप खोलने का सम्बंध है, वहां पर हमने इसलिये खोली हैं क्योंकि करनाल जिले में ट्रांसफार्मर्ज की संख्या सबसे ज्यादा है। सोनीपत का एरिया ऐसा है, जहां पर दूसरी इन्फ्रास्ट्रक्चरज फैसिलिटीज मौजूद हैं। वर्क ाप भौडज हैं और बिल्डिंग अवेलेबल हैं। महेन्द्रगढ जिले में ट्रांसफार्मर्ज की संख्या काफी कम है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की मांग को देखते हुए सरकार जब नयी वर्क ाप खोलेगी तो वह इन एरियाज में होगी, जैसे रोहतक, महेन्द्रगढ और भिवानी

का एरिया है। एग्जैक्ट कहां लोकेट होगी, यह इस वक्त मैं नहीं कह सकता।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने वर्क ाप लोकेट करने के लिए क्राइटैरिया बताया है। हरियाणा में बारह जिले हैं क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनमें किस किस जगह कितने कितने ट्रांसफार्मर्ज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्ज किस किस जिले में हैं और क्या महेन्द्रगढ डिस्ट्रिक्ट उनमें कवर नहीं होता है ?

श्री अध्यक्षः ट्रांसफार्मर्ज कितने कितने हैं, यह तो इस क्वै चन में कवर नहीं होता। बेसिक क्वै चन तो वर्क ाप के बारे में हैं

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, जब सप्लीमैंटरी का जवाब देते हैं और उसके जवाब से कोई सवाल पैदा होता है तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं प्र न पूंछूं।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब ने दो सवाल पूछे हैं पहला तो यह है कि बारह जिलों में से हरेक में कितने कितने ट्रांसफारमर्ज हैं और दूसरा यह कि कहां कहां इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेट किए हैं अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में टोटल ट्रांसफारमर्ज करीब चालीस हजार हैं। आप जानते हैं कि बिजली बोर्ड के आर्गेनाइजे ान की तकसीम डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं होती। कई डिस्ट्रिक्टस इसमें कवर होते हैं। डिस्ट्रिक्टवाईज कोई

इंफरमे ान मेरे पास नहीं है। और न ही इसमें इंफरमे ान मांगी गई है। ट्रांसफार्मर वर्क ाौप जो आलरेडी 1983 में सैट अप किए हैं वे सोनीपत और करनाल में किए हैं जहां हमने नए वर्क ााप खोले हैं वर्क ाौप ऐसी जगह खोलते हैं जहां ट्रांसफार्मर्ज की तादाद ज्यादा हो, एस0ई का सर्कल हो और जगह से ज्यादउा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हों, दफ्तर हो और टैक्नीकल एडवाईस अवेलेबल हो। ये चीजें यहां पर और जगहों से ज्यादा मौजूद थी।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ और भिवानी जिले रेतीले हैं और वहां पर इरिगे ान टयूबवैल्ज से होती हैं। अगर टयूबवैल की मोटर जल जाती है तो फसल बरबाद हो जाती हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या भिवानी और महेन्द्रगढ जिलो की वर्क ााप खोलने में प्रायरिटी दी जाएगी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, पिछले महीनों में एच0एस0ई0बी0 ने ट्रांसफारमर रिपेयर की क्षमता काफी बढा ली है। पहले अगर कोई ट्रांसफारमर जल जाता था तो सात दिन में रिप्लेस कर देते थे। अब लेटेस्ट इंस्ट्रक ान जारी की गई हैं जिनके अनुसार अगर कोई मीटर जल जाती है तो तीन दिन से ज्यादा आईम उसकी रिप्लेसमैंट में नहीं लगना चाहिए, चाहे कितनी ही दूर का इलाका हो। अध्यक्ष महोदय मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब कोई प्रौबलम नहीं है कि ट्रांसफारमर जल जाए और वह रिप्लेस न हो। हम इमिजिएटली रिप्लेस कर देते हैं।

जहां तक भिवानी में वर्क ाप खोलने का सवाल है, महेन्द्रगढ, भिवानी और रोहतक का पूरा इलाका जहां अब कोई ट्रांसफारमर वर्क ाप नहीं है, अगली वर्क ाप उस इलाके में लोकेट करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री निहाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या नारनौल के डिप्टी कमि नर से इस किस्म का कोई रिप्रेजेनटे ान आया है, जिसमें कहा गया है कि हम जमीन देने के लिए तैयार है और दूसरी फैसिलीटीज देने के लिए तैयार है, यहां पर वर्क ाप खोली जाए ? स्पीकर साहब, वहां पर जो ट्रांसफारमर जल जाता है उसको रिपेयर करने के लिए हिसार ले जाना पडता है और रिप्लेसमैंट में काफी समय लग जाता है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः इस बात पर पूरी सहानुभूति से विचार करेंगे। रिप्रेजेनटे ान के बारे में मुझे पता नहीं है, मेरी नोलिज में यह बात नहीं है।

डा0 ओम प्रका ा भार्माः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्क ाप खोलने का क्राइटेरिया क्या है और क्या उस क्राइटेरिया के तहत प्राईवेट सैक्टर को वर्क ाप खोलने के लिए उत्साहित किया जाएगा ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्राईवेट सैक्टर में बहुत सी फैक्टरीज हैं जो ट्रांसफारमर्ज बनाती हैं। जो भी

प्राइवेट कम्पनी वर्क ाप खोलना चाहे हम उसको वैलकम करेंगे। अगर हमारे ट्रांसफारर्म रिपेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा डैमेज होंगे तो हम जरूर बाहर से रिपेयर करवाएंगे।

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों देखा गया है कि ट्रांसफारमर्ज उपलब्ध नहीं हैं। क्या सरकार का ट्रांसफारमर्ज बनाने का कारखाना खोलने का विचार है ?

श्री अध्यक्षः यह क्वै चन बिल्कुल सैपरेट है। क्वै चन वर्क ाप खोलने के बोर में है लेकिन सारे क्वै चंज ट्रांसफारमर्ज के बारे में हो रहे हैं।

श्री ए0सी0 चौधरीः अभी मंत्री जी ने बताया कि कोई जला हुआ ट्रांसफामर अब रिप्लेसमैंट के लिए नहीं है और जब कभी कोई जल जाता है तो फौरन ही रिप्लेस कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि फरीदाबाद एन0आई0टी0 हलके का ट्रांसफार्मर जल गया और करीब पांच बार मैंने एस0ई0 को इस बारे में कहा लेकिन उसने हर बार यह जवाब दिया कि जले हुए ट्रांसफारमर रिपेयर के लिए भेजे हुए हैं, जब रिपेयर हो जाएंगे तो रिप्लेसमैंट कर दी जाएगी। क्या मंत्री महोदय इसकी तहकीकात कराएंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय श्री ए0सी0 चौधरी आज ही लिखकर दे दें कि उस ट्रांसफारमर को जले हुए कितने दिन हो गये हैं मैं कल ही हाउस में इस बात का

जवाब दूंगा कि यह बात ठीक है या नहीं; अगर ठीक है तो इसमें किसका कसूर है, यह हम देखेंगे।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, जले हुए ट्रांसफारमर्ज को रिप्लेस करने में तीन दिन से ज्यादा लगते हैं। (व्यवधान)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, पहले सात दिन लगते थे लेकिन अब नई इंस्ट्रक ांज के अनुसार तीन दिन लगते हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, बीस दिन तो आम बात है। भिवानी, कुरूक्षेत्र और जींद के केसिज तो मेरे नोटिस में हैं, क्या मंत्री जी इस बात की इंक्वायरी करवाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, लोगों को दो दो महीने तक पीने का पानी नहीं मिला।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः आपके नोटिस में तो ..... बातें रहती हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इतने दिन नहीं लगते। आप कभी भी स्पेसिफिक ऐलीगे ांज नहीं लगाती।

श्रीमती चन्द्रावतीः आप इंक्वायरी करवा लें।

चौधरी नर सिंह ढांडाः अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में एक ही ट्रांसफारमर था वह भी जल गया। मैं खुद ही इस बारे में दरखास्त देकर आया और वह ट्रांसफारमर पन्द्रह बीस दिन के बाद रिप्लेस किया गया। इस बीच लोगों को पीने का पानी भी नहीं

मिला। क्या मंत्री महोदय इस बात की इंक्वायरी करवाएंगे कि इतने दिन बाद वह ट्रांसफारर्मर रिप्लेस क्यों किया गया ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर कह रहे हैं कि पन्द्रह दिन में रिप्लेस हुआ लेकिन अगर पता किया जाएगा तो सात दिन ही मिलेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कोई ट्रांसफारमर जल जाता है और गांव वाले उसके बारे में अगर सात दिन तक इतला ही न दें तो इसका हमारे पास क्या इलाज है ?

चौधरी नर सिंह ढांडाः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दरखास्त देने की तारीख मौजूद है। तारीख तो मेरे पास सांगल गांव की भी है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः इसकी जरूर इंक्वायरी करवाऊंगा।

श्री अध्यक्षः आप लिखकर दे दीजिए।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी करवाई जाए। दो दो महीने तक रिप्लेसमैंट नहीं होती।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। हकीकत तो यह है कि यह सवाल महेन्द्रगढ जिले में ट्रांसफारमर्ज रिपेयर वर्क ाप स्थापित करने से संबंधित हैं और आपने यह अच्छा किया कि इस

मामले से संबंधित सभी जिलों के सवालात पूछने के लिए मैम्बर्ज को अलाउ कर दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भिवानी डिस्ट्रक्ट में जितनी भी लिफ्ट इरीगे ान स्कीमज और बापोडा रूरल वाटर सप्लाई स्कीमज के तहत लोगों को गांवों में 50 परसैंट से 60 परसैंट तक पीने का पानी, बिजली की सप्लाई न होने की वजह से रैगुलर नहीं दिया जाता, क्या यह सच है; अगर सचल है तो इसके क्या कारण हैं ? दूसरी बात यह है कि चूंकि नहर का विभाग भी इन्हीं मंत्री जी के पास है और नहर में जब पानी आता है तो ट्रांसफारमर्ज खराब होने की वजह से छोटी माईनर्ज और सब माईनर्ज में दो दो, तीन तीन दिन तक पानी लिफ्ट नहीं किया जाता जिसके कारण गरीब किसानों को काफी नुक्सान होता है। क्या मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखते हुए वहां पर कोई स्पै ाल स्टाफ इस काम के लिये बैठाएंगे ताकि आगे से गरीब किसानों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पडे और पानी मुतवातर मिलता रहे ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मैम्बर साहेबान कोई स्पैसिाफिक इंसटांस बताएं जहां विभाग की नेगलीजैंसी की वजह से ऐसा हुआ हो, हम कार्यवाही करवा देंगे।

री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि आपके जिले के साथ पूरी सहानुभूति बरती जाएगी। एक जिले में कई सर्कल होते हैं महेन्द्रगढ जिले में तीन डिवीजन हैं। एक धारूहेडा, दूसरा रिवाडी और तीसरा नारनौल। नारनौल

डिवीजन में इस वक्त 14 हजार 500 के लगभग टयूबवैल्ज हैं और भाायद इतनी ही संख्या रिवाडी सब डिवीजन की होगी। यदि भौगोलिक दृश्टि से देखा जाए तो नारनौल जिला स्टेट के बिल्कुल कोने में ही पडता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ जिले मैं जो ट्रांसफारमर्ज रिपेयर वर्क ाप लगाने की सरकार की परपोजल हैं, कही बाद में वह इधर उधर तो नहीं जाएगी ? क्या सरकार इस बात का आ वास देगी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के फैसले विधान सभा के अंदर नहीं होते। जो यहां की राय है उसको एच0एस0ई0बी0 ऊंचा सम्मान देती है। इस राय को पूरी तरह मद्देनजर रखते हुए उस पर पूरी डिस्क ान के बाद कार्यवाही की जाती है। उसके बाद जो फैसला होता है, वह दफ्तर में ही होता है। यहां विधान सभा में फाइनल फैसले नहीं किये जाते।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या विचित्र बात है कि हाउस के सैंटीमैंटस से एच0एस0ई0बी0 को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है ? (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। हाउस के जजबात को बिजली बोर्ड की निस्वत ऊंजा दर्जा दिया जाता है। मैंने तो इतना ही कहा है कि डिस्क ान के बाद भोश कार्यवाही दफतर में ही होती है।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बोलते हुए बहन चन्द्रावती जी, जो कि लीडर आफ दी अपोजी ान हैं, को यह कहा कि वे ..... बात करती हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सिम्पल से वे में लीडर आफ दा अपोजी ान को यह कहना भाोभा नहीं देता। इनको चाहिये कि ये लफज विदड्रा करें और साथ में इन अलफाज को एक्सपंज करवाया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है। यह लफ्ज रिकार्ड न किया जाए।

Loans taken by State Government

***556 Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister for Finance be pleased to lay on the floor of the House a statement showing the position of loans obtained by the State Government from various sources, as on 31st December 1983 together with the details about the names of the sources from which and the amount of the loans obtained ?

Finance Minister (Ch. Katar Singh Chhokar): The loans obtained by the State Government from various sources upto 31st December 1983 as per books of Accontant General, Haryana amounted to Rs. 8460792150. The details are given below :-

		Rs.
(i)	Market Loans	1381795750

(ii)	National Cooperative Development Corporation	56307407
(iii)	National Bank for Agriculture and Rural Development	83299648
(iv)	Life Insurance Corporation of India	76492265
(v)	General Insurance Corporation of India	19924000
(vi)	Loans from the State Bank of India and other banks	174000000
(vii)	Ways & Means Advances from R.B.I.	384418000
(viii)	Govt. of India	6284555080

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो इतनी भारी रकम कर्जे के रूप में ले रखी है, उस पर सामान्य कितना ब्याज दिया जा रहा है ? मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री यह है कि इस रकम में से कितना पैसा डिवैल्पमैंटल ऐक्टिविटीज पर और कितना नान डिवैल्पमैंटल ऐक्टिविटीज पर खर्च हुआ है ?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, फराम लून टू लोन इन्ट्रैस्ट का रेट वेरी करता है। अगर ये अलग अलग जानना चाहें तो मैं बता देता हूं। जो कि इस प्रकार है :–

1	मार्किट लोनज पर	पौने 6 से पौने 9 परसैंट
2	नै ानल कोआपरेटिव डिवैल्पमैंअ कारपोरे ान	पांच परसैंट से 10 परसैंट
3	नै ानल बैंक फार ऐग्रीकल्चर एंड रूरल डिवैल्पमैंट	ढाई परसैंट से 6 परसैंट
4	एल0आईसी0 तथा जनरल इं योरैंस कारपोरे ान	पांच परसैंट से 10 परसैंट
5	स्टेट बैंक व दूसरे बैंक से लोन	साढे 12 परसैंट
6	बेज एंड मीन्ज एडवानसिज जो आर0बी0आई0 से लिये जाते हैं।	इसका रेट स्टेट बैंक आफ इंडिया के रेट से 1 परसैंट कम है।

दूसरे पार्ट के बारे में भी बता देता हूं कि जो पैसा लिया गया है वह ज्यादातार डिवैल्पमैंट स्कीमों पर खर्च किया जाता है नान डिवैल्पमैंटल स्कीम्ज पर बहुत थोडा कम खर्च किया जाता है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने जो लोन 31.12.1983 तक लिया है, उसकी पूरी डिटेल हाउस के सामने रखी है। मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहता हूं कि यह

लोन कब से सरकार ने लेना भुरू किया और इसकी टर्म्ज एंड कंडी ान क्या थीं ? दूसरे मंत्री महोदय ने बताया कि ने ानल कोआपरेटिव डिवैल्पमैंट कारपोरे ान के लोन का इन्ट्रैस्ट 5 से 10 परसैंट है। यह बात हमारी समझ में नहीं आई। मंत्री जी एक पर्टीकुलर रेट बताएं कि पांच परसैंट था, सात परसैंट था या 10 परसैंट था ?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, मेरे माननीय सदस्य भाई ने क्या फैनटैसटिक बात पूछी है कि सरकार ने कब से लोन लेना भुरू किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से सरकार बनी लोन तो तभी से चल रहे हैं पंजाब हरियाणा के डिवीजन के समय पर भी हमें 167 करोड रूपये का लोन मिला था और जब जनता सरकार छोड कर गयी थी, तब भी हरियाणा स्टेट को लोन मिला, यह तो चलता ही रहता है। जहां तक इंट्रैस्ट के रेटस में वेरीगे ान का सवाल है, यह डिफरैंट डिफरैंट स्कीमज पर डिफरैंट रेटस आफ इंट्रैस्ट होता है।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब, पांच से 10 परसैंट वाली बात को जरा और कलीयर कर दें।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, इस वक्त डिटेल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि किस किस स्कीम के लिये कितना कितना लोन लिया गया है। स्कीमों के अलग अलग

नाम कहें तो मैं बता देता हूं और अलग अलग कैटेगरी को स्कीम्ज पर जो रेट आफ इंट्रैस्ट है, वह भी बता सकता हूं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आप इनसे यह सूचना अलग से मिलकर ले लेना।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अगर यह बात यहां पर न पूंछेंगे तो और कहां पर पूछेंगे ? इसमें पब्लिक मनी इंवाल्वड है। (ाोर एवं व्यवधान)

10.00 बजे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसमें कुछ तो पुराने लोन हैं और कुछ नये लोन हैं पुराने लोन पर 5 प्रति ात इंट्रैस्ट था। उसके बाद रेट बढता गया, किसी लोन पर 6 प्रति ात, किसी पर 7, 8, 9 और 10 प्रति ात हो गया।

श्री सागर राम गुप्ताः मैं फाइनैंस मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि बहुत सी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज, लोकल बाडीज या दूसरे इंस्टीच्यू ांज हो लोन देते हैं उसमें स्टेट गवर्नमैंट गारंटी देती हैं। क्या वे लोन भी इसमें भाामिल हैं ?

चौधरी कटार सिंह छोकरः वे लोन इसमें भाामिल नहीं हैं।

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, लोन लेना बुरी बात नहीं है लेकिन लोन देना बुरी बात है। (हंसी) मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास लोन वापिस देने के किए कितना पैसा है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चाहें कोई भी सरकार हो या कोई बडा प्राइवेट अदारा हो, उसका लोन लेने के बगैर काम नहीं चल सकता। लोन देने के बाद वापिस दिये बगैर भी सरकार के डिवैल्पममैंट के काम नहीं चल सकते। अगर हम वर्ल्ड बैंक से लोन न लें तो हमारा सडकों, नहरों और अन्य सुविधाएं देने का काम नहीं चल सकता। हुड्डा साहब ने एक बात कह दी कि लोन लेना बुरी बात नहीं है देना बुरी बात हैं (विघ्न)

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, का सवाल यह था कि लोन ले तो लिया है, लेकिन इसको वापिस करने की क्या योजना है ?

चौधरी भजन लालः हमारी योजना तो वापिस करने की है। लेकिन अपोजी ान के भाई लोगों को बहकाते हैं कि कर्जा वापिस मत दो और जब उनकी सरकार आएंगी तो वे माफ कर देंगे। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने हुड्डा साहब के सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि ये अपोजी ान वाले लोगां को बहकाते हैं कि आप सरकार का कर्जा वापिस मत दो, जब हमारी सरकार आएगी तो हम माफ कर देंगे। मैं इनको

बताना चाहता हूं कि हम दोनों काम करेंगे। यानी सरकार को भी चलता करेंगे और लोन भी माफ कर देंगे। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनके कहने से मैं चलता होने वाला नहीं हूं मैं तो इनके गुरू से भी चलता होने वाला नहीं हूं। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हाउस में थोडी सी गरमी आ गई। मुख्य मंत्री जी ऐसा समझ बैठे हैं कि सदा इन्हींने ही यहां बैठना है। इनको पता होना चाहिए कि इस संसार में आने वाला जाता भी है। हमने इस सीट पर कई महानुभावों के द र्ान किए हैं। पंडित भगवत दयाल जी आए, श्री बंसी लाल जी आए फिर चौधरी देवी लाल जी आए। उनके बाद हमारी मदद से अब ये आ गये। (हंसी) स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो कर्जा लिया है उसे वापिस देंगे, यह बडी अच्छी बात है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आपने इस कर्जे की टर्मज और कंडी ांज क्या तय की हैं कब से कर्जा वापिस देना भाुरू किया है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब ने कहा कि इस कुर्सी पर बहुत लोग बैठ कर गये हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि इस संसार में जो आया है उसने एक दिन मरना भी है और कुर्सी भी छोडनी है लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि

इनके उतारने से कर्सी से कभी भी नहीं उतरूंगा। (ाोर) जहां तक कर्जे का सवाल है वह अलग अलग स्कीमों पर है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः हम नहीं उतारेंगे तो पब्लिक तो उतारेगी ही। (ाोर)

चौधरी भजन लालः आपकी क्या हैसियत है ? (ाोर) आपके गुरू चौधरी देवी लाल की भी क्या हैसियत है ? आपमें तो कोई जोर ही नहीं है, अखाडे में उतर कर देख लो। जिसका कोई जार हो उसको बोलना चाहिए। आपके गुरू देवी लाल मेरा कुछ नहीं कर सके, आप मेरे मुकाबिले में क्या हो ? (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये सारी बातें कार्यवाही में से एक्सपंज होनी चाहिए। स्पीकर साहब, हमने तो मजाकिया अंदाज में बात की थी लेकिन बाद में वह बात सीरियस हो गई। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस सारी कार्यवाही को एक्सपंज कर दिया जाए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, या तो ये ऐसी कोई बात न कहें, अगर कहते हैं तो इनको उसके जवाब में कहीं गई बात बर्दा त करनी चाहिए। (ाोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कुछ भी एक्सपंज न करें, सब कुछ रहने दें। (ाोर)

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बारे में सरदार लछमन सिंह जी से फैसला करवा लिया जाए कि कुर्सी इन्हीं की रहेगी या हमारी आएगी। (हंसी)

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मैं अम्बाला भाहर का एक केस मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं वहां पर फाइनैंि ायल कारपोरे ान से खडडी लगाने के लिए कबीर हैंडलूम नजदीक रेलवे क्रासिंग श्री जगीर सिंह ने 73000 रूपए लोन लिया था। उसने उस लोन की एक भी किस्त वापिस नहीं दी है। उसको गिरफ्तार करने के लिए एक बार यहां से वारंट भी चले गए लेकिन एक बार एक कांग्रेस आई के वर्कर ने उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया और दूसरी बार एक एक्स मिनिस्टर ने गिरफ्तार नहीं होने दिया। मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह 73000 रूपया बढकर इस समय 2 लाख रूपया हो गया है, क्या उस पैसे की रिकवरी की जाएगी।

चौधरी कटारी सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बात कभी भी मेरे नोटिस में नहीं लाए और न ही इन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया। यह सवाल तो गवर्नमैंट ने जो लोंन लिया हुआ है, उसके बारे में है। आप इस बारे में मुझे लिख करके दें।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह बताया है कि 846 करोड रूपया सरकार पर कर्जा है। मैं

आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज ने जो लोन लिया हुआ है, उसकी गारंटी भी सरकार ने ली हुई है, वह रकम कितनी है ?

चौधरी कटारी सिंह छोकरः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज ने जो लोन लिया हुआ है, वह पैसा इसमें भाामिल नहीं है। सरकार ने हर साल जो पैसा वापिस दिया है उसके बारे में मैं बता देता हूं। 1978–79 में 61 करोड 17 लाख रूपए लोन लिया था जिसमें से 23 करोड 92 लाख रूपया वापिस किया अैर 13 करोड 50 लाख रूपए ब्याज वापिस किया। 1979–80 में 60 करोड 61 लाख रूपया लोन लिया जिसमें से 25 करोड 48 लाख रूपया वापिस किया और 5 लाख 21 लाख रूपया ब्याज वापिस किया। 1980–81 में 64.67 करोड रूपया लोन लिया जिसमें से 21. 77 करोड रूपया वापिस किया और 22.67 करोड रूपया ब्याज वापिस किया। 1981–82 में 90.18 करोड रूपया लोन लिया जिसमें से 31.38 करोड रूपया वापिस किया और 19.68 करोड रूपया ब्याज वापिस किया। 1982–83 में 195.18 करोड रूपया लोन लिया जिसमें से 76.4 करोड रूपया वापिस किया और 23.78 करोड रूपये ब्याज वापिस किया।

Power cut in Agricultural And Industrial Sectors

***601. Sh. Kitab Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any power cut was imposed in the agricultural or indusrial sectors in the State during the period from 1st January 1984 to 15th January 1984;

(b) if so, feeder wise hours for which electricity was supplied daily to the agricultural and industrial sectors separately, during the period referred to in part (a) above; and

(c) the date wise total number of electricity units available during the said period togetherwith the number of electricity units actually supplied to the agricultural and industrial sectors separately ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): (a) (b) & (c). The statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes. Power cuts imposed from 1st January 1984 to 15th January 1984 on agricultural and industrial sectors were as follows:-

Agricultural Sector :		
Arid Area:	GROUP A GROUP B	10Hrs. supply 10 Hrs. supply (daily)
Non-arid Area:	GROUP A	8 Hrs. supply

	GROUP B	8 Hrs. supply (daily)

Industrial Sector:

1. 3 off days in a week.

2. Steel are furnaces and mixed load of steel are furnaces and steel rolling mills were allowed to runs for 10 Hrs. daily for three days in a week.

3. Continuous proces industry were subjected to 60% cut on weekly basis but allowed to run for 7 days in a week.

4. Peak load restrictions were observed from 18.00 Hrs. to 22.00 Hrs. daily.

(b) Time and labour involved in collecting the requisite information will not be commensurate with the results desired to be achieved.

(c) The date wise total number of electricity units available during 1st January 1984 to 15th January 1984 together with the number of electricity units actually supplied to the agricultural and industrial sectors are as under :-

Date	Total Electricity Available (LU)	Agricultural Sector (LU)	Supplied to Industrial Sector (LU)
1-1-1984	79.72	37.46	32.26
2-1-1984	75.52	35.47	30.05

3-1-1984	78.56	36.86	31.70
4-1-1984	78.86	35.65	33.21
5-1-1984	89.58	38.56	41.02
6-1-1984	93.64	42.48	41.16
7-1-1984	96.56	52.53	34.03
8-1-1984	100.24	49.30	4.94
9-1-1984	101.98	48.94	43.04
10-1-1984	103.91	49.92	43.99
11-1-1984	99.94	44.55	44.89
12-1-1984	94.31	41.16	43.15
13-1-1984	97.60	44.45	43.15
14-1-1984	95.12	46.19	38.93
15-1-1984	96.34	46.38	39.96

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि एग्रीकल्चर सैक्टर में प्रति दिन 8 घंटे बिजली सप्लाई की गई थी लेकिन मैंने पावर हाउसिज से आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 8 घंटे बिजली मिली हो। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने जो आंकड़ें इकट्ठे किए हैं क्या वे आंकड़े गलत हैं ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे ऐसी कोई फिगर अभी तक नहीं दिखाई हैं। हो सकता है इनकी फिगर्ज गलत हों या ठीक भी हो सकती है। मुझे इस समय एक एक पावर हाउस की फिगर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य मुझे वे फिगर दिखा दें यदि उसमें किसी कर्मचारी की कोई गलती है तो जरूर एक ान लिया जाएगा।

श्री मनफूल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने यह बताया कि एग्रीकल्चर सैक्टर में प्रति दिन 8 घंटे बिजली की सप्लाई की गई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहात हूं कि असंध हलके में मु कल से तीन घंटे बिजली आती है, इसका क्या कारण है ? भाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बिल्कुल बिजली नहीं होती। जब रोटी खाने का समय होता है उस समय बिजली नहीं होती और लोग अंधेरे में खाना खाते हैं। असंध हल्के में बिजली पर इतनी ज्यादा कटौती क्यों लगाई हुई है ? इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भारत सरकार ने अनाज का भाव 151 रूपए प्रति क्विंटल से बढा कर 152 रूपए प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया है। केवल एक रूपया प्रति क्विंटल भाव बढाया है। इस बारे में मैं तो यही कहूंगा कि इस एक रूपए के साथ हरियाणा सरकार एक गिलास भी दे दे, जैसे बारात में बारातियौं को रूपया गिलास दिया जाता है तो भी ठीक था। (हंसी) स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यही जानना

चाहता हैं कि असंध हल्के में ही केवल तीन घंटे बिजली क्यों दी जाती है ?

श्री अध्यक्षः मैं भी सिंचाई तथा बिजली मंत्री चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला जी से रिकवेस्ट करूंगा कि वे चौधरी मनफूल सिंह की तरफ ध्यान दें और इनकी डिफिकल्टी को दूर करें। असंध हल्के के लिए बिजली की सप्लाई की तरफ खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मैं इस बारे में पता करूंगा अगर ऐसी बात है तो उसको दूर करने की पूरी को ि ा ा की जाएगी। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं सारे हाउस को यह बताना चाहूंगा कि नवम्बर 1983 से लेकर जनवरी 1984 तक तीन महीने हरियाणा स्टेट में बिजली की बहुत एकस्ट्राआर्डीनरी डिफिकल्टी रही है और उसका मुख्य कारण यह था कि पानीपत का एक थर्मल प्लांट उन दिनों मेनटीनैंस पर था। उस प्लांट के जनरेटर में फाल्ट पाया गया और वह फाल्ट काफी दिन तक रिपेयर करते रहे लेकिन रिपेयर नहीं हुआ और उसकी जगह नया जनरेटर लगा कर यूनिट को चलाया गया। स्पीकर साहब, बिजली की डिफिकल्टी को दूर करने के लिए बिजली बोर्ड ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनके बारे में आपकी इजाजत से ब्रीफली बताना चाहता हूं। इन तीन महीनों में असंध और दूसरी जगहों पर बिजली की कमी रही होगी, उस कमी को दूर करने के लिए बिजली बोर्ड जो भी कर सकता था, वह किया। उस समय

इंडस्ट्रीज पर बडे सवियर कर्ब लगाए गए थे। स्टील आर्क फरनेि ाज तथा स्टील के मिश्रित स्टील आर्क फरनेि ाज और स्टील रोलिंग मिलों को हफते में तीन दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और कंटीन्यूअस चलने वाली इंडस्ट्रीज पर 60 परसैंट बिजली पर कटौती लगाई गई थी। इसके अलावा हमने भााम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पीक लोड पर भी रिस्ट्रिक ान लगाई थी। इस तरह से बिजली पर कट लगाकर हमने एग्रीकल्चर के लिए प्रति दिन 8 घंटे बिजली सप्लाई करने का पूरा प्रयत्न किया था। फरवरी के महीने से औनवर्ड बिजली पर जो रिस्ट्रिक ान थी वह उठा ली गई है। मैं यह भी नहीं कह सकता कि इस समय बिजली की कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की बिजली की जनरे ान एक करोड 36 लाख यूनिटस हैं हमारे पानीपत और फरीदाबार के चारों यूनिटस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिजली की स्थिति में सुधार होगा। माननीय सदस्य ने जो असंध में बिजली की कमी के बारे में बात कही है, वह उन तीन महीनों के वक्त की बात कर रहे हैं जब थर्मल प्लांट अंडर रिपेयर था। फिर भी मैं उस बारे में खास तौर से पता करवा लूंगा। यदि ऐसी कोई बात है तो अब वहां पर लोकली डिफिकल्टी नहीं होगी।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने यह बताया कि नवम्बर 1983 से लेकर जनवरी 1984 तक तीन महीने बिजली की कमी के कारण इंडस्ट्रीज हफते में तीन दिन मुकम्मल

तौर पर बदं रही है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हफते में जिन तीन दिनों के लिए इंडस्ट्रीज बंद की जाती थी, उन तीन दिनों में इंडस्ट्रीज चलती रही हों, ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज की ि ाकायत इनके पास आई है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, आजकल तीन दिन की रिस्ट्रिक ान हटा दी गई है। आजकल हफ्ते में दो दिन इंडस्ट्रीज बंद करने की रिस्ट्रिक ान कर दी गई है। जैसे जैसे बिजली की पोजी ान ठीक होती जाएगी। दो दिन की रिस्ट्रीक ान की बजाये एक दिन की रिस्ट्रैक ान कर देंगे और यदि बिजली की पोजी ान बिल्कुल ठीक हो गई तो रिस्ट्रिक ान बिल्कुल हटा दी जाएगी। जहां तक माननीय सदस्य की उन दिनों में इंडस्ट्रीज चलने की बात है, इस बारे में मेरे पास कोई स्पैसिफिक ि ाकायत नहीं आई। यह तो बडी वेग सी बात है कि कोई इंडस्ट्री चोरी से बिजली लेकर चल ही या किसी कर्मचारी से मिलकर बिजली ले ली हो। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की ि ाकायत बताएंगे तो जरूर एक ान लिया जाएगा। इस बारे में पुलिस के लोग भी रेड करते रहते हैं और बिजली बोर्ड के अधिकार भी रेड करते रहते हैं लेकिन उनको इस प्रकार की कोई ि ाकायत नहीं मिली। यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई ि ाकायत हमारे नोटिस में लाएंगे तो अव य एक ान लिया जाएगा।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदन ने जो फिगर्ज हाउस को सप्लाई की हैं, ये सारी बोर्ड से ली हुई हैं

सदन के अंदर जितने भी मैम्बर्ज बैठे हुए हैं, उनसे आप बे ाक पूछ लें कि देहात के अंदर बिजली 8 घंटे की बजाये 4 घंटे ही बडी मु ि कल से पहुंच पाती हैं हाउस में मंत्री जी ने कहा है कि हम 8 घंटे एग्रीकल्चर को बिजली दे रहे हैं जबकि वास्तव में देहात के अंदर 4 घंटे से ज्यादा बिजली कभी नहीं मिली। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी बदनियत की जवह से एग्रीकल्चर सैक्टर को 8 घंटे की बजाये 4 घंटे बिजली तो नहीं दी गयी ? मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के पास ऐसी बहुत सी ि ाकायतें आयी होंगी कि उन्हें पूरी बिजली नहीं मिल रही। इस संबंध में एम0एल0एज0 ने बोर्ड को डी0ओज0 भी लिखे हुए हैं मैं जानना चाहूंगा कि जो एप्लीके ांज इस संबंध में आयी थी क्या उनकी कोई तहकीकात करवाई गयी हैं ? इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को आजकल की बिजली की पोजी ान से तसल्ली है या नहीं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने आखिर में कही है कि आया सरकार को बिजली की पोजी ान से तसल्ली है या नहीं; इस संबंध में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार की तसल्ली इस मामले में कभी नहीं होगी, क्योंकि सरकार का निरंतर यही प्रयास रहता है कि प्रत्येक काम में अधिक से अधिक सुधार किया जाये। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिजली की कमी अभी अपने प्रदे ा में है। सरकार की यही कोि ा ा होती है कि जिस सैक्टर काो बिजली की ज्यादा

आव यकता हो, उसे बिजली अधिक से अधिक उपलब्ध करवाई जाये। आपको भी मालूम है कि बिजली का बहुत लम्बा चौडा काम है। यह हर गांव में फैली हुई है। उसको चैक करने की पूरी कोि ा ा की जाती है कि कहीं पर कोई खराबी न आये। जब भी हमारे पास इस मामले में कोई ि ाकायत लेकर आता है, चाहे वह एम0एल0एज0 हैं, चाहे गांव का किसान है, हम सबसे पहले बिजली के संबंध में उनकी ि ाकायत को प्राथमिकता देते हैं। हम सारे काम को छोड कर किसानों की दिक्कत को दूर करने की कोि ा ा करते हैं और चेयरमैन चीफ इंजीनियर या एस0ई0 को आदे ा देते हैं कि इनकी ि ाकायत को दूर किया जाये। बिजली के अंदर जहां कमी होती है और जो ि ाकायतें हमारे पास आती हैं, उन्हें दूर करने की भरसक कोि ा ा की जाती है। मैं भी खुद मौके पर चैक करने के लिए गया हूं।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, बिजली का जहां तक सवाल है, उस संबंध में मेरा यह कहना है कि बिजली इंसान की बनाई हुई चीज है। इससे खराबी भी आ सकती है और बिजली की कमी भी हो सकती है। मैं मंत्री जी के नोटिस में यह चीज लाना चाहूंगा कि जो थर्मल प्लांट के लिए कोयला आता है। वह घटिया किस्म का कोयला आता है जिसके कारण प्लांट में खराबी आ जाती है। कई बार अच्छे कोयले की बजाये कोयले के अंदर पत्थर बहुत आ जाते हैं जिससे म ाीनरी टूट जाती है और प्लांट खराब हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कोयला हरियाणा सरकार

का विशय नहीं है। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि ा है कि क्या हरियाणा सरकार का विशय नहीं है। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि ा है कि क्या हरियाणा सरकार सैंट्रल सरकार से अच्छा कोयला लेने के लिए कार्यवाही करेगी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि जब भी एच0एस0ई0बी0 के साथ कोई मीटिंग होती है तो हम लगातार कोि ा ा करते हैं कि कोयले की क्वालिटी हमारे पास अच्छी आये। चौधरी नेकी राम जी की बात ठीक है कि कोयले के अंदर पत्थन आने से म ाीनरी में खराबी आ जाती है जिसके कारण बिजली की पैदावार में रूकावट आ जाती है। सरकार अब इन प्लांटों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोि ा ा करेगी। इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, वह भी मैं हाउस को बता देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अब पानीपत और फरीदाबाद थर्मल प्लांटों को रैनोवेट किया जा रहा है। इस काम के लिए सैंट्रल सरकार ने अढाइ करोड रूपया पानीपत थर्मल प्लांट के लिए और दो करोड रूपया फरीदाबाद थर्मल प्लांट के लिए दिया है। इस काम के होने के बाद हमें उम्मीद है कि हमारी बिजली की स्थिति में सुधार आ जायेगा। दूसरी बात यह है कि हमें सैंट्रल सरकार से जो बिजली मिलती है, वह अधिक मिले। इस इ ाु को हमने भारत सरकार के साथ उठाया हुआ है। हमें उम्मीद है कि यह फैसला जल्दी ही जायेगा और हमें सैंट्रल सरकार से जो भोयर अब मिलता है, पहले

से अधिक मिलने लगेगा जिससे बिजली की कमी में और सुधार आयेगा। तीसरी बात में नोटिस में लाना चाहूंगा कि पानीपत का एक यूनिट 110 मैगावाट का है। इसके मार्च 1985 के आखिर तक पूरा होने की संभावना है। यदि यह यूनिट ठीक समय पर चालू हो गया तो इससे भी बिजली में काफी सुधार आयेगां इसी प्रकार से यमुनानगर का जो हाउडल प्रोजैक्ट है, वह जब मुकम्मल हो जायेगा तो उससे भी हमारी बिजली की हालत में बहुत अधिक सुधार हो जायेगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः अभी मंत्री महोदय ने फरमाया है कि बिजली को दो हिस्सों को बांटा गया है। एक हिस्सा इंडस्ट्रीज का और दूसरा हिस्सा एग्रीकल्चर का है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि मेरा हल्का फरीदाबाद है। यह भाहर इंडस्ट्रीज के लिहाज से हरियाणा में पहले नम्बर पर है। वहां पर बिजली की कटौती की गयी है जिससे काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं कटौती की वजह से मेरे भाहर के अंदर लेबर प्रोब्लम आ गयी है। इस संबंध में मेरी गुजारि ा है कि जिस प्रकार से एग्रीकल्चर साईड को प्राथमिकता दी गयी है, उसी प्रकार से फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज को भी बिजली दिए जाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि वहां पर इंडस्ट्रीज को पूरी बिजली नहीं मिलेगी तो वहां का लेबर भूखा मर जायेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी नोटिस में लाना चाहूंगा कि वहा ंपर बिजली बोर्ड का जो थर्मल प्लांट है उसके पास काफी ऐ ा जमा पडी हैं जिससे फरीदाबाद

का 1/4 हिस्सा ऐ ा की परतों से दबा हुआ है। ऐ ा की वजह से बीमारी फैलने का लगातार अंदे ाा बना रहता है। ऐ ा की वजह से ही वहां के मजदूर अधिक बीमार होते हैं क्योंकि इससे भी एक किस्म का जहर बनता है। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि ा है कि ऐ ा को रोकने का भी प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि कोई बीमारी न फैल पाये।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः जो बात इन्होंने कही है उस पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है कि इसकी डिस्पोजल के लिए कोई इन्तजाम किया जाये। फरीदाबाद के अंदर बहुत से कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जनरेटर लगाये हुए हैं। जहां तक लेकर प्राब्लम्ब की बात है। इस संबंध में सरकार पूरी तरह से जागरूक है। एग्रीकल्चर की बिजली देने में इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि यदि फसलों को ठीक समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वे बेकार हो जाएगी। इसलिए फसलों की बिजाई के समय और बाद में जब उन फसलों में पानी दिए जाने का वक्त होता है, उस समय कोि ा ा की जाती है कि एग्रीकल्चरल सैक्टर को बिजली देने में प्राथमिकता दी जाए। जहां तक इंडस्ट्रीज की बात इन्होंने कही है कि इंडस्ट्रीज की अधिक बिजजी दी जाये। इस संबंध में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज को कुछ समय छोड कर एग्रीकल्चर की निस्बत अधिक बिजली दी जाती है।

श्री मंगल सैनः मंत्री महोदय ने सवाल के बी भाग के जवाब में कहा है –

"Time and labour involved in collectioning the requisite informaiton will not be commensurate with the results desired to eb achieved.

स्पीकर साहब, इन्होंने बडी कु ालता के साथ बात को टालना चाहा हैं मैं आपके द्वारा बिजली मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अक्तूबर से लेकर आज तक कमि र्यिल साइड में, एग्रीकल्चर साईड में और डुमैस्टिक साइड में पूरी बिजली नहीं मिली। क्या इनके नोटिस में यह बात नहीं आयी कि फरीदाबाद के अंदर बोर्ड का एक एस0डी0ओ0 था, जिसे अब एक्सीयन परमोट कर दिया है, लाखों रूपये कमा रहा है ? स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है और इस पर मैं मुख्य मंत्री जी से आ वासन भी चाहता हूं पिछले दिनों इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत भ्रश्टाचार हुआ है। बोर्ड के असैटस एंड लायबिटीज के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में बडा मिसमैनेजमैंट हुआ है। क्या सरकार इस मामले की एन्क्वायरी करवाने के लिए हाई कोर्ट के किसी जज की एप्वायंटमैट करेगी ?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Development Block Badli

***607. Ch. Dhir Pal Singh:** Will the Minister for Housing and Jails be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make Badli a separate Development Block; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialize ?

आवास तथा जेल मंत्री (चौधरी कल्याण सिंह):

(ए) जी नहीं।

(बी) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Recruitement made in Cooperation Department

***584. ch. Kulbir Singh Malik**: Will the Minister for Cooperation be pleased to state constituency wise number of employees recruited by the Cooperation Department during the years 1982-83 and 1983-84 ?

Cooperation and Dairy Developement Minister (Ch. Birinder Singh): 111 persons were appointed in the Cooperation Department in 1982-83 and 8 in 1983-84. The recruitment is made through the Subordinate Services Selection Board, Haryana as well as Employment Exchanges, based on merits and the prescribed qualifications. The recruitment is not made constituency-wise.

Electrification of Village Bulanwali, District Jind and other Villages in the State

***614. Ch. Nar Singh Dhanda:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there are any villages in the State which have not so far been electrified, if so, the total number thereof togetherwith the total number of villages which stand electrified upto date; and

(b) whether electricity is being supplied to village Bulanwali, District Jind, if not, the time by which the electricity is likely to be supplied to the said villages togetherwith the number of applications for electricity connections for domestice and tubewells purposes, in the said

village if any, pending at presnet and the date since when such applications are lying pending ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) No, all the 7064 villages in the State stand electrified.

(b) Yes, villages Kheri Bulanwali in District Jind was electrified in the year 1969-70. Only 6 applications for domestic connections are pending since March, 1982, which are likely to be connected within a month's time. There is no pending application for tubewell.

Removal of Liquor of Fake Permits

***629. Sh. Nihal Singh:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether any cases of removal of liquor on fake permits from the bonded warehouses having L. 1 licence have come to the notice of the Government during the years from 1980 to 1983 in the State; if so, the year wise quantity of liquor so removed togetherwith the names of the person involved in all such cases; and

(b) if reply to part (a) be in the affirmative the total amount of loss suffered on account of excise duty and sales tax as a result thereof ?

Excise and Taxation Minister (Sh. Brij Mohan):

(a) Yes, Sir, Some cases of issue of stock of liquor without payment of duty have come to notice. A statement indicating the quantity of liquor so issued and the names of the bonded warehouses licencees involved is laid on the Table of the House.

(b) The amount of the exercise duty involved in these transactions is approximately Rs. 2.17 crores. The precise amount of sales tax involved is not available, as it is to be determined on the basis of the price of the liquor so issued.

Statement

(a) (i)	Yearsie quantity of liquor issued, resulting in loss of excise duty
Year	Quantity of liquor in proof litres
1980	
1981	2.59 laksh appr.
1982	5.53 lakhs appr.
1983	0.98 lakh appr.
(ii)	Names of the Bonded Warehouse licensees involved in the above transactions.

Name of the Licensee

M/s Wine Centre, BWH-2, licencee, Hissar.

M/s Viksar Wines BWH-2, licencee, Hissar.

M/s Liberty Sales, BWH-2, licencee, Rohtak.

M/s Sham Lal Shastri & Co. BWH-2, licencee, Jind.

M/s Dhingra Sales Corporation BWH-2, licencee, Rohtak

M/s N.L. Gupta Enterprises (P) Ltd. BWH-2, licencee, Jind

M/s Ravi Sales Corporation BWH-2, licencee, Rohtak

M/s M.M & Co. BWH-2, licencee, Faridabad.

M/s Kanshi Ram Madan Lal Enterprises (P) Ltd. BWH-2, licencee, Gurgaon

M/s Haryana Agencies (P) Ltd. BWH-2, licencee, Faridabad.

M/s Mohan Meakin Ltd. BWH-2, licencee, Karnal.

M/s Aggarwal Wine Traders, BWH-2, licencee, Karnal.

M/s Wine Agencies, BWH-2, licencee, Sirsa.

M/s Haryan Tourism corporaiton, BWH-2, licencee, Karnal.

Repair of Roads in Ellenabad

***-646. Sh. Bhagi Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Gurudwara Road and Memera Road of Ellenabad in Sirsa district are in a damaged condition

at present; is so, the time by which the said roads are likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): गुरूद्वारा सड़क नहीं।

ममेरा सड़कः हां, इस सड़क का 600 मीटर लम्बा हिस्सा टूट गया है। मुरम्मत का कार्य चार मास में सम्पन्न होने की संभावना है।

Pump Houses on Gurgaon Canal

***650. Ch. Shakrulla Khan:** Will the Minister for Irrigation and Power be plesed to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to construct any pump houses on Gurgaon Canal to supply water through the Malai Feedar and Gurgaon Canal to the farmers under the command of Gurgaon Canal; and

(b) if so, the exact places of location of such pump houses together with the estimated cost of construction of said works, the expenditure (to-date) incurred, present stage of construction and time by which the construction work is likely to be completed ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) हां जी।

(ख) दो पम्प हाउस बनाये जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. कलंजर पम्प हाउस गुड़गांव नहर की आर0डी0 167700 पर उजीना ड्रैन के हैड रैगुलेटर की आर0डी0 96080 के समीप है। इस पम्प हाउस के निर्माण की सिविल कार्यों व पम्पों आदि की कीमत सहित, अनुमानित लागत 80 लाख रूपये है। अब

तक इस पर 20.20 लाख रू0 खर्च हो चुका है। यह पम्प हाउस जून 1985 तक पूरा होने की संभावना है।

2. दूसरा पम्प हाउस बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी की आर0डी0 26750 पर बनाया जा रहा है इसका अनुमानित खर्चा 20 लाख रू0 है और इस पर अब तक लगभग 12 लाख रू0 खर्च हो चुके हैं। लगभग 70 प्रति ात सिविल कार्य पूरा हो चुका है। यह पम्प हाउस मार्च 1985 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

Link Roads for Villages Jatal and Binjhol in Panipat constituency

***651. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to construct link road to connect villages Jatal and Binjhol in the Panipat Constituency, if so, the time by which the said link road is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी हां, परन्तु फण्डज की कमी के कारण लिंक रोड नहीं बनाई जा सकी।

Upgradation of Schools in Ambala Cantt. Constituency

***658. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the governement to up grade the Primary and Middle schools in Ambala Cantt. Constituency during the year 1984-85; and

(b) if so, the details thereof ?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Parity of Pay Scales of Librarians and D.P.E's.

89. Prof. Sampat Singh: Will the Minister of State for Education be Pleased to state-

(a) whether it is a fact that as per recommendations of University Grants Commission the Librariasn & D.P.Es. working in the Colleges have been given pay scales equal to the pay scales attached to the post of College Teachers; and

(b) if so, the time by which the aforesaid recommendation is likely to be implemented ?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) हां। यू0जी0सी0 ने निर्धारित योग्यतायें रखने वाले लाईब्रेरियन/डी0पी0ईज0 को प्राध्यापक ग्रेड 1.4.80 से देने के लिए सहमति दे दी है।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

Appointments made in the Transport Department

90. Prof. Sampat Singh: Will the Minsiter for Transport be pleased to state-

(a) the category wise names addresses and qualifications of the persons newly appointed to various posts in the Transport Department during the period from 28th June 1979 todate; and

(b) the method adopted in making the said appointments ?

Transport Minister (Con. Rao Ram Singh): The time and labour involved will not be commensurate with the purpose sought to be achieved.

Appointments mad in the Cooperative Banks

91. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Cooperation be pleased to state the Category wise names, addresses and qualifications of the persons newly appointed to various posts in the Haryana State Cooperative Banks and

other Cooperative Banks in the State during the period from 28th June, 1979 todate ?

Cooperation and Dairy Development Minister (Ch. Birinder Singh): A statement is placed on the Table* of the House.

Appointments made in the Excise and Taxation Department

92. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state ther category wise names, addresses and qualifications of the persons newly appointed to various posts in the Excise and Taxation Department during the period from 28th June 1979 todate ?

Excise and Taxation Minister (Sh. Brij Mohan): A statement is laid on the *Table of the House.

Health Centres

100. Sh. Hira Nand Arya: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the name of places in Adampur and Loharu constituencies where the Health Centres, dispensaries were set up during the period from 1st January 1980 to 31st December 1983 separately;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open more Health Centres, Dispensaries in the aforesaid Constituencies during the year 1983-84, if so, the names of such places; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Ayurvedic Dispensaries in villages of Jhanjhera, Sheoran, Fertia, Bhima, Chahar Kalan Budhera, Budhseli, Kalod District Bhiwani ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) इस समय ग्राम डिगरोटा (जिला महेन्द्रगढ) में सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) नहीं।

विवरणी

उन स्थानों की विवरणी जहां पर निर्वाचन क्षेत्र आदमपुर तथा लोहारू में 1.1.80 से 31.12.83 तक सहायक स्वास्थ्य केन्द्र/आयुवैर्दिक औशधालय खोले गये :–

निर्वाचन क्षेत्र	सहायक स्वास्थ्य केन्द्र		आयुर्वेदिक औशधालय	
आदमपुर	1	न्योली कलां	1	टोकस पातन
	2	चौधरीबास	2	गाबड़
			3	भााहपुर
			4	कालुवास
			5	खारिया

			6	मंगाली सिंघरान
			7	भिवानी रोहिला
			8	मोहब्बतपुर
			9	मात्र याम
			10	बगला
			11	भेरिया
			12	चौधरीवाली
लोहारू	1	झाम्पा कलां		
	2	लीलस		
	3	गुरेरा		

Electricity Transmission System

101. Sh. Hira Nand Arya: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the electricity transmission system in the State is over loaded at present; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to improve the transmission system togetherwith the time by which the improvement is likely to be made ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) वर्तमान बिजली प्रसार प्रणाली सूखा ग्रस्त द ाा वाले ग्रामीण क्षेत्र की मांग के अनुकुल नहीं है। फिर भी संचार प्रणाली को सुदृढ करने के लिए निरन्तर प्रयत्न योजनाबद्ध विकास के अधार पर किएक जा रहे हैं।

(ख) प्रसार प्रणाली को मजबूत करना/वृद्धि करना वर्श के अनुसार उस वर्श के दौरान वित्तीय साधनों पर निर्भर करते हुए की जाती है। वर्श 1983–84 के दौरान 220 के0वी0 के दो, 132 के0वी0 के तीन और 66 के0वी0 के चार नए उप केन्द्र साथ ही 220 के0वी0, 132 के0वी0 और 66 के0वी0 की 62 के0एम0, 49 के0एम0 84 के0एम0 प्रसार लाईन अतिरिक्त चालू करने के वर्तमान अठारह 132/66 के0वी0 उप केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई। वर्श के दौरान प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किए इन कामों पर लगभग 14 करोड रूपए खर्च होना सम्भावित है।

छठी योजना अवधि के दौरान 220 के0वी0 तेरह 132 के0वी0 और चार 66 के0वी0 सम्बंधित प्रसारण लाईनों के साथ ही सामान्य लोड वृद्धि को पूरा करने के लिए योजना के बाकी रहें, चार 220 के0वी0 आठ 132 के0वी0 और तेरक 66 के0वी0 उप

केन्द्रों को पांचवीं योजना में सम्बंद्ध प्रसार लाईनों के साथ जोड़ना नियोजित है। छठी योजना कार्यों पर लागत 90 करोड रूपए अनुमानित की गई है जिसमें से 55 करोड स्पए 11/83 तक खर्च हो चुके हैं। उपरोक्त योजना व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दो 220 के0वी0, नौ 132 के0वी0 और नौ 66 के0वी0 उप केन्द्र सम्बंध प्रसार लाईनों सहित दिसम्बर, 1983 तक चालू किए गए हैं।

सातवीं पंचवर्शीय योजना में नए उपकेन्द्रों और विभिन्न प्रकारों (दरों) की लाइनों को उत्पन्न करने का एक वि ाल कार्यक्रम प्रस्तावित है। योजना परिव्यय का प्रस्ताव लगभग 250 करोड रूपए है। इसकी विस्तार सीमा में छः 220 के0वी0 चालीस 132 के0वी0 और छब्बीस 66 के0वी0 उप केन्द्र संबंध प्रसार लाईनों सहित आता है। इसी प्रकार चार 220 के0वी0 इक्कीस 132 के0वी0 और अठारह 66 के0वी0 उप/केन्द्रों का विस्तार भी प्रस्तावित है।

भाखड़ा व्यास प्रबंधक बोर्ड द्वारा नियन्त्रित प्रसार प्रणाली की वृद्धि/सुदृढ़ करने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं ताकि 220 के0वी0 के प्रारम्भिक स्तर पर प्रणाली वोल्टेज को सुधारा जाए। इस संबंध में भिवानी स्थित उप केन्द्र सहित 400 के0वी0 देहर पावर हाउस और भिवानी का जिक्र करना उचित है। यह परियोजना जिसकी लागत लगभग 67 करोड सम्भावित है। 1985–86 में पूर्ण होने की संभावना है। जब यह चालू होगी तो

राज्य में आपूर्ति वोल्टेज वि ोश पर दक्षिण क्षेत्र में अत्याधिक मात्रा में सुधर जाएगी।

Thein Dam

102. Sh. Hira Nand Arya: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the state has any share in the electricity produced/to be produced from Thein Dam in Punjab; and

(b) if so, the details therof togetherwith the time by which the said dam is likely to be completed ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला):

(क) थींन डैम से बिजल का हिस्सा अभी तक निि चत नहीं हुआ है।

(ख) बिजली के लाभ के हिस्से बारे भारत सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है। यह परियोजना 1989–90 के अंत तक पूर्ण होनी नियोजित है।

Laying of Transmission Line

103. Sh. Hira Nand Arya: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Governmnet to lay a transmission line from Dehar Power House in Himachal Pradesh to Panipat, Bhiwani and Dadri; and

(b) if so, the time by which the aforesaid line is likely to be laid ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) तथा (ख) हां, व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा देहर बिजली घर से भिवानी तक एक 400 के0वी0 लाईन लगाई जा रही है। यह लाईन वर्श 1985–86 तक लगभग पूरी हो जाएगी।

Repairing of damaged roads in Ambala Cantt.

111. Seth Ram Dass Dhamija: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to grant funds to Municipal Committee Ambala Cantt. for the repair of such roads as were damaged due to laying of sewerage in the said city; and

(b) if so, the time by which the said grant is likely to be given to the Committee for the purpose referred to in part (a) above together with the time by which the damaged roads are likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) की दृश्टि में प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Palika Vihar Scheme of Ambala Sadar Municipal Committee

112. Seth Ram Dass Dhamija: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any scheme named 'Palika Vihar' has been received by the Government from Ambala Sadar Municipal Committee recently; and

(b) if so, the action, if any, taken thereon and the time by which the said scheme is likely to be finalized ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां।

(ख) मामला विचाराधीन है और भीघ्र ही निपटान किये जाने की आ ाा है।

Shifting of Milk Dairies in Ambala Cantt.

113. Seth Ram Dass Dhamija: Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the milk dairies presently existing in Ambala Cantt. to places on the outskirts of the city; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख) ''क'' को देखते हुए प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Mini Secretariat Ambala Cantt.

114. Seth Ram Dass Dhamija: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 'Mini Secretariat' at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to materialise ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा):

(क) और (ख) अम्बाला भाहर में लघु सचिवालय के प्र ाासकीय खण्ड का निर्माण किया जा रहा है और यह अम्बाला छावनी की आव यकताओं को भी पूरी करेगा। अम्बाला छावनी में अलग से लघु सचिवालय का निर्माण करने बारे कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, सबार्डिनैट सर्विसिज फैड्रे ान की तरु से आपकी सेवा में एक मांग पत्र पे ा किया गया था। यह फैड्रे ान अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रही है जिसकी वजह से सारे डायरेक्टोरेट में, सारे डिपार्टमैंटस में सरकारी कार्य पैरोलाइज्ड है। कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है और जनता को बडी भारी दिक्कत हो रही है। उनकी मुख्य मांग यह है कि उनको बोनस और भत्ता नहीं मिल रहा। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसके बारे में अपना स्पश्टीकरण दें और उनकी मांगों को माने।

स्पीकर साहब, इसके इलावा मेरी एक सबमि ान और है। मैंने भीत लहर चलने के कारण हुए फसल के नुकसान के बारे में एक काल अटैं ान मो ान दिया था। वहां पर भीत लहर के कारण सारी फसलें बरबाद हो गई हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि

उसे स्वीकार करें। इसी संकट को लेकर दादरी में किसानों ने धरना भी दे रखा है।

श्री अध्यक्षः मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब .....

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे क्वै चन हर लिस्ट में रह जाते हैं, पता नहीं क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह सवाल आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मैं इनको क्या बताऊं। ये नये मैम्बर हैं, भाायद इनकों पता नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः आपको इन्हें गाईड करना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, अगर कोई मैम्बर गलत बोला हो फिर तो मैं कह सकती हूं। इन्होंने अपने सवालों के बारे में पूछा है और यह पब्लिक इन्ट्रैस्ट की चीज है। Members are entitled to express their feelings. Rather we ask for our rights to be safeguarded by you.

श्री अध्यक्षः मुझे इस बात की बडी हैरान है कि एक ग्रुप लीडर एक जायज बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन दो साल इन मैम्बर साहब को इलैक्ट हुए हो गये हैं लेकिन इन्हें क्वै चंज के बारे अभी तक पता नहीं लगा है। लीडर आफ दी

अपोजि ान कहती हैं कि इनको पता नहीं है। कैसे पता नहीं है ? अगर पता नहीं है तो इस मे मेरा कसूर नहीं है। अगर दो साल के अर्से में मैम्बर साहब नहीं समझ सके तो कब समझेंगे ? आप सबको पता है, हर रोज क्वै चन लिस्ट पर 12 सवाल लगते हैं। 12 में से कभी 5, कभी 6 और कई दफा 7 क्वै चंज हाउस में रिप्लाई होते हैं। इस बात का हर मैम्बर को पता है, लेकिन चौधरी मनफूल सिंह का एटीच्यूड हर बात अजीब होता है और गलत चीज खडी कर देते हैं और खाहमखाह हाउस का टाईम वेस्ट करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। अगर कोई बात रीजनेबल हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। किसी भी रीजनेबल बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन ऐसी बात पूछना खाहमखाह हाउस का टाईम वेस्ट करने वाली बात है। जब मैंने श्री वीरेन्द्र सिंह को बोलने के लिए बुला लिया है तो ये खाहमखाह खडे हो गये हैं और कहने लगे कि मेरा सवाल रह गया हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, इसी बात पर मेरी एक सबमि ान है। जब ट्रैजरी बैंचिज वाले भाशण देने लगते हैं तो हम बीच में नहीं बोलते और हम प्रज्यूम कर लेते हैं कि आप इनको टोकेंगे। आप हाउस को प्रिजाइड करते हैं, जो मैम्बर कोई बात करता है और आप समझते हैं कि ठीक नहीं है तो आप कह दीजिये कि यह बात ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्षः आपको रीजनेबल होना चाहिए। सब के बारे में एक ही तरह से सोचना चाहिए। आपने देखा है कि डा0 मंगल सैन जी ने सप्लीमैंटरी पूछते समय अढाई मिनट सवाल पूछने में लगा दिये और इसका जवाब देने के लिए मिनिस्टर साहब को टाईम नहीं मिला। हर मैम्बर अपनी अपनी अकलमंदी से सवाल पूछता है और सवाल लम्बा हो सकता है। अब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बोलेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब आपने फरमाया अकलमंदी इस्तेमाल करनी चाहिए। मैम्बर साहब मेरे से पूछ रहे थे कि रूल्ज आफ प्रोसीजर की किताब में दूसरे प्रोवीजन्ज तो हैं लेकिन बढिया अकल इस्तेमाल करने का प्रोवीजन नहीं है। आप हमें वह रूल बता दें जिसके तहत हम बढिया अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उस रूल के तहत सीखते रहेंगे। (व्यवधान) स्पीकर साहब, एडजर्नमैंट मो ान डाक्टर साहब की भी है, बहन चन्द्रावती की भी है, श्री सम्पत सिंह की भी है और श्री रामविलास भार्मा की भी है। मुख्य मंत्री जी बडी उदारता के साथ कहा था कि यह ऐसा मामला है जिसे हाउस को डिसकस कर लेना चाहिए क्योंकि इस मामले से ट्रेजरी बैंचिज और विपक्ष के मैम्बर साहिबान कसर्न्ड हैं। हम सब को इसे डिसकस करने की चिन्ता है। हमारा प्रांत पीसफु

ल है और हम सब पीसफुल माइंड के लोग हैं। हम चाहते हैं कि खाहमखाह घटनाएं न घटें, इस दे ा के लिए इसका बडा कन्सर्न है। दूसरी बात यह है कि मैने एस0वाई एल0 के बारे में

रूल 84 के तहत मो ान दी है। एस0वाई0एल0 आर्गेनाइजे ान को डिसबैंड करने का जो पंजाब सरकार ने फैसला किया है, इसके बारे में है और यह मो ान आपके पास पैंडिंग है। इसके अलावार एक नो कान्फिडैंस मो ान और एक काल अटैं ान मो ा भी पैंडिंग है। काल अटैं ान मो ान लेबर डिपार्टमैंअ के बारे में है। लेबर डिपार्टमैंट पर 1983 में फरदर रिक्रुटमैंट पर बैन लगाया गया था। बैन के बावजूद भी इन्होंने लगभग 25 भााप इन्सपैंक्टर्ज की भर्तियां की हैं यह काल अटैं ान मो ान आपके पास पैंडिंग है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने अपने घर से स्टेट में ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान के बारे में एडजर्नमैंट मो ान दी थी। ला एंड आर्डर की सिचुए ान के बारे में मेरे लायक दोस्तों ने भी फरमाया है कि हरियाणा में सिचुए ान बडी एक्सट्राआर्डिनरी है। सरकार ने भी कैबिनेट में सिचुए ान को कंट्रोल करने के लिए फैसले लिए हैं ताकि लोगों की प्रोटैक ान की जा सके। इस बारे में सब डिपार्टमैंटस विजिलैंट हैं। स्पीकर साहब इसी रो ान में आपके डिप्टी स्पीकर साहब, पर कातलाना हमला हुआ है। स्पीकर साहब, आपका फर्ज है हमारी प्रोटैक ान करना। मेरी आपसे हम्बल सबमि ान है कि इस मामले को सीरियसली लिया जाए। इस मामले पर बजट सै ान के दौरान लौकसभा में भी चर्चा हुई है। नौर्मली वहां पर इस तरह की मो ान एडमिट नहीं होती लेकिन वहां पर भी चर्चा है। जब हमारे

दे ा की सुप्रीम लैजिस्लेचर में यह चीज डिसकस हो सकती है तो उसको फौलो करने में यहां क्या हर्ज है। इसलिए आप अपने फैसले को रिव्यू करें और हमारी एडजर्नमैंट मो ान एडमिट करने की कृपा करें। इसके अलावा स्पीकर साहब हमारे आनरेबल मैम्बर आर्य साहब ने पहले ही इस तरफ ध्यान दिलाया है कि पिछले दो दिन से डायरैक्टोरेट के एम्पलाइज पैन डाउन स्ट्राईक पर हैं। अगर डायरैक्टोरेट में किसी अफसर की फोन करें तो जवाब मिलता है ''सौरी सर, फाईल निकल नहीं सकती क्योंकि क्लकर्स पैन डाउन स्ट्राईक पर हैं'' स्पीकर साहब मैं काल अटैं ान मो ान के जरिए यह जानना चाहता था कि जब उनसे वायदे किए हैं तो उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जाता ? यह सरकार उनसे क्यों नाराज है ? आखिर वे आपके ऐम्पलाईज हैं और गवर्नमैंट के पार्ट एंड पार्सल हैं। गवर्नमैंट उनके बिना चल नहीं सकती। स्पीकर साहब, मेरे और भी कई काल अटैं ान मो ांज हैं। अगर उन सबके बारे में आपकी रूलिंग आ जाए तो मेहरबानी होगी।

श्री हरिचन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैंने भी कई काल अटैं ान मो ांज दिए थे लेकिन आपने वे सब रिजैक्ट कर दिए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ नुक्सान हो रहा है वह तो हो ही रहा है लेकिन आगे आने वाले नुक्सान से बचने के लिए अभी से कोई कदम उठाए जाने चाहिए। पिछले साल मेरे हलके को फल्ड ने बहुत अफैक्ट किया था और लोग बहुत परे ाान हुए थे। जितना नुकसान हो

गया और जिन लोगौं को ऐक्सट्रिमिस्टस मार गए, उनको तो सरकार वापस ला नहीं सकती, लेकिन आने वाला फल्ड अब बहुत दूर नहीं है। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह अपने वाले फ्लड का अभी से पूरा इंतजाम करें। जो स्कीम्ज स्वीकार की गई हैं, जिन स्कीम्ज के बारे में सरकार पिछले चार साल से हां भरती रही है, चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल और इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर श्री सुरजेवाला ने जिन स्कीम्ज के बारे में मेरे से कमिटमैंट की है और लिख कर भी दिया है लेकिन हुआ कुछ नहीं, उन्हें इम्पलीमैंट करके आने वाले फ्लड को रोका जाए।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया है कि सारे हरियाणा में और खास तौर पर सिरसा जिले में चने, सरसों और गेहूं की फसल ओलावृश्टि पानी की कमी और बिजली की कमी से तबाह हो चुकी है।

श्री अध्यक्षः उसे मैं ऐडमिट कर रहा हूं।

श्री भागी रामः बहुत अच्छा जी।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, सारे प्रदे ा में कौटन की फसल बरबाद हो गई है। कौटन की फसल पंजाब में भी बरबाद हुई है। और हमारे प्रदे ा में भी बरबाद हुई है। पंजाब में तो लोगों को कम्पनसे ान भी मिल रहा है और आबियाना भी माफ हो रहा है लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है। हरियाणा में जो 50 परसैंट से ज्यादा कौटन की क्रौप बरबाद हुई है उसकी

और मैंने अपने काल अटैं ान मो ान के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्शित किया है। क्या आप बताएंगे कि उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्षः भीत लहर से फसलों को होने वाले नुकसान से सम्बन्धित काल अटै ान मो ान को मैंने ऐडमिट कर लिया है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः धन्यवाद जी।

चौधरी ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैं ान मो ान दिया था। वह कोल्ड वेव के कारण चने और सरसों की फसल के नुकसान के बारे में था।

श्री अध्यक्षः आपका नाम भी उसमें है।

चौधरी ओम प्रका ाः मेरा दूसरा काल अटैं ान मो ान प्रदे ा में बिगडती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के बारे में था। क्या आप बताएंगे कि उसका क्या फेट रहा ?

श्री अध्यक्षः उसका मैं अभी जिक्र करूंगा।

चौधरी हुकम सिंह फोगाटः मैं भीत लहर से भात प्रति ात फसल खराब हो चुकी है .....

श्री अध्यक्षः यह बात पहले हो चुकी है।

प्रो0 सम्पति सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस स्थान प्रस्ताव का आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया उसकी और भी ज्याद आव यकता हो गई है। कल एक और घटना घट गई है। हमारे आदरणीय चौधरी भाकरूल्ला जी के फलैट में कल कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। (ाोर) मैं बाकायदा जिम्मेवारी से कहता हूं कि कल भााम वहां आग लगी है। हो सकता है किसी क्रिमिनल आदमी ने ऐसा किया हो या हो सकता है किसी और वजह से आग लगी हो, लेकिन यह फैक्ट है कि बिस्तर तक जले हैं, चारपाईयां जली हैं और फायर ब्रिगेड वहां आया है।

श्रीमती चन्द्रावतीः दहेज के लिए किसी महिला को तो नहीं फूंक रहे थे ? (ाोर)

चौधरी भाकरूल्लां खांः स्पीकर साहब, मैं असैम्बली में था। मुझे टेलीफान आया कि आपके फलैट में आग लग गई। मैं वहा गया। मेरे हल्के से लोग आए हुए थे और बिस्तरों पर सो रहे थे। किसी से वहां बीडी गिर गई और यह कांड हो गया। (ाोर)

चौधरी नर सिंह ढांडाः अध्यक्ष महोदय, अभी हुड्डा साहब ने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है और फ्लडज की रोक थाम के लिए कुछ किया जाना चाहिए। मेरे हल्के पाई में फ्लड से बहुत नुकसान होता है। वहां की ड्रेंज की सफाई नहीं हुई है और उन ड्रेंज के ऊपर पुल भी नहीं बने हैं इस तरफ सरकार को अभी से ध्यान देना चाहिए। (विघ्न)

श्रीमती बसन्ती देवीः स्पीकर साहब, जब ओलों से फसल नश्ट हो जाती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। मेरे हल्के में 6 गांवों में पानी खडा है और उनकी दोनों फसलें नश्ट हो चुकी हैं। मैं सी0एम0 साहब से यह जानना चाहती हूं कि उन्हें मुआवजा देने के लिए क्यों कंसिडर नहीं किया जाता ? (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अभी बताएंगे।

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, अगर फसल बाढ और ओला वृश्टि से खराब हो जाती है तो सरकार किसानों को मुआवजा दिती है। इसी से मिलती जुलती बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रदे ा में दो तीन महीने स्कूल बंद रहे हैं और उससे बच्चों की पढाई में बहुत नुकसान हुआ है। यह एक किस्म से उनके ऊपर ओला वृश्टि ही है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मिडल और मैट्रिक के बच्चों को हर पेपर में 15 नम्बर ग्रेस के तौर पर दिए जाने चाहिएं।

चौधरी रो ान लाल आर्यः स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान दो बातों की ओर आकर्शित करना चाहता हूं। एक तो हरियाणा के नेत्रहीन कई दिनों से आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार ने उनकी जो मांगे मान ली थी लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। दूसरी बात यह है कि विकलांग तथा नेत्रहीनों को बसों में बिना टिकट यात्रा

करने की सुविधा दी गई थी लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। इस पर भी अमल होना चाहिए।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने आपको एडजर्नमैंट मो ान दी थी और उसके बारे में आज आपने रूलिंग देनी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ ? (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः मेरी भी एडजर्नमैंट मो ान थी। उस पर भी आपकी रूलिंग आनी थी। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्षः ला एंड आर्डर के बारे में जो कुछ काल अटैं ान मो ान और एडजर्नमैंट मो ांज थीं, वे मैंने सारी की सारी काल अटैं ान मो ान में कन्वर्ट करके एडमिट कर ली है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब लोकसभा में पंजाब की सिचुए ान को देखते हुए एडजर्नमैंट मो ान एडमिट की है। हमारे तो आपने प्रदे ा में ही हालात खराब हैं, यहां तो अव य ही एडमिट होनी चाहिए ? (व्यवधान)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब हम आपके फैसले से संतुश्ट नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, हरियाणा में ला एंड आर्डर की सिचुए ान बहुत ही खराब है। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब और माननीय विधायिका श्रीमती भाांति देवी पर जी0टी0 रोड पर अटैक हुआ है और आपके घर पर भी कुछ लोगों ने अटैक

किया है। आज के दिन हरियाणा में इतनी घटनायें हो रही हैं और फिर भी एडजर्नमैंट मो ान एडमिट न हो तो बडे दुःख की बात है। पिछले दिनों जीन्द और पानीपत में ला एण्ड आर्डर की बहुत खराब सिचुए ान थी। सिरसा में कालांवाली के पास रेल की पटडी उखाड दी गई। इसलिए मेरी आपसे गुजारि ा है कि एडजर्नमैंट मो ान जरूर एडमिट होनी चाहिए और इसा पर डिस्क ान अलाउ करनी चाहिए। इसे एडमिट करके आगे के बिजनैस को स्थगन किया जाये। आप रूल्ज के कस्टोडियन हैं। हमारे कई साथियों ने एडजर्नमैंट मो ान दी हैं इसलिए आप इसे जरूर एडमिट कीजिए ताकि हम अपनी बात कह सकें और सरकार को आप कहें कि इसका जवाब दें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब आपने काल अटैं ान मो ान तो एडमिट कर ली लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने फैसले को रिव्यू कीजिए। आज की सिचुए ान की ग्रेविटी को देखते हुए और ला एंड आर्डर की प्रोब्लम की सीरियस नैस को देखते हुए यह एडमिट होनी जरूरी है। ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान खराब होने से स्टेट में एटमौसफियर टैंस हो गया है। काल अटैं ान पर तो मुख्य मंत्री जी बोल लेंगे और हमें आप एकाध सवाल करने का मौका दे देंगे। अगर आप एडजर्नमैंट मो ान एडमिट करते हैं तो हम डिटेल में अपनी बात कह सकेंगे और बाद में मुख्य मंत्री जी डिटेल में जवाब दे सकेंगे। सारी बात कलियर हो जायेगी। ऐसा करने से एटमोसफियर को

ठीक करने में हैल्प मिलेगी। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर पुनर्विचार कर लीजिए और एडजर्नमैंट मो ान को एडमिट कर लीजिए। हमारे लोक सभा के स्पीकर साहब ने पंजाब की सिचुए ान को देखते हुए एडजर्नमैंट मो ान को एडमिट करके एक अच्छा पैसिडैंट कायम किया है। हमें भी लोक सभा को फालो करने में कोई हर्ज नहीं हैं यही मेरी आपसे रिक्वैस्ट है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब आपने जो रूलिंग दी हैं उसे मैं चैलेंज नहीं करता लेकिन आपसे प्रार्थना अव य करना चाहता हूं कि कल आपने एक तरह से हाउस की सैंस ले ली थी। ट्रेजरी बैंचिज, अपोजी ान और चीफ मिनिस्टर साहब खुद चाहते थे कि ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान पर डिस्क ान कर ली जाये। जब सारे हाउस की सैंस थी तो ऐसा महसूस होता था कि आप जैसे मौतवर और एक्सपीरियंसड आदमी जरूर यह फैंसला देंगे कि एडजर्नमैंट मो ान को एडमिट किया जाता है। मैं आपसे मोदबाना गुजारि ा करूंगा कि यह डिस्क ान टैंस सिचुए ान को डिफ्यूज करने में हैल्पफूल होगी। मैं आपसे इतना भी कह सकता हूं कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो जिम्मेदार की न हो। इस डिस्क ान में सिचुए ान बिगडने की कोई बात नहीं होगी। हम भी इक्वली कंसर्न्ड हैं। हम चाहते हैं कि यह सिचुए ान जितनी जल्दी डिफ्यूज हो सके, उतना ही अच्छा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपनी रूलिंग रिव्यू करें अगर आप इसे रिव्यू नहीं करेंगे तो हम आपके

फैसले से एग्री नहीं करेंगे और हमें मजबूरन वाक आउट करना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब आपने काल अटैं ान मो ान एडमिट करके बहुत ठीक फैसला लिया है। माननीय सदस्य कल राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बहुत डिटेल में ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान के बारे में कह चुके हैं और आगे भी उन्हें मौका मिलेगा और उसका डिटेल में सरकार की आरेर से जवाब भी दिया जायेगा। जिन माननीय सदस्यों ने एडजर्नमैंट मो ान दिया है, उन्होंने कल भी सारी बातें कह दीं हैं बहिन चन्द्रावती ने और डा0 मंगल सैन जी ने, डिप्टी स्पीकर साहब पर जो हमला हुआ उसके बारे में काफी डिटेल में कहा है। जब भी कोई सदस्य बोलने के लिए खडा हुआ, सबसे पहले उसने ला एण्ड आर्डर के विशय में बोला है और उन्हें ला एण्ड आर्डर के बारे में बोलना भी चाहिए। आज जब राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर डिस्क ज्ञन होगी तो उस समय भी मौका मिलेगा और बाद में हमें भी जवाब देने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह भी है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर अभी तीन दिन और बहस होनी है, उसमें भी सारी बातें आयेंगी और हमारी ओर से जो जवाब आयेगा, उसमें भी सारी बातें आयेंगी। सभी सदस्यों को बोलने का पूरा समय मिलेगा, इसलिए आपने जो फैसला लिया है। उसे माननीय सदस्यों को मानना चाहिए और हाउस की कार्यवाही चलने देनी चाहिए।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। हमारे दे ा की सर्वोच्च लैजिसलेचर पार्लियामैंट है। पार्लियामैंट में अगर कोई प्रैसिडैंट कायम हो जाये तो उसे हमें भी मानना चाहिए। राश्ट्रपति का अभिभाशण होता है तो उस पर मैम्बररान को खुल कर सारी बातें कहने का मौका मिलता है। यहां से ज्यादा फैसेलिटी और लायबिल्टी वहां पर है। लोक सभा के स्पीकर ने पंजाब की सिचुए ान को देखते हुए एडजर्नमैंट मो ान एडमिट किया। वहां प्राईम मिनिस्टर साहिबा ने और पार्लियामैंट एफेयर्ज मिनिस्टर इंचार्ज ने अपनी कंकरैंस दी लेकिन यहां पर मुख्य मंत्री जी इजाजत नहीं देना चाहते। कल इनका व्यू था कि ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान पर डिस्क ान होगा और मैम्बर साहेबान भी आ ाा करते थे कि वे सारे सूबे की ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान पर रो ानी डालेंगे। कल इन्होंने इस आगस्ट हाउस में कनसैट दे दी थी और आज वे रिगल आउट कर रहे हैं। यह उनके लिये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि पार्लियामैंट के आनरेबल स्पीकर के फैसले की रो ानी में यहां पर भी एक अच्छा प्रेसिडैंट कायम हो। हमारी विधान सभा को लोकसभा के अनुसार ही इस एडजर्नमैंट मो ान को एडमिट करना चाहिए।

श्री राम विलास भार्माः स्पीकर साहब मैं एक नयी बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। अगर यह एडजर्नमैंट हो जाये तो इससे प्रदे ा का भला होगा। जब पंजाब में ला एण्ड आर्डर

की सिचुए ान खराब होनी भाुरू हुई थी तो उसे गम्भीरता से नहीं लिया गया था और दिन प्रति दिन सिचुए ान खराब ही होती चली गई। हमारा प्रांत भी पंजाब का पडौसी प्रांत है। हमें खतरा है। कल कालांवाली में रेलवे लाईन को उडा दिया गया। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो ऐतिहासिक कोताही होगी और हरियाणा के लोग हमें माफ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्षः कोई नयी बात हो तो आप कहें। यह तो औरौं ने पहले ही कह दिया है।

प्रो0 सम्पति सिंहः स्पीकर साहब आपने माननीय सदस्यों ने और मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा होगा कि पांच सात दिनों से रोजाना अखबारों में आ रहा है कि पंजाब से इस उग्रवादियों का जत्थ हरियाणा में आया हुआ है और वही जत्था इस किस्म की कार्यवाही कर रहा है। कम से कम मुख्य मंत्री जी की ओर से एक स्टेटमैंट आए कि आया उस जत्थे का पता लगा है या नहीं। उसे जत्थे को पकडने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यह हाउस को पता लगना चाहिए।

11.00 बजे।

श्री अध्यक्षः इस सब्जैक्ट पर एडजर्नमैंट मो ांज और काल अटैं ान मो ांज को एज काल अटैं ान मो ान के तौर पर एडमिट किया है। यह सोच समझ कर और कंसल्ट करके किया है।

श्री मंगल सैनः सोच समझ कर तो बात समझ आती है लेकिन कंसल्ट किसको किया है ?

श्री अध्यक्षः मैंने किताबों को कन्सल्ट किया है। पंजाब वालों का या लोकसभा वालों को कंसल्ट नहीं किया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैंने गवर्नमैंट से यही कहा है कि वह सारे हरियाणा प्रदे ा में छोटी से छोटी बातों का इंसीडैंटस की डिटेल और क्लीयर स्टेटमैंट दें। इनमैं 7–8 मैम्बर्ज का नाम है। यह काल अटैं ान मो ान उनके नाम से बनता है। इन 7–8 सदस्यों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। उस समय घंटा सवा घंटा टाईम इस पर जरूर लगेगा। आप इतने ज्यादा टची इस मामले में न हों। मेरा ख्याल यह है कि जितना नुक्सान मेरे जिला का हुआ है, उतना भाायद ही किसी दूसरे जिले का हुआ होगा। आप क्या समझते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर साहब पर हमला हुआ है और बहिन भाान्ति देवी पर हमला हुआ है, जो मेरे भाहर की हैं, इनके बारे में मेरी फीलिंग्ज आप से कम है ? मेरी फीलिंग्ज आपसे कम नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जो मैंने फैसला किया है, वह ठीक किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको आनर करें।

वाक आउट

Sh. Verender Singh: We respectfully disagree and stage a walk out.

श्री मंगल सैन: सर, हम आपके एक ान से डिफर करते हैं और एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

(At this stage, all the Opposition Members staged a walk out)

वक्तव्य

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा राज्य में बिजली आदि की कम सप्लाई संबंधी–

श्री अध्यक्ष: 13 मार्च 1984 की इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर ने सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह, हीरा नन्द आर्य, डा0 मंगल सैन और श्री रामविलास भार्मा के भाौर्ट सप्लाई आफ इलैक्ट्रिसिटी आदि संबंधी काल अटैं ान मो ान के बारे में आज स्टेटमैंट देने के लिए कहा था। वे कृपया अपनी स्टेटमैंट दें।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): The install generation capacity which came to the share of the State in November 1966 ws 343 M.W. Corresponding to the above generation capacity, the daily availability was around 17.20 L.U. (Lac Units) per day.

2. In the subsequent years 331 M.E. (Mega Watts) of Hydel generation and 403 MW of thermal capacity were added raising the total installed capacity to 1077 MW by the end of 1979-80. Correspondingly, the availability increased to 80-90 L.U. per day. The generation capacity was further augmented

by 333 M.W. comprising of 214 MW Hydel and 119 MW Thermal during the period 1980-84. Notable among these additions were commissioning of Panipat 110 MW Unit-II, Faridabad 60 MW Unit-III and two units of 165 MW each at Dehar by Beas Construction Board.

3.The following figures of electricity connections would indicate the growth in demand: -

Category of Connection	No. of Connections (in thousands)		
	1967	1980	Dec. 1983
General	282	850	1189
Industrial	97	38	51
Tubewells	20	204	257
Total	399	1092	1497

4. With the phenomenal rise in the growth of consumers, the demand also increased steeply. Whereas in the year 1967, it was 17 to 20 L.U., it rose to 100 to 120 L.U. in the year 1980 and presently, it varies between 130 L.U. to 160 L.U. per day. This demand consists of 55 to 60 L.U. for industrial sector and 30 L.U. to 100 L.U. for agriculture sector, the remaining being consumed by other consumers.

5. The power supply for the current year remained comfortable till June 1983. The supply position in the State became difficult from July, 1983 onwards because one of the machines at Panipat was taken out on capital maintenance for

a perios of 2-2½ months, but got prolonged as a result of a fault in tis generator. This Unit has since come into operation on 1st February 1984. Full share as was allocated to the State from Central projects also did not flow due to constraints of the transmission system and severe power shortage in the States where such projects are located. As a result, consumption of the consumers in various sectors had to be regulated so as to keep within the availability.

6.The policy on regulation and distribution of supply has been as follows :-

(a) The Government has accorded the highest priority to agriculture sector and efforts were made to meet its minimum needs. Accordingly, agriculture sector was allocated 8 hours of supply per day.

(b) The industry was subjected to 2-3 off days in a week with a cut upto 60% on continuous process industries.

(c) Urban feeders were switched off for 8 hours daily in November 1983, and this period was reduced to 5 hours from December, 1983 onwards.

7. Present Position

With the recommissioning of the 2nd 110 MW Unit at Panipat in February 1984, the supply position has improved and presently the availability is of the order of 130 LU/day. The restrictions have therefore been relaxed. The following regulations are at present applicable :-

(a)	Agriculture Sector:	

	Arid areas:	10 hours supply daily
	Non-arid areas:	8 hours supply daily
(b)	Industrial Sector:	
	Industries to observe two off day a week and 50% cut on continuous process industries.	
(c)	Other remaining sectors:	
	Urban Feeders are switched off for 3½ hours daily.	

8. It has been estimated that by the year 1989-90, peak demand in the State will touch 2096 MW and energy demand will be about 300 L.U. per day. To meet the demand, the following projects are in hand for execution which are likely to commission within the time indicated against each:-

Sr. No.	Name of the Project	Capacity in M.W.	Cost in Rs. Crores	Commissi-oning schedule	Likely availabi - lity in lac units per day
i	Panipat Stage-II	220	160	1985-86	20-30
ii	Panipat	210	210	1986-87	20-30

	Stage-III				
iii	Western Yamuna Canal (State-I)	48	62	1985-87	8-10
iv	Yamunanagar Thermal Power Project	420	312	1989-90	40-60
v	Western Yamuna Canal (Stage II)	16	18	1989-90	4-5
vi	Nathpa Jhakri Hydro Electric Project (haryana' Share)	432	400	1989-90	20-56
Haryana's Share in Future Central Projects					
i	Singrauli	200	Finance by Govt. of India	1987-88	10-20
ii	Salal (3x115 MW)	66	Do	1986-87	5-7

		1612			

9. With the power becoming available from the above sources the demand capability will increase to 1900 MW and energy available is expected to be of the order of 250-300 L.U. per day in the year 1989-90. Our Government is also actively pursing for installation of an atomic power station in the State.

10. Rapid increase in the demand affects the supply condition. For this purpose the transmission and distribution system has to be strengthened. This aspect has been receiving constant attention of the State Government. The progress achieved in the installation of grid sub stations is given below :-

Year	Number of sub stations			
	220 KV	132 KV	66 KV	33 KV
Ending 1966-67		4	7	36
Ending 1982-83		33	36	166
Addition during 1983-84	2	3	4	3

11. With the addition of new sub stations and augmentation of existing sub stations, considerable improvement in the quality of supply would be ensured.

12. Another step taken in this direction is addition of capacitors at consumer's premises and grid sub stations.

The present installed capacity of capacitors totals to 422 MVAR for L.T. and H.T.

13. Taking notice of difficult situation, the Government has constituted an advisory committee including some members of the House to identify areas requiring immediate attention with a view to improving consumer's services.

14. Government and the Board have further taken steps to make structural changes at various levels of the Board. It is also proposed to re-organize commercial cell so that consumers' cases or other references made by the field are promptly attended to. This will also speed up the recovery fo the defaulting amount through better follow up.

15. I am also happy to inform this August House that the resolving of consumers's problems have been adequately recognised at the various levels in the Board. Recently, a seminar on Better service to consumers was held at Faridabad. There are plans to hold more seminars at different places in the State so that the consumers' problems are brought into focus and the communication gap between the consumers and the Board hierachy is bridged.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अभी बिजली के वजीर साहब ने अपना स्टेटमैंट पढा है। हमारी डिफिकल्टी यह है कि रूल 84 के तहत तो हम सारी बातें कह सकते हैं लेकिन अब जो जवाब से निकलता है, वहीं कहना पडेगा। आपने वर्तमान स्थिति

को तो मिनिमाइज किया है और भविश्य का बडा उज्जवल चित्र खींचा है। पैरा पांच में आपने कहा है –

"The supply position in the State became difficult from July 1983 onwards because one of the machines at Panipat was taken out on capital maintenance for a period of 2-2½ months .....

आपने कहा है कि पानीपत की एक म ीन अढाई महीने के लिए स्टेट से बाहर ले जाई गई थी और उसकी मरम्मत में ज्यादा समय लग गया। इसके साथ ही साथ आप यह भी बताइए कि कितना समय लग गया और क्यों लग गया था ? आपने कहा है कि सैंट्रल पूल से बिजली कम मिली। इसका क्या कारण है? क्यों कम मिली ? अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी यह है कि बिजली दूसरे प्रदे ा यानी रायबरेली को भेजी गई क्या यह ठीक है ? आपने स्टेटमैंट के तीसरे पेज पर कहा है –

"My Government is also actively pursing for installation of an atomic power statioin in the State."

मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रोग्रैस हुई है ? इस संबंध में क्या कौरसपौंडैंस हुई है ? यह ऐटोमिक पावर स्टे ान किस जगह पर लगाने जा रहे हैं और इस पर कितना खर्च होने जा रहा है ?

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, आप एक क्वे चन पूछिए। इतने सारे सवाल आप पूछ लेंगे तो मिनिस्टर साहब कैसे जवाब देंगे ?

श्री मंगल सैनः मिनिस्टर साहब बहुत इंटेलीजैंट हैं ? वे जवाब दे सकते हैं।

श्री अध्यक्षः इंटेलीजैंट होने में तो कोई भाक नहीं है लेकिन सब सवालों को ये याद कैसे रख सकेंगे ?

श्री मंगल सैनः आपने यह भी कहा है कि मैम्बर्ज को ऐसोसिएट किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपोजी ान का भी कोई मैम्बर लिया जो आपको सही राय दे सकें, या अगूंठा लगाने वाले ही लिए हैं ? आखिर में इन्होंने कहा है कि जो नए चेयरमैन आए हैं, उन्हौंने फरीदाबाद में बैटर सर्विस टू कंज्यूमर नाम का एक सैमिनार होल्ड किया है। अध्यक्ष महोदय, क्या फरीदाबाद ही सारी बातों की मौनोपली हैं ? हमसे भी पूछ लेते कि यहां गड़बड़ है। अध्यक्ष महोदय, क्वे चन आवर में आपने मेरा क्वे चन काल अपोन नहीं किया वरना मैं बताता कि बिजली बोर्ड में कहा भ्रश्टाचार व्याप्त है। इसके बारे मे हम चीफ मिनिस्टर और इनके नोटिस में भी लाए हैं कई केसिज हैं जिनका इनको पता है। क्या ये हाई कोर्ट का जज उनकी इंक्वायरी के लिए अपाएंट करेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब ने छः सात सवाल कर दिए हैं। मुझे जो भी याद हैं मैं उनके जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल प्लांट की म ाीन की मरम्मत में देरी हो गई थी और वह जनवरी के ऐंड में

जाकर चालू हुआ। बिजली की सप्लाई में पहली फरवरी को इम्प्रूवूमैंट हुई। इसमें जो डिले हुई है, उसके लिए आलरेडी इंक्वायरी कमेटी सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथौरिटी के अंडर बना दी गई है। उसमें सी0ई0ए0 के मैम्बर चेयरमैन है और तीन टैक्नीकल आदमी और हैं। यह गवर्नमैंट आफ इंडिया की पब्लिक अंडरटेंकिग्ंज हैं ? इंडिपैंडेंट बौडी है। इंक्वायरी के बाद रिस्पौंसीबिलिटी फिक्स की जाएगी। दूसरी बात यह है कि सैंट्रल पुल में से बिजली और मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमें पूल में से बाई एंड लार्ज बिजली मिलती रही है। जहां तक दूसरी स्टेटस को बिजली देने का प्र ान है। कभी कभी दूसरी स्टेटस में बिजली की डिफिकल्टी हो जाती है और इसी तरह से हमारी स्टैट में भी डिफिकल्टी हो सकती है। डा0 साहब ने यह पूछा है कि सैंट्रल पूल से हमें कितनी बिजली मिली। अध्यक्ष महोदय, यह 10 लाख 25 लाख और 30 लाख यूनिटस में वेरी करता है। मैं एक एक दिन और एक एक महीने की फिगर दे सकता हूं। मैं हाउस को साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि बिजली की जरूरत और उसकी उपलब्धि में जो गैप है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको दुबारा रिअसैस किया है। सैंट्रल पूल से अब जो बिजली मिलेगी, यह उस रिअसैसमैंट का आधार है। इस आधार पर हमें अब बिजली मिलेगी। जिस स्टेट का गैप वाइंड है, वहां बिजली ज्यादा मिलेगी और जहां गैप कम है जनरे ान और कंजम्प ान में, वहां कम बिजली मिलेगी। दुबारा प्राजैक ान के बाद जो हमने फिगर्ज दी हें, उसके आधार पर हमें सैंट्रल पूल से बिजली मिला करेगी

और पहले से ज्यादा मिलनी भाुरू हो गई है। स्पीकर साहब, अब मैं अटौमिक प्लांट के बारे में बताना चाहता हूं। नार्दन इंडिया यू0पी0 में नरोरा नामक जगह पर और दूसरा राजस्थान में कोटा नामक जगह पर एटोमिक प्लांट है। साउथ में भी इसी तरह का एक प्लांट लगता है। पंजाब और हरियाणा में भी एक जगह पर ऐसा ही प्लांट लगना है। हरियाणा का केस मजबूत है। यहां पर हाईड्रो रिसोर्सिज काफी वाईड है। (अपोजी ान की तरफ से भाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं इन अपोजी ान के भाईयों से भी कहूंगा कि ये भी हमारा इस मामले में साथ दें। इसी संदर्भ में अभी पिछले दिनों एक सैंट्रल टीम हमारे यहां वेरियस साईटस को विजिट कर के गयी हैं। सरकार इस बारे में पूरी जागरूक है और यह प्लांट हमारे हरियाणा में ही स्थापित होना चाहिए।

इसके बाद एक और बात कमेंटी के बारे में कही गई। उसमें हमने 12 एम0एल0एज0 को नौमीनैंट किया और चार आदमी उस कमेटी में टैक्नीकल भी हैं।

श्री मंगल सैनः क्या नाम हैं उन एम0एल0एज0 के जरा बता दीजियेगगा।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, इस वक्त उन एम0एल0एज0 के नाम तो मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं हमने हर जिले में से एक एक एम0एल0ए0 किया है, सारे एरियाज में से एम0एल0एज0 नहीं लिये हैं

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये बडे उदार हैं, इनको चाहिए कि हरेक ग्रुप में से एक एक को ले लें।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, जो सुझाव इन्होंने दिया है, सरकार उस पर विचार करेंगी।

इससे अगली बात फरीदाबाद में जो सैमीनार हुआ था, उस बारे कही गयी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि न ही यह सेमीनार हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड ने और न ही सरकार ने करवाया था। यह तो इंजीनियर्ज की एक आर्गेनाइजे ान ने स्पांसर किया था और उस सेमीनार में यह सुझाव दिये गये थे कि इस तरह के सेमीनार्ज हरेक जिले में और रूरल एरियाज में भी होने चाहिए। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रीयल टाऊन है। अब सरकार ने यह फैसला किया है कि हर महीने इस तरह के सेमीनार्ज कहीं न कहीं अव य होने चाहिए। एक अप्रैल को पहला सेमीनार कर रहे हैं और इस तरह से हर महीने में एक सेमीनार करने का सरकार का पूरा पूरा प्रोग्राम है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमैंट पढी है। इससे यह जाहिर होता है जैसे कि सुबह क्वै चन आवर में भी उन्होंने यह माना कि स्टेट एक डिफीकल्ट दौर में से गुजर रही है। आगे के लिए जो रूप रेखा इन्होंने दी है, उसमें बताया है कि बिजली की पर डे कंजम्प ान अंदाजे के अनुसार 1989–90 तक 300 लाख यूनिटस तक पहुंच जाएगी

जिसके लिये इन्होंने पांच सात प्राजैक्टों का जिकर भी किया है। साथ में यह कहा कि 1990 से पहले पहले हम अपने टार्गेट को अचीव कर लेंगे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो ऐंग्रीमैंट आपने हिमाचल प्रदे ा सरकार से किया था उसको अखबारों से पढ कर ऐसा मालूम होात है कि वह एग्रीमैंट ऐग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और उसको सैंट्रल गवर्नमैंट खुद लेना चाहती हैं भारत सरकार उस प्रोजैक्ट को खुद कैरी आऊट करना चाहती है, क्या यह बात उनके नोटिस में है ? इन्होंने बताया कि 20 से 50 लाख यूनिट तक बिजली हमें मिलेगी। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने किसी बेस पर यह कह दिया कि 20 से 50 लाख यूनिटस तक बिजली हमें मिलेगी। जबकि इस तरह का उस सरकार के साथ कोई ऐग्रीमैंट ही नहीं हुआ है ? यहां पर किसलिये ये इस सम्माननीय सदन को गुमराह कर रहे हैं ?

इससे अगली बात फरीदाबाद में जो सेमीनार हुआ था उस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं। हम तो उस सेमीनार में गये नहीं, हमने तो अखबारों में ही पढा है कि मंत्री जी ने उस सेमीनार में प्रिजाइड किया था और साथ में यह भी अखबारों में आया था कि मंत्री जी ने उस सेमीनार में अपने विचार व्यक्त किये थे और उन्हें वहां पर बडी निरा ाा हुई थी। इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के काम काज से मंत्री जी निरा ा हुए थें क्या मंत्री जी बताएंगे कि अब इस सेमीनार के बाद इंजीनियर्ज से इनकी निरा ाा दूर हो गयी है ? क्या अब वर्किंग में कोई इम्प्रूवमैंट आने की संभावना है

? क्या कोई काम काज में इम्प्रूवमैंट हुई है ? इसके इलावा मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जो एम0एल0एज0 की एक कमेटी बनायी गयी है। क्या उस कमेटी में मौजूदा इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे मैम्बर भी इन्क्लूडिड हैं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इनको यह बताना चाहता हूं कि नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट से हमें 20 से 50 लाख यूनिट तक बिजली मिलने की सम्भावना हे। यह ऐग्रीमैंट इंटैक्ट है, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस तरह के फैसले अखबारों की खबरों के आधार पर नहीं होते। बात यह है कि नाथपा झांकडी प्रोजैक्ट के बारे में अभी तक सैंट्रल कैबिनिट से फाइनैंि ायल क्लीरैंस नहीं मिली हैं। वह इसलिए पैंडिंग है कि पहले यह देखना है कि स्टेट के फाइनैंि ायल रिसोर्सिज कितने हैं। भारत सरकार के अधिकारी यह चाहते थे कि इसको सातवीं प्लान में ले जाया जाए जबकि हरियाणा और हिमाचल प्रदे ा को सरकारें यह चाहती हैं कि यह प्रोजैक्ट छटी प्लान में ही चालू हो जाए। इसलिए हरियाणा सरकार ने अपने हिस्से का पैसा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, सडकें बन गयी हैं। और कालोनीज बन रही हैं सैंटर द्वारा खुद बनाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यही कोि ा ा है कि हरियाणा और हिमाचल की दोनों सरकारें खुद बनाएं। मुझे यह कहने में भी कोई एतराज नहीं है

कि चाहे हिमाचल बनाए, चाहे सैंट्रल गवर्नमैंट बनाए, हरियाणा को उसमें से बिजली अव य मिलेगी और नाथपा झांकडी से यमुनानगर तक बिजली की लाईन बनेगी। इसमें ऐसी कोई वि ोश बात नहीं है कि अगर सैंट्रल गवर्नमैंट बनाएगी तो हरियाणा को बिजली नहीं मिलेगी। बिजली हरियाणा को अपने हिस्से की अव य मिलेगी। अगर इस ऐंगल से अपोजी ान वाले देखते हैं कि हरियाणा को बिजली नहीं मिलेगी तो यह उनका सोचना और कहना ठीक नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब,मेरा प्वायंट आफ आडर है पिछले सत्र में नाथपा झांकडी प्रोजैक्ट के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने हाउस में यह आ वासन दिया था कि नाथपा झांकडी प्रोजैक्ट भाुरू हो रहा है और हरियाणा को अपने हिस्से को बिजली वहां से मिलेगी। अभी तक वे डिबेटस छपी तो नहीं हैं, अगर हमारे पास होतीं तो हम उनको बतलाते। इसलिए हमारी रिक्वैस्ट है कि मुख्य मंत्री महोदय की उस पिछली स्टेटमैंट को यहां हाउस में कोट किया जाए। अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है कालोनीज बन रही हैं, सडकें बन रही हैं ? (व्यवधान)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद सेमीनार में न मैंने निरा ाा प्रकट की थी और न ही कोई आ ाा प्रकट की थी। ऐसी कोई बात नहीं है। जो फेकचुअल बात थी, मैंने वही सेमीनार में कहीं थीं।

अगर मैं उस सेमीनार में फ्रैंक विचार प्रकट न करता तो ठीक नहीं था। मेरे दोस्त यह चाहते हैं कि मैं कहता कि सब ठीक है। न सब ठीक है, न ही सब खराब है। जहां तक कमेटी मीटिंग अटैंड करने का सवाल है, बिजली बोर्ड के सभी मैम्बर्ज और चेयरमैन स्वयं मीटिंग अटैंड करते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, पहले भी अखबारों में आया है कि लोगों को, उपभोक्ताओं को पूरी बिजली नहीं मिल रही है। इसका कारण यही है कि हमें सैंट्रल पूल से जितनी जितनी मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिल पा रही है। अगर यह बात ठीक है तो अब तक सरकार ने उपभोक्तआों को बिजली दिलवाने के लिये क्या प्रबंध किया है ? इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठायें जा रहे हैं ? नम्बर दो, जो थर्मल प्लांट बनाए हैं उसके बारे में सभी जानते हैं कि कोयले और तेल की जरूरत पडती है और इससे तैयार की गई बिजली भी बहुत महंगी पडती है। इन हालात में क्या सरकार हाइडल प्रोजैक्टस को प्रियोरिटी देगी ? क्योंकि हाइडल की बिजली की कास्ट हमें 10 पैसे प्रति यूनिट पडती है और थर्मल की एक रूपया या डेढ रूपया प्रति यूनिट पडती है। क्या सरकार सस्ती बिजली लोगों को सप्लाई करेगी ? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि भाुश्क क्षेत्रों में 10 घंटे प्रति दिन बिजली दी जा रही है और बिना भाुल्क वाले क्षेत्र में 8 घंटे प्रति दिन दी जा रही है। पहले भाुश्क इलाके में ये रोजाना 3–4 घंटे फालतू बिजली देते रहे हैं लेकिन अब केवल दो

घंटे ही फालतू दे रहे हैं। क्या सरकार शुष्क इलाकों को और ज्यादा बिजली देने का प्रयत्न करेगी ?

इन्होंने आगे बताया कि 1983–84 में 220 के0वी0 के 2, 132 के0वी0 के 3, 66 के0वी0 के 4 और 33 के0वी0 के 3 स्टे ान बनाए गए। मैं जानना चाहता हूं कि ये स्टे ांज कहां कहां पर बने हैं ? हमारा रेतीला इलाका है और ट्रांसमी ान लाइन इतनी ओवर लोडिड हैं कि अगर 24 घंटे बिजली मिले तो वह 10 घंटे भी बर्दा त नहीं कर सकती, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इनका पहला सवाल यह है कि हमें केन्द्र पूल से बिजली पूरी नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हम कभी भी सन्तुश्ट नहीं होंगे। अगर हमें पूरी बिजली मिलेगी तो भी हम कोि ा ा करेंगे कि हमें और ज्यादा बिजली मिले। बिजली में डैली फलैकयुए ान रहती है। कभी कम मिलती है तो कभी पूरी मिलती है। इस बारे में हम लगातार आवाज उठाते रहते हैं। मुख्य मंत्री जी जब भी दिल्ली जाते हैं, वे एनर्जी मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाते रहते हैं जब हमें दूसरी जगहों से कम बिजली मिलती थी तो उस वक्त हमें केन्द्र पूल से 10–20 लाख यूनिट प्रति दिन ज्यादा मिली है। दूसरी बात इन्होंने हाइड्रे प्रोजैक्टस को प्रियारिटी देने के बारे में कही। अध्यक्ष महोदय, इनके इलाके में पहाड हैं और उनमें पानी नहीं है। हाइडल की बिजली वहां पर कैसे बनेगी, इसका मुझे तो पता नहीं। ये ज्यादा

समझदार हैं इनको पता होगा। माइक्रो हाइडल प्रोजैक्टस हम लगा रहे हैं, वे भी उन्हीं जगहों पर लग रहे हैं जहां पर पानी का फाल है। इस तरह की स्कीम जमना पर बरोटी वाला के स्थान पर बनाई है।

श्री हीरा नन्द आर्यः नाथपा झांकडी के बारे में भी बताएं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः नाथपा झाकडी का प्रोजैक्ट अब सैवन्थ प्लान में आएगा। उसके लिये टोटल 1800 करोड रूपये चाहिएं। सरकार हर प्रोजैक्ट पर पब्लिक एक्सचैकर के द्वारा ही खर्चा करती है। सरकार के पास अपना मिनट तो है नहीं कि एकदम नोट छाप कर दे दें। इस खर्चे में 400 करोड रूपया हरियाणा का हिस्सा हैं

अगली बात इन्हौंने एरिड एरिया को ज्यादा बिजली दैने के बारे में कहीं। हम जब भी ऐसा टाईम टेबल बनाते हैं तो एरिड एरिया के लिए बिजली ज्यादा दी जाती है क्योंकि वहा ंपर पानी का डिस्चार्ज कम है। हमारे पास जैसे जेसे बिजली की उपलब्धि ज्यादा होगी, हम प्रयत्न करेंगे कि वहा ंपर और अधिक घंटे बिजली दी जाए। जहां तक नये स्टे ांज बनाने का संबंध है, उनमें से 220 के0वीव का एक स्टे ान नरवाना में और दूसरा बाद ााहपुर गुडगांव में है। हिसार नरवाना लाइन तो एनरजाइज हो चुकी है और पानीपत नरवाना लाइन पर बहुत थोडा सा काम

बाकी है। दूसरे 132 के0वी0 के स्टे ान संभालखा, जींद, आदमपुर और जीवन नगर में बने हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई तथा बिजली मंत्री जी से पूछना चाहात हूं कि पिछले दिनों में बी0बी0एम0बी0 से एच0एस0इ0बी0 का बिजली का भोयर कम ड्रा हुआ। जैसे 25.7.83 को देसू ने तो 42.60 लाख यूनिट ड्रा की और हरियाणा ने 20.58 लाख यूनिट ड्रा की। इसी तरह से 26.7.83 को देसू ने 48.65 लाख यूनिट ड्रा की और हमने सिर्फ 6.66 लाख यूनिट ड्रा की है। इसका क्या कारण था, हमने कम क्यों ड्रा की ? क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कर पाएंगे और जिन लोगों ने कम ड्रा की उनको जिम्मेदार ठहराएंगे ? अगला सवाल मेरा यह है कि 1983–84 के बजट में नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट के निर्माण के लिए 11 करोड रूपये एलोकेट किये गये थे। यमुना नगर थर्मल प्लांट के लिये सकरार का आ वासन था कि इसे हम बहुत जल्द भाुरू कर रहे हैं लेकिन आज तक वहां पर जमीन भी एक्वायर नहीं हुई है। (विघ्न) नाथपा झाकडी के बारे में तो मंत्री जी ने कह दिया कि इसे चाहे हरियाणा बनाये, चाहे हिमाचल बनाये, चाहे सैंटर बनाये, इनमें से हमें बिजली जरूर मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि बिजली मिलेगी कब ? अब तो इन्होंने इस प्रोजैक्ट को अगले प्लान में डाल दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि 1986–87 तक इसे ये कैसे पूरा करेंगे और इन्होंने मैनेजमैंट में क्या परिवर्तन किया है ? तीसरा सवाल मेरा यह है कि इन्होंने बताया

कि एरिड एरियाज में 10 घंटे बिजली दे रहे हैं बिजली की सब से ज्यादा मार गरीब किसान के ऊपर पडती है। फैक्टरी वाले तो फरीदाबाद मे ंसैमीनार कर लेते हैं। क्योंकि उनके पास साधन हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं जिनकी चार किल्ले की होल्डिंग हैं, जिनका आधार ही बिजली है, उनको सब से कम बिजली मिलती है। पिछले दिनों गुडगांव, भिवानी और महेन्द्रगढ में बिजली की चार घंटे रोजाना की एवरेज रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह दिन कौन साव होगा जब इन इलाकों को रोज 10 घंटे बिजली मिला करेगी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः माननीय सदस्य ने कुछ तारीखें पढीं कि उन दिनों में देसू ने ज्यादा बिजजी ड्रा की और हमने कम ड्रा की। ये फैक्टस मैं उनसे ले लूंगा और बाद में डैफिनिट जवाब दे सकता हूं। इस वक्त आफ हैंड मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे जब कोई स्टेट बिजली ओवर ड्रा करती है तो हम उसके अगेन्स्ट प्रोजैक्ट करते हैं। इसके अलावा मै। नाथपा झाकडी और यमुनानगर प्रोजैक्टस के बारे में आलरेडी कह चुका हूं। स्पीकर साहब, यमुनानगर थर्मल प्लांट के लिए और कालोनी के लिए जमीन की इक्विजी ान एडवांस स्टेज पर है और उसके लिये स्टाफ लगाया जा चुका है। उस थर्मल प्लांट को हम सेवन्थ प्लान में कम्पलीट करने की पूरी पूरी कोि ा ा करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक बडी वेग सी बात कह दी कि छोटे किसानों को बिजली नहीं मिलती। स्पीकर साहब, इस बारे में मैंने पहले ही

आंकडें पढ कर आपके सामने सुनाए थे, यदि आप इजाजत दें तो मैं दोबारा भी आंकडें पढ कर सुना देता हूं। स्पीकर साहब हमने बिजली की सप्लाई एग्रीकल्चर के लिए बिजली देने में प्राथमिकता दी है। एग्रीकल्चर को दूसरे अदायरों से ज्यादा बिजली मिली है। इसके मुकाबले में इंडस्ट्रीज को कम बिजली मिली है। अगर माननीय सदस्य इस बारे में हमारे पास कोई ि ाकायत लेकर आते तो हम उस ि ाकायत को दूर करने की पूरी कोि ा ा करते लेकिन हमारे पास ऐसी कोई ि ाकायत नहीं आई। किसी भी किसान ने मुझे बिजली के बारे में कोई ि ाकायत नहीं की।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, एच0एस0ई0बी0 में जो करनाल प्रिविलेंट है उसकी इंक्वायरी करने के लिए क्या मंत्री जी हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्षः इस बारे में आप मंत्री जी से इनके चैम्बर में मिल लेना।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनसे इनके चैम्बर में मिलने की क्या आव यकता है, मैं इनको इसी समय बता देता हूं। (ाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, ऐसी वेग बातों के लिए हाई कोर्ट के जज मुकर्रर होने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई ि ाकायत हमारे

नोटिस में लाएंगे तो सरकार उस पर अव य कार्यवाही करेगी। (विघ्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने लिख कर दिया हुआ है और मैं उस पर इन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की इंतजार कर रहा हूं।

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of noconfidence motion against me as Speaker from Smt. Chandravati, Shri Verender Singh and Dr. Mangal Sein, M.L.As., under Rule 11 of our Assembly Rules. The matter has been thoroughly examined keeping in view the constitutional and legal aspects thereof. Before I give my final decision on this motion, I would like to point out that both Article 179(c) of the Constitution and rule 11 of our Assembly Rules envisages for a resolution for the removal of the Speaker and not no confidence motion against the Speaker. In this instant case, the said Hon'ble Members have given a notice of no confidence motion which is thus not in corformity with the Article 179(c) of the Constitution and rule 11 of our Assembly Rules. Therefore, it deserves to be declared out of order. Further even such a resolution cannot be moved unless there are specific charges which could be met.

As regards ground No. 1 stated by the Hon'ble Members, I would like to say that no confidence motion

against the Council of Ministers which was brought on the last day of previous Session on 16th September 1983 was rightly rejected as the same was brought as a dilatory measure to unnecessarily prolong the Session because the Opposition got a number of opportunities to vote down the Government on different occasions i.e. during discussion on supplementary estimates, appropriation bill and other fice bills etc. Moreover, the report of the Business Advisory Committee including the motions under rules 15 and 16 had been adopted by the House. This motion relates to the ruling given a that time which is final unless it is rescinded by a motion brough for that purpose at that time. It is not alleged in specific form that ruling was based on other considerations/motives except bleak mentioning that ruling was given on “party politics”.

As regards the second ground that I took an active part in the election campaign of Congress in Fatehabad by elections, I would like to say that this charge is not supported by anything except a mere allegation.

So far as the third ground is concerned, the Secretary of the Vidhan Sabha has been appointed/selected by the Governor in consultation with the Speakder in accordance with the rules. It has not been mentioned that consultations rendered were for any extraneous consideration.

With regard to ground No. 4 this allegation is too general and vague. It is not supported by any material facts. Moreover, grounds Nos. 3 & 4 mentioned by the Hon’ble Members in thier so called no confidence motion relate to my administrative actions as a Speaker which cannot form the subject/basis for tabling a resolution for removal. I must say

that prima facie this motion is not properly worded and specific with regard to the charges. However, I do not want to stand on the technicalities as the motion is against the person occupying August office of the Speaker and because such matters ought to be thrashed out on the floor of the House. I, therefore, admit its notice.

Now, I request those members who are in favour of leave being granted to move this motion may please rise in their seats.

(At this stage, all the opposition members rose in their seats)

Mr. Speaker: The leave is granted. Please sit down.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपने मो ान को एडमिट करते वक्त जो आबजर्वे ान की हैं, मैं उसके बारे में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपने यह फरमाया कि आपने अपने खिलाफ नो कांफिडैंस मो ान एडमिट कर ली जबकि रूल्ज इसकी इजाजत नहीं देते। स्पीकर साहब, यह आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन आपने उस पर डिस्क ान होने से पहले ही अपनी आबजर्वे ान दे दी है, मैं इस बारे में कुछ सबमि ान करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आपको सबमि ान करने के लिए बाद में मौका दिया जाएगा। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अगर हमारी बात सुनने के बाद आप अपना फैसला देते तो अच्छा होता। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आपको अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाएगा (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपने उस मो ान का एडमिट करके सही काम किया है। मैं आपकी सेवा में एक अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, आपको मौका दिया जाएगा। उस समय आप चाहें मेरी तारीफ कर लेना चाहे मेरी सेवा भी कर लेना। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, अपोजी ान पार्टी की तरफ से आपके खिलाफ जो अवि वास का प्रस्ताव आया है, इस बारे में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर डिस्क ान और वोटिंग आज ही हो जानी चाहिए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं एक अर्ज करना चाहता हूं मेरे विरूद्ध नो कांफिडैंस मो ान को मूव करने की लीव दे दी गई है। इसलिए मेरा कोइ हम नहीं बनता कि मैं अब प्रिजाइड करूं। मैं डिप्टी स्पीकर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि he should take the Chair.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आप पहले हमारी सबमि ान सुन लें, उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब को चेयर पर बैठा देना।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सबमि ान डिप्टी स्पीकर साहब से कर लेना।

(तत्प चात श्री अध्यक्ष ने कुर्सी विकेट की तथा श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री हीरा नन्द आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं स्पीकर साहब से यह कहना चाहता था कि उन्होंने जो रूलिंग दी है, वह कंट्राडिक्टरी दी है। यदि नो कांफिडैंस मो ान अगेंस्ट रूल्ज है तो उन्होंने उसे एडमिट क्यों किया है ? (ाोर)

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा का स्थगन

Mr. Deputy Speaker: Please take you seat. Now I would request the Irrigation and Power Minister to move his motion regarding postponement of discussion on Governor's Address.

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That the discussion on the Governor's Address fixed for today be postponed in favour of the discussion on the motion of No confidence against the Speaker.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the discussion on the Governor's Address fixed for today be postponed in favour of the discussion on the motion of No confidence against the Speaker.

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: इस संबंध में डिप्टी स्पीकर सहब, मेरी दरख्वास्त यह है कि भाायद पंजाब के समय से ही या जब से पंजाब और हरियाणा अलग अलग बने हैं, तब से लेकर आज तक स्पीकर साहब के खिलाफ कोई नो कांफिडैंस मो ान नहीं आया। यह पहला ही मौका है जब स्पीकर साहब के खिलाफ एक्स्ट्रा आर्डनरी बातें कहीं गई हैं। बजाये इसके कि हाउस लगातार लम्बे समय तक स्पीकर की सेवाओं से वंचित रहें, अच्छा यही होगा कि इस पर आज ही बहस कर ली जाये। मैं अपनी बात की स्पोर्ट में रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल्ज 22 के सब रूल 2 की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब इस मो ान को एडमिट करते समय दो तरह की ओब्जर्वे ान देकर चले गऐ हैं।

श्री उपाध्यक्षः जो रूलिंग स्पीकर साहब देकर चले गये हैं। I cannot over rule that.

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, जो रूलिंग वे देकर चले गये हैं, वह कन्ट्राडिक्टरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो आर्टिकल हमने कोट किया है, उसके अनुसार मो ान ठीक नहीं है। यदि हमारी मो ान इन आर्डर नहीं थी तो फिर उसे एडमिट क्यों किया गया ? स्पीकर साहब कंट्राडिक्टरी बातें कह कर चले गये हैं। जब तक इन दोनों बातों का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस मो ान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः स्पीकर साहब ने आपकी बात मान ली है और मो ान को एडमिट कर लिया है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, सुरजेवाला जी प्रस्ताव लाये हैं कि आज के लिए फिक्स किये हुए बिजनैस को छोडकर इस मो ान पर विचार किया जाए। स्पीकर साहब, यहां से जाने से पहले अपनी रूलिंग देकर चले गए। एक तो उन्हौंने यह कहा कि जिस रूल के हतत हम नो कांनफिडैं ा मो ान लाए हैं, उसके तहत यह मो ान एडमिट नहीं हो सकती। मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि वह कौन सा रूल है जिसके तहत मो ान आनी चाहिए थी ?

श्री उपाध्यक्षः डा0 साहब आपकी बात को मान लिया गया है। (ाोर)

श्री मंगल सैनः रूल 11 मैं आपको पढ कर सुना देता हूं। पार्लियामैंटरी सिस्टम आफ गवर्नमैंट में इस रूल के तहत आपको हमारी बात सुननी पडेगी। मेरी सबमि ान यह है कि मैं कोई डैरोगेटरी या इररैलेवेंट बात नहीं कहूंगा।

Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly reads as under :-

"As soon as may be after the reciept of notice of a resolution to remove the Speakder or the Deputy Speaker from his office under Article 179(c) of the Constitution, the Speakder shall read the notice to the Assembly and shall then request members who are in favour of leave being granted to move the resolution to rise in their places and if not less than 23 members rise accordingly, the Speaker shall allow the resolution to be moved."

डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं कौल एण्ड भाकधर की किताब 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजन आफ पार्लियामैंट' को कोट करना चाहूंगा। इसके पेज पर 81 पर प्रीजाइडिंग आफिसर्ज के बारे में लिखा है .....

"The Speaker or the Deputy Speakder is removable from his office ....."

Mr. Deputy Speaker: There is not duspute about it. डा0 साहब आपकी तो यह बात मान ली गई है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पहले अपनी बात कह लेने दें, उसके बाद आप अपनी रूलिंग दे लेना। कौल एण्ड भाकधार की किताब के पेज 81 पर लिखा है–

"The Speaker or the Deputy Speaker is removable from his office by a resolution of Lok Sabha passed by a majority of all the then members of the House. The term 'all the then memerbs" in article 94(c) means the actual membership of the House, no account being taken of the seats which are vacant. At least fourteen days' notice has to be given to the intention to move such a resolution. In computing the period of fourteen days, both the terminal days are excluded.

A member wishing to give notice of a resolution for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker is required to do so in writing to the Secretary- General."

It is in the case of Lok Sabha. In the case of Vidhan Sabha notice of a resolution for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker is to be given to the Secretary. In this book, it is further stated-

"The notice may be given by two or more members jointly. On receipt of a notice, a motion for leave to move the resolution is entered in the list of Business in the name of the members concerned on a day fixed by the Speaker provided that the day so fixed has to be any day after fourteen days from the date of the receipt of notice of the resolution."

इसमें मेरी सबमि ान यह है कि पहले हम तीन आदमी हस्ताक्षर कर के नोटिस देंगे, नोटिस दिए जाने के 14 दिन बाद यह मो ान लिस्ट आफ बिजनैस के अंदर एंटर होगा। लिस्ट आफ बिजनैस में एंटर होने के बाद ही उसको टेकअप किया जायेगा। फिर प्रौजाइडिंग आफिसर्ज यानि डिप्टी स्पीकर या पैनल आफ चेयरमैन इसे टेकअप करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजनैस की लिस्ट में आने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पद पर अब विचार न किया जाये। हम जानते हैं कि इनके पास मैजोरिटी है। रूल्ज में यह भी प्रोवीजन है कि स्पीकर साहब हाउस में मौजूद रह सकते हैं ताकि जो बातें उनके खिलाफ कहीं जाएं उनको सुन कर वे अपना जवाब दे सकें। इसलिये मेरी सबमि ान है कि आज की लिस्ट आफ बिजनैस में न तो यह मो ान एंटर्ड है और न ही नोटिए दिए हुए 14 दिन हुए हैं। इसलिये इसको आज के लिये एडमिट न किया जाये। रूल्ज के अनुसार 14 दिन का नोटिस होता है लेकिन नोटिस हमने आज ही दिया हैं नोटिस दिए हुए अभी 14 दिन नहीं हुए हैं। इसलिए इस पर आज विचार नहीं किया जाना चाहिए। आज इस पर ये विचार करना चाहते हैं उस संबंध में मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या आज विचार हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्षः रूल 11 बडा कलियर है। स्पीकर साहब ने आपकी सारपी बातें मान कर ही इसे एडमिट करने का फैसला लिया है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इस संबंध में आपकी क्या रूलिंग है ?

श्री उपाध्यक्षः डा0 साहब, स्पीकर साहब रूलिंग दे कर चले गये हैं। He has vacated the Chair. Now I am taking up the motion which has been moved by Ch. Surjewal. (Interruptions) Once a motion has been taken up, it means it is automatically entered in the List or Business.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): मैं आपकी रूलिंग जानना चाहूंगा कि क्या नियमों के विरूद्ध कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है ? स्पीकर साहन ने अपनी ओब्जर्वे ान में कहा है कि जो मो ान हमारी तरफ से दी गयी है वह नियमों के विरूद्ध है, क्या इस औब्जर्वे ान को मद्देनजर रखते हुए यह मो ान एडमिट हो सकती है ?

Mr. Deputy Speaker: What is the use of beating about the bush when the matter has already been decided ?

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब दो ओब्जर्वे ान दे कर चल गये हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी औब्जर्वे ान ठीक है ? हमारे ख्याल में उनकी ओब्जर्वे ान गलत है।

Mr. Deputy Speaker: It is your presumption. You may presume either way. वे अपनी बात कह कर चले गए, आप अपनी बात कह लें। (ाोर) आपकी बात मैंने सुन ली हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं तो आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या कोई प्रस्ताव जो नियमों के विरूद्ध हो, उसे स्वीकार किया जा सकता है ? (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: Now, please take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे नो कांफीडैंस मो ान पर अपनी रूलिंग देकर और आपको अपने आसन पर बैठा कर चले गऐ हैं सी0एम0 साहब ने भी अभी इस मो ान के बारे में हाउस में कहा था। वही प्रस्ताव अब सुरजेवाला जी लाये हैं। इनका कहना है कि इस मो ान पर आज ही विचार किया जाये। इस मो ान पर विचार करने के लिये ही स्पीकर साहब अपनी सीट छोड कर चले गये हैं। जाने से पहले वे एक लम्बी चौडी ओब्जर्वे ान देकर चले गये हैं।

12.00 बजे।

रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डैक्ट आफ बिजनैस के रूल 11 और कांस्टिच्यू ान के आर्टिकल 179 सी में रिमूवल के लिए प्रोवीजन हैं। I have thoroughly gone through the books. डिप्टी स्पीकर साहब कोई भी ऐसा रूल या प्रोवीजन नहीं है जिसमें लिखा हो कि नो कांफिडैंस मो ान इसके तहत आयेगा। कांस्टीच्यू ान में यही बात लिखी है कि फलां आर्टिकल के तहत स्पीकर के अगेन्स्ट नो कांफीडैंस मो ान मूल होगा। क्या इसका मतलब यह लिया जाए कि विधान के निर्माताओं ने यह सोच लिया

था कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहेबान हैं, वे हमे ाा हमे ाा के लिए कुर्सी पर कायम रहेंगे और उनके खिलाफ कोई भी नो कांफिडैंस मो ान नहीं आयेगा। मैं उनकी बात को चैलेंज नहीं करूंगा यह तो आप भी मानेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं सोची जा सकती। इसलिए हम कहते हैं कि जो औब्जर्वे ान स्पीकर साहब ने की है, वह गलत है यह नहीं होनी चाहिए थी। जहां तक मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का ताल्लुक है कि इस मो ान को फौरी तौर पर डिस्कस किया जाए, इसके पीछे यह भावना है कि इनके पास मेजौरिटी हैं मैजोरिटी के बेसिज पर यह प्रस्ताव कैरी आउट हो जायेगा। लेकिन जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है कि इस को फौरी तौर पर कंसीडर किया जाए इस पर हमें आपत्तियां हैं और हमारी आपत्तियां क्लीयर कट हैं। We are guided by the Rules of the Assembly, the Lok Sabha and by the book "Practice and Procedure of Parliament" by M.N. Kaul & S.L. Shakdher. मैम्बर साहब ने सारी चीज आपको पढ कर सुनाई है और आपके नोटिस में यह बात लाई गई है कि 14 दिन के नोटिस की रिक्वायरमैंट है। We gave notice of the motion which can be taken up only ofter 14 days notice. If the motion is in order and we rise in our seats according to the required number i e. 23. इसका मतलब यही है कि हमें अपनी बातें कहने के लिए एक दिन फिक्स किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर साहब, जहां पर आप बैठते हैं वहां से स्पीकर डिस्क ान में हिस्सा ले सकते हैं और चार्जिज रिफ्यूट कर सकते हैं। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नम्रता से आपकी रूलिंग चाहता हूं कि जो

औब्जर्वे ान स्पीकर साहब ने रूलिंग देते वक्त की है। whether it was in order or not and also whether he was correct and proper in making his observation ? दूसरी बात यह है कि क्या यह अंडर दी रूल तथा कांस्टीच्यू ानल रिक्वायरमैंट नहीं है कि 14 दिन से पहले नो कांफिडैंस मो ान डिसकस नहीं की जा सकती ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, स्पीकर साहब के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव हाउस में आया, जिसके बारे में माननीय सदस्य कहते हैं कि 14 दिन के बाद इस प्रस्ताव को डिसकस किया जाए। अगर हाउस को स्पीकर साहब पर वि वास नहीं है, तो हाउस की कार्यवाही कैसे चलेगी। इसलिये मेरी आपसे हाथ जोड कर हम्बल सबमि ान है कि इस मो ान को डिसकस करने में एक मिनट की देरी न करें क्योंकि अगर स्पीकर पर वि वास नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकार पर भी वि वास नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर डिस्क ान फौरी तौर पर की जाए। यदि स्पीकर साहब के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार भी इस्तीफा दे देगी।

Sh. Mangal Sein: Sir, Article 179 (c) reads as under :-

"Must be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move a resolution."

डिप्टी स्पीकर साहब, कांस्टीच्यू ान का निर्माण करने वालों ने हर चीज को सोच समझ कर लिखा है। इसलिये मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि चेयर पर चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहें कोई और हो, कांस्टीच्यू ान के प्रोवीजन को क्या वेव किया जा सकता है ? अभी अभी चौधरी भजन लाल जी ने कहा है कि हमको उन पर भरोसा नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें स्पीकर के भरोसे पर तो कान देने पडते हें और आपका (मुख्यमंत्री) भरोसा लनै के लिए हमारे कान में केवल एक वाक्य पडता है ? डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी की मजबूरी यही है कि इन्होंने कोई रूल नहीं पढा है क्योंकि उनको पढने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिये मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या आप 14 दिन के बाद डिस्कस करने वाले प्रोवीजन को वव कर सकते हैं या नहीं ?Sir, I want your specific ruling on this point.

श्री उपाध्यक्ष: आर्टिकल 179 तो स्पीकर साहब पहले ही डिसकस कर गये हैं। Now we have Rule 11 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly before us, which says-

"(1) As soon as may be after the receipt of notice of the resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from his office ....."

I think I am not in a positoin to re open whatever the Hon'ble Speaker has said and referred to the Rules. Rule 11 is very clear and we have to go by it.

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूं। आप जरा सुनी लीजिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने जो प्वायंट उठाया है, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble members, you have had your say. I have given my ruling and Rule 11 is very clear.

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय स्पीकर साहब, के खिलाफ नो कांफिडैंस मो ान एडमिट हो चुका है। कांस्टीच्यू ान का जो आर्टिकल है और हमारा रूल आफ प्रोसीजर है, इसके मुताबिक यह मो ान 14 दिन के बाद डिस्कस होना चाहिए। कौल एण्ड भाकधर द्वारा लिखी गई किताब में भी यह चीज आती है। मैंने भाुय में ही यह कहा था कि माननीय स्पीकर साहब अपने औब्जर्वे ान नहीं दे सकते। कौल एंड भाकधर द्वारा लिखी गई किताब के पेज 82 पर जो कुछ लिखा है वह चौधरी बीरेन्द्र सिंह और डा0 मंगल सैन ने भी पढा है। इसमें लिखा है :–

"On receipt of a notice, a motion for leave to move the resolution is entered in the List of Business in the name of the members concerned on a day fixed by the Speaker....."

कई सदस्यः यह बात तो पहले भी कई दफा आ चुकी है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः जो बात ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उसको दस दफा भी कहेंगे। (व्यवधान) आप इस प्रोवीजन को वेव नहीं कर सकते।

Mr. Deputy Speaker: I have already given my ruling. Article 179 has already been dealt with by the Speakder. Now Rule 11 is before us and we have to go by it.

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, हम यह नहीं कहना चाहते कि आप हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन यह मामला बडा ही सीरियस है। जो बातें हमने स्पैसिफिकली पूछी हैं और जिनको हमने कौल एण्ड भाकधर की किताब में से कोट किया है, अगर इनको नहीं मानते तो आप यह तो मान लीजिए कि नो कांफिडैंस मो ान की एंटरी लिस्ट आफ बिजनैस में जरूर होनी चाहिए। अगर यह भी नहीं मानते कि नहीं होनी चाहिए तो आप स्पैसिफिक रूलिंग दे दें और जो यहां पर प्रैस रिपोर्टर्ज बैठे हुए हैं वे अखबार में छाप सकें ताकि हिन्दुस्तान के करोडों आवाम कह सकें कि डिप्टी स्पीकर साहब ने यह रूलिंग दी है।

Mr. Deputy Speaker: I have said twice or thrice that Article 179 of the Constitution has already been dealt with by the Hon'ble Speaker. Now Rule 11 of the Rules of

Procedure and Conduct of Business in tehe Haryana Legislative Assembly is before us and we are going by it.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। डा0 साहब प्रजातंत्र की बडी बात करते हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रजातंत्र में ऐसा होता है कि हाउस में केवल तीन चार मैम्बर ही बोलेंगे और दूसरों को बोलने नहीं दिया जाएगा ? बडे दुख की बात है कि चार दफा लीडर आफ दि अपोजी ान और डा0 साहब बोल चुके हैं लेकिन ये अब भी किसी और को बोलने नहीं देना चाहते। कांस्टीच्यू ान के जिस आर्टिकल का मेरे लायक दोस्त ने जिक्र किया है और जिस तरह से वे आपको असिस्ट करना चाहते हैं, उसी तरह से मैं भी आपको असिस्ट करने के लिए खडा हुआ हूं। ऐसा करने का ट्रैजरी बैंचिज के सदस्यों को भी उतना ही अधिकार हैं जितना कि अपोजि ान के नेताओं की हैं। कांस्टिच्यू ान के जिस आर्टिकल का ये सहारा लेते हैं, मैं भी संक्षेप में उसके बारे में बताना चाहता हूं। 14 दिन से पहले यह डिसकस नहीं हो सकता यह बात इनको बाद में याद आई है। वह गाडी छूट चुकी है। उसके बाद ये प्लेटफार्म पर खडे हैं (ाोर) आर्टिकल 179 में ऐसा कुछ नहीं है कि डिसक ान 14 दिन से पहले नहीं होगीं उसमें बात यह है कि ये मो ान जो देंगे वह मूव होगी। वह मो ान मूव होकर पास भी हो गई है। अब इस बात को डिसकस करने का कोई नि चत टाईम नहीं है। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः हत तो उसके नोटिस के लिये खडे हुए थे न कि उसके पास होने के लिए खडे हुए थे। (विघ्न)

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, लीडर आफ दि अपोजी ान के पास इस बात का लाईसैंस नहीं है कि वे इस तरह से हमें इंट्रस्ट करती रहें और किसी दूसरे को बोलने न दें।

श्रीमती चन्द्रावतीः लाईसैंस तो मेरे और आपके पास बराबर है क्योंकि दोनों ही एम0एल0ए0 हैं। (विघ्न)

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, रूल्ज औफ प्रोसीजन एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 11 का नाम तो सबने लिया लेकिन उसे पढा किसी ने नहीं। मैं उसे पढ देता हूं। यह इस प्रकार है –

"11. (1) As soon as may be after the receipt of notice of a resoulution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from his office under Article 179(c) of the Constitution, the Speaker shall read the notice to the Assembly and shall tehn request members who are in favour of leave being granted to move the resolution to rise in their places and if not less than 23 members rise accordingly, the Speaker shall allow the resolution to be moved.

(2) As soon as may be after leave is given, a copy of the resolution shall be forwarded to the Leader of the House who shall find time for its discution, and the motion shall be

taken up on the day fixed by the Leader of the House for the purpose."

डिप्टी स्पीकर साहब, मो ान मूव हो चुकी है, एडमिट हो चुकी है और स्पीकर साहब आपको पावर्ज डैलिगेट करके जा चुके हैं तथा मुख्य मंत्री जी का कहना है कि आज ही इस पर डिस्क ान कर लें। मैंने फौर्मली मो ान भी मूव कर दी है। (विघ्न) मैंने जो मो ान मूव किया है उसे पास कर दिया जाए।

Mr. Deputpy Speaker: Question is-

That the discussion on the Governor's Address fixed for today be postponed in favour of discussion on the motion of no confidence against the Speaker.

The motion was carried.

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, आर्टिकल 179 सी के तहत लिस्ट आफ बिजनैस में आईटम को ऐंटर किए बिना इस पर डिसक ान नहीं कर सकते। कौल एंड भाकधर की पुस्तक 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर औफ पार्लियामैंट के पेज 82 पर भी यही लिखा है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। क्या आपकी रूलिंग आने के बाद कोई मैम्बर फिर उसी मुद्दे को दोबारा डिसकस कर सकता है ?

श्री उपाध्यक्षः मैडम, आप मो ान को मूव करें (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः मेरे पास तो वह कागज ही नहीं है। (विघ्न) आपके हम हमें दिलाना चाहिए था। (ाोर) कृपया उसकी एक काफी मुझे दिलवाएं।

चौधरी भजन लालः अपने मो ान की कापी तो आपको खुद संभाल कर रखनी चाहिए थी। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, यहां सारा काम गलत हो रहा है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः मैं आपको कापी भिजवा रहा हूं।

(इस समय मो ान की एक कापी माननीया सदस्या को दी गई।)

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, लिस्ट औफ बिजनैस पर यह आईटम ही नहीं है।

चौधरी भजन लालः यह तो उदारता की बात है। नो कांफिडैंस मो ान पर फौरी डिसक ान हो जाए इससे अच्छी बात

और क्या हो सकती है ? स्पीकर साहब ने इसे एडमिट करके एक ऊंचे आद र्ा का सबूत दिया हैं

श्री मंगल सैनः .....

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, ये भाब्द रिकार्ड नहीं होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भले राम जी हमें थ्रैट कर रहे हैं। इन्हें समझाया जाए कि ये आपे से बाहर न हों। (ाोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः राम बिलास जी, आप कृपया बैठिए। श्रीमती चन्द्रावती जी अपना मो ान मूव करें।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी सदन में कानून कायदे की बात आती है तो चौधरी भले राज जी जो अपोजी ान के भाईयों के नजदीक बैठे हैं, खडे होते हैं और विरोधी दल के भाई उन्हें यह कह कर धमका देते हैं कि हमारे में दुबारा आओगे तो क्या करोगे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। किसी सम्मानित सदस्य को ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने आपकी भाान के खिलाफ कोई भाब्द नहीं कहा परन्तु मेरा यह अधिकार है कि

मैं आपकी आई कैच करूंग और अपना व्यू प्वायंट हाउस के सामने रखूं। डिप्टी स्पीकर साहब कौल एंड भाकधर की जिस पुस्तक को रोज कोट करके हमारे अनेकों मो ांज रिजैक्ट किए जाते हैं, उसका जब मैंने आज उल्लंघन होते देखा तो एज ए प्रोटैस्ट मैंने वे भाब्द कहे थे, वे आपके सम्मान के खिलाफ नहीं थे।

श्री उपाध्यक्षः अब श्रीमती चन्द्रावती मो ान मूव करेंगी।

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, हमने अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव दिया है। पहले भी मैंने उनके बारे में कहा है और उसे फिर दोहराना चाहती हूं। नो कांफिडैंस मो ान एडमिट करते वक्त माननीय साहब को कोई भी आब्जर्वे ान नहीं देनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैडम पहले आप मो ान मूव करें फिर बोलने का आपको मौका मिलेगा।

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, आज लिस्ट आफ बिजनैस के बिना और अपनी ब्रूट मैजोरिटी से सारी कन्वै ान सारे प्रैसिडैंटस और कौल एंड भाकधर की बातों को ताक पर रख कर चल रहे हैं। हमें आज ही विव ा किया गया है कि इस अवि वास प्रस्ताव पर विचार हो। मैं एज ए प्रोटैस्ट इसे पढती हूं और मैं ये सब बातें रिकार्ड पर भी लाना चाहती हूं कि जो कुछ यहां हो रहा है वह सब चीजें विधान सभा के कायदे कानून के खिलाफ है। ऐसा किसी भी प्रान्त में नहीं हुआ। हम

ज्यादातर कामन वैल्थ यानी ब्रिटि ा पार्लियामैंट की बातों को मानते हैं। वहां पर कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्षः पहले आप अपना मो ान पढ दें उसके बाद जो आपने कहना है, कह सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं प्रस्ताव करती हूं–

"कि यह सदन निम्नलिखित कारणों से सरदार तारा सिंह, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, में अपना अवि वास प्रकट करता है :–

1. कि विपक्ष द्वारा दिए गए अवि वास प्रस्ताव को गत वर्श सितम्बर मास के दौरान हुए हरियाणा विधानसभा के सत्र में गलत ढंग से रद्द किया गया था। उन्होंने यह प्रस्ताव दलबंदी के कारण रद्द किया था।

2. फतेहाबाद उप चुनाव में कांग्रेस के चुनाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना।

3. चयन की निर्धारित प्रक्रिया विधान सभा के सत्र के सचिव का चयन करना।

4. विधान सभा सचिवालय में व्याप्त अनियमितताओं के कारण कर्मचारियों के प्रति पक्षपता पूर्ण रवैया।"

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

The House expresses its lack of confidence in Sardar Tara Singh, Speaker, Haryana Vidhan Sabha on the following grounds :-

(i) The No confidence Motion given by the opposition was rejected in a wrong manner during the Haryana Vidhan Sabha Session held during last year in the month of September. He had rejected motion on the reasons of Party Politics;

(ii) to take active part in the election campaign of Congress in Fatehabad bye-election;

(iii) To select the Secretary of the Session of Vidhan Sabha against the prescribed procedure of the selection;

(iv)Discriminatory attitude towards the employee on account of irregularities prevailing in the Vidhan Sabha Secretariat.

अब मैडम, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा सुझाव है कि इस प्रस्ताव पर बहस भाुरू करने से पहले टाईम फिक्स कर दें कि इस मो ान पर कितना टाईम लगेगां

Mr. Deputy Speaker: One hour is fixed for this discussion.

श्री मंगल सैन: आपने बहुत थोडा समय दिया है।

श्री उपाध्यक्षः आप अभी थोडी देर पहले काल एंड भाकरधर की किताब पढ रहे थे। उसके अनुसार ही समय दिया है।

श्री मंगल सैनः .....

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: Dr. Sahib, Please sit down.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन ने अभी कहा कि आपने तो कौल एंड भाकधर की किताब की धज्जियां उडा कर रख दी। ये भाब्द उन्हें डिप्टी स्पीकर साहब के विशया में नहीं कहने चहिए। ये भाब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जायें। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः ठीक है। ये भाब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें। (ाोर)

श्री मंगल सैनः आपने आर्टीकल 179 को इग्नोर किया है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः इग्नोर नहीं किया है। आर्टीकल 179 के तहत फैसला हो चुका है। रूल 11 आपके सामने हैं।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, इस मो ान पर टाईम फिक्स होना चाहिए। पार्लियामैंट में भी नो कांफीडैंस मो ान डिस्कस हुआ होगा। जैसा वहां होता है उसी के अनुसार टाईम फिक्स किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः एक घंटे का टाईम फिक्स कर दिया गया है।

श्री मंगल सैनः यह तो बहुत थोडा समय दिया गया है।

श्री उपाध्यक्षः आप तीन मैम्बर्ज मो ान के मूवर हैं आप लोगों को दो हिस्से टाईम दिया जायेगा। चालीस मिनट का टाईम आपको दिया जायेगा और बीस मिनट दूसरों को दिया जायेगा।

श्री मंगल सैनः तीन तो मूवर हो गये लेकिन जो और सदस्य बोलना चाहेंगे उन्हें कैसे समय मिलेगा ?

श्री निहाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब आज गवर्नर एड्रैस पर भी बहस होनी थी। जो लोग गवर्नर साहब के अभिभाशण पर बोलने के लिए तैयार हो कर आये थे, क्या उन्हें भी समय मिलेगा ? अगर आज का सारा टाईम इसी डिस्क ान में चला गया तो क्या एक दिन गवर्नर एड्रैस पर डिस्क ान के लिए अधिक मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्षः अगर समय बचा तो गवर्नर एड्रैस पर आज बहस होगी वरना कल होगी। हर मैम्बर को गवर्नर एड्रैस पर बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमने पिछली बार मिनिस्टर आफ कौंसिल के खिलाफ नो कांफिडैंस मो ान दिया था वह रोंगली रिजैक्स कर दिया गया और उसके

लिए रोंग साइटे ान की गई। डिप्टी स्पीकर साहब, बंगलोर में स्पीकर्ज कांफ्रेस हुई थी। उसमें बडे बडे फ ैसले हुए । स्पीकर साहब का बहुत ऊंचा पद है। उन्होंने पिछली बार नो कांफिडैंस मो ान रिजैक्ट किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह उनकी महिमा के लायक बात नहीं थी। हम उस सै ान में यह चाहते थे कि सरकार को सैन्र योर करें, कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज को सैंसर करें क्योंकि मिनिस्टर साहेबान ओमि ान और कोमि ान के काम करते हैं। ओमि ान और कोमि ान का जहां तक संबंध है, यहां पर तो ओमि ान ही होती है और कोमि ान की बात तो प्लान से पहले ही कर ली जाती है कि हमारा यह कमी ान होगा। (विघ्न) मैं सब बातों को जानती हूं और कायदे कानून के हिसब से बोलती हूं। मैं आपकी तरह ब्रूट मैजोरिटी का सहारा लेकर गलत काम करने की कोि ा ा नहीं करती। ब्रूट मैजोरिटी की वजह से आज विधान सभा में गलत काम जरूर हो रहे हैं।

Mr. Deputy Speaker: I would make a request that the members should be very specific on these four allegations.

Smt. Chandravati: I am very much specific, Sir. डिप्टी स्पीकर साहब, हमे ाा ही स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर साहब के कहने के अनुसार चले हैं जब हमने पिछले सै ान में अवि वास प्रस्ताव रखा था तो उसे कैंसिल कर दिया गया। यह जो कौल एंड भाकधर की किताब है इसके पेज 77 पर आइंगर ने कहा है। मैं इसके रैलवैंट पो ार्न को पढ देती हूं –

"I shall try to stick to traditions, follow the older ones and whenever now ones have to be established, you may take it from me that I will try to do that ..... I do not make any difference between party and party ....."

जब कोई मैम्बर स्पीकर बन जाता है तो चाहे वह किसी भी पार्टी से बन कर आया हो, उसे सब को बराबर समझना चाहिए। विरोधी दल में होने के नाते हमें अन प्लैजैंट डयूटी करनी पडती है। हमें लोगों ने वोट दिये हैं। हम वहां के भापथ लेकर आये हैं कि हम जनता के राइटस के लिये लडेंगे। उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और उन के हितों की रक्षा करेंगे। उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम खडे होते हैं हम यह अवि वास प्रस्ताव लाये हैं कि अगर चेयर हमारे अधिकारों की कस्टोडियन नहीं होती है तो हम कहां जायेंगे ? हमें मजबूरन इस तरह का अन प्लैजैंट काम करना पडता है। इसके लिए हमें खु ाी नहीं होती। हम चेयर के प्रति स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब के प्रति अत्यंत सम्मान और इज्जत रखते हैं। इसी सम्मान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए हमें यह अवि वास का प्रस्ताव लाना पडा है क्योंकि हमें यह लगा है कि जो इनकी डियूटी है, वह पूरी तरह से निभाई नहीं जा रही है। इसी तरह से दूसरी चीजें भी हैं। किस तरह से स्पीकर साहब को इम्पा र्ाल तरीके से रहना चाहिए। It is written at page 80 of the Book "Pracitce and Procedure of Parliament" by M.N. Kaul and S.K. Shakdhar that-

"While the Speaker stands on party ticket for his election to the House, he may or may not continue to be the

member of his party after his election as Speaker. Even when he does not sever connections with his party, he has refrained from attending any party meeting."

मैंने सुना है कि चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर में माननीय स्पीकर साहब ने पार्टी मीटिंग अटैंड की है। इसी तरह से पिछले सितम्ब्र में हुए पार्लियामैंट के चुनाव में स्पीकर साहब सफीदों के एक गांव में गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैडम, इसके अंदर सफीदों का कहां लिखा हुआ है। इसके अंदर तो फतेहाबाद की बात की गयी है। आपको अगर सफीदों की बात भी कहनी थी तो नोटिस में सफीदों भी लिखना चाहिए था। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, फतेहाबाद और सफीदों के कुछ गांवों के गुरूद्वारों में जाकर वोट मांगे गये हैं। क्या यह पार्टी से संबंधित नहीं हैं। (व्यवधान) स्पीकर वोट नहीं मांग सकता। इन्होंने उनको मिसयूज किया है। इसी तरह से और भी कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिये थीं। आपको उनको आग्रह नहीं करना चाहिए कि वे फतेहाबाद या सफीदों में जायें और अपने सिख भाईयों से वोट मांगें। इस तरह से जब कोई सदस्य माननीय स्पीकर बन जाता है तो उनको चुनाव क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिये। पहले यह रिवायत रही है। ज्वायंट पंजाब से लेकर अब तक जितने भी स्पीकर बने हैं, वे कभी भी चुनाव क्षेत्र में कन्वैंसिंग के लिए नहीं गये। यह पहला उदाहरण है

जब चुनाव क्षेत्र में कन्वैंसिंग के लिये कोई स्पीकर गया है। इस वक्त विधान सभा के सैक्रेटेरियट के बारे में मैं यह कहूंगी कि जितना बुरा कहा जाये उतना ही बुरा हाल है। दो साल हो गए हैं अब तक डिबेटस नहीं छपी हैं। यह किसी गलती है ? क्या स्पीकर साहब को गलत सलाह दी गयी है कि डिबेटस न छापो ? डिबेटस छपती ही नहीं हैं। सारे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों में 2–3 महीनों में डिबेटस छप जाती हैं लेकिन यहां पर दो साल हो गये हैं, कोई डिबेट नहीं छपी हैं। हमने तो आज तक कोई किताब नहीं देखी है कि हम जो हाउस में बोलते हैं उसकी कोई एक भी डिबेट छपी हो और हमारे पास पहुंची हो। आज तक पिछले दो साल से कोई भी डिबेट नहीं छपी है जो हमें मिली हो। फिर जो हुक्म चीफ मिनिस्टर साहब दे देते हैं, वहीं हुक्म असैम्बली का सैक्रेटेरियेट बजाता है। हम काल अटैं ान मो ान देते हैं ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इस मो ान में न तो डिबेटस का प्वायंट है और न ही काल अटैं ान मो ान का कोई प्वायंट हैं आपने तीन चार प्वायंटस लिखे हैं उनमें से दो अभी रह रहे हैं, आप उनको टन कर लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं यह बोल रही थी कि विधान सभा सचिवालय में चल रही अनियमितताओं के कारण, जिनकी तरक्की होनी चाहिये थी जो आज सैक्रेट्री बनने चाहिये थे, जो ज्वायंट सैक्रेट्री और डिप्टी सैक्रेट्री बनने चाहिये थे वे नहीं बन सके।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर यह कायदा रहा है कि विधान सभा के खिलाफ कोई बात नहीं कही जाती।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इनको यह पता होना चाहिये कि हमने आज स्पीकर साहब के खिलाफ रीमूबल का मो ान दिया हुआ है। इसलिये We have every right to criticise and to comment on the functioning of the Vidhan Sabha Secretariat, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसी के बारे में ही तो बोलेंगे ?

चौधरी भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब जो विधान सभा के अंदर इन्होंने प्रस्ताव लिखकर दिया है उससे बाहर नहीं जा सकते।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहब, हमें स्टाफ के किसी आदमी के खिलाफ कोई ि ाकायत नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि असैम्बली का एडमिनिस्ट्रे ान ठीक चलना चाहिए। काल अटैं ान मो ान की बात मैं कह रही थी कि हमें ठीक ढंग से जवाब नहीं मिलता। मैं अपोजी ानप की नेता हूं लेकिन मुझे अंडर सैक्रेट्री जवाब लिखकर भेजता है जो प्रोपर नहीं है। अगर उसको डिप्टी सैक्रेट्री प्रमोट कर दिया जाता तो हो सकता है, वह ठीक से जवाब देता। मैम्बर को गाईड करना, उनके काल अटैं ान मो ान बना कर देना, उनके क्वै चन्ज बनवाना, यह सब इस

सैक्रेटेरियेट की डियूटी है। यह भी इनकी डियूटी है कि मैम्बर्ज के क्वै चंज, काल अटैं ान मो ांज टाईप करें और उनको ठीक ढंग से बनाने में मदद करें। आज ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी ने असैम्बली के सैक्रेटेरियेट को अपने सैक्रेटेरियेट की तरह से ही बना रखा है। उनकी हर जगह इन्टरफीयरैंस है। इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें सैक्रेट्री के व्यक्तित्व के खिलाफ कोई बात नहीं कहनी है लेकिन जिस ढंग से उनकी अप्वायंटमैंट हुई है, उस पर हमें बडा भारी एतराज है। इस ढंग से पहले कभी इस तरह की अप्वायंटमैंट नहीं हुई। सारे रूलज को, सारे कायदे कानूनों को, असैम्बली सचिवालय के सर्विस रूल्ज का उल्लंघन करके और फ्लाउट करके जिस तरीके से सैक्रेटरी की अप्वायंटमैंठ हुई है, क्या यह कोई बर्दा त करने लायक चीज है ? डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने क्यों स्पीकर साहब को विव ा किया। क्या असैम्बली का काम ठीक ढंग से चलता है ? अगर एक कागज मिल जायेगा तो दूसरा नहीं मिलेगा। दूसर मिल गया तो तीसरा नहीं मिलेगा। कोई काम ढंग से हो नहीं रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं तो इतनी ही बात कहना चाहती हूं कि हमें बडे दुख और अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि हमें माननीय स्पीकर के खिलाफ इस बात की ि ाकायत है कि वे मुख्य मंत्री के हाथों में खेल कर और इम्पाि र्यल न रह कर काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री के हाथों में खेल कर, पिछली बार हमारे नो कान्फीडैंस मो ान को रिजैक्ट कर दिया और अब यह

सैक्रैट्री विधान सभा की नियुक्ति हो गयी है। इसी तरह से दो साल से डिबेटस भी नहीं छपी है। यह सब गलत काम है। जरा पूछ तो लें कि क्यों नहीं डिबेटस अब तक छपी है ? मैं इतनी ही बात कह कर अपना स्थान लेती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो नो कान्फीडैंस मो ान आज स्पीकर महोदय के विरूद्ध इस सदन में डिस्कस हो रहा है। इसमें हमने चार ग्राउन्डज दी हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, स्पीकर साहब ने एक बडी लम्बी चौडी आब्जर्वे ान इस मो ान को एडमिट करते समय दी। उनकी रूलिंग से हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनका मन एडमिट करने को नहीं कर रहा था परन्तु क्योंकि उनकी जात का सवाल था, इसलिये दुनियादारी का ख्याल रखते हुए बडी मजबूरी की हालत में उनको यह मो ान एडमिट करना पडा। इसकी एडमी ान में रूल्ज की जो फ्लाउटे ान हुई है जो औबजरवे ान उन्होंने की है, उसके लिये मैं कह रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, माफ करना मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कौल एंड भाकधर द्वारा लिखी गई किताब को जिस प्रकार इग्नोर किया है जिसको हम बार बार प्वांयट आउट करते रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि न तो आप चाहते थे और न ही स्पीकर साहब चाहते थे कि नो कौंफिडैंस मो ान हाउस के सामने आए। अगर इतना उतावलापन था तो हमें हुक्म देते, हम न बोलते। कह देते कि अपोजी ान का कोई मैम्बर नहीं बोलेगा केवल मुख्य मंत्री और मंत्री बोंलेंगे। सारी

डिस्क ान में एक घंटा भी न लगता और जल्दी ही सारा काम खत्म हो जाता। डिप्टी स्पीकर साहब, बडे दुख के साथ कहना पडता है कि इतनी भाग दौड क्यों मची हुई है ? क्यों हर बात को फौरी तौर पर निपटाने की कोि ा ा की जाती है ? इनको किस बात का डर है ? क्यों ऐसा उतावला पन दिखाया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आती ? हमने चौधरी भजन लाल की सरकार के खिलाफ नो कौफिडैंस मो ान दिया था। चौधरी भजन लाल बडे गर्व से कहते हैं कि असैम्बली में मैजोरिटी मेरे साथ है और असैम्बली में इन्होंने सिद्ध भी किया कि छत्तीस मैंबरों के उनसठ बना दिए। ऐसा करने में जो भी इनकी कारीगरी है, वह सब को पता है। लेकिन लोगों ने हरियाणा की जनता ने इनमें कौंफिडेंस भाो नहीं किया था। फिर भी इन्होंने छत्तीस से उनसठ बना लिए। वे इनके पास ही रहने चाहिए। इनको उधर आने की जरूरत नहीं है और न ही हमें कोई इच्छा है। जब कभी हमें जनता उधर बैठायगी तो उधर बैठेंगे वरना विपक्ष में ही रहेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, वह नो कौंफिडैंस मो ान सितम्बर महीने के से ान में दिया था। वह बजट सै ान नहीं था। डिप्टी स्पीकर साहब 1970–71 में जब चौधरी बंसी लाल मुख्य मंत्री होते थे उस वक्त भी बजट सै ान में उनके खिलाफ नो कौंफिडैंस मो ान आया था और वह मो ान एट दी फैग एंड आफ दी बजट सै ान आया था। उस नो कौंफिडैंस मो ान पर चौधरी हरिद्वारी लाल, डा0 मंगल सैन और एक दो और मैम्बर्ज के दस्तखत थे। उस वक्त स्पीकर ने उस नो कौंफिडैंस मो ान को अलाउ किया था और दो

दिन बहस के लिए रखे थे। डिप्टी स्पीकर साहब, यह इसी असैम्बली का प्रिंसिडैंट है और उस वक्त चौधरी भजन लाल कैबिनेट के मैम्बर होते थे। अब कौन सी ऐसी बात हो ई कि उनके खिलाफ जो हमने अवि वास का प्रस्ताव पे ा किया तो उसको एडमिट नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट सै ान ऐसा सै ान होता है जिसमें गर्वनर्ज ऐड्रैस और बजट पर डिस्क ान होती है। बजट पर खुलकर बोला जाता है और बहस के दौरान कई मुद्दे उठाए जाते हैं। मैम्बर साहिबान बजट सै ान में खुलकर बोलते हैं और कोई चीज बोलने से रह नहीं जाती है। बजट सै ान के अलावा और कोई सै ान ऐसा नहीं होता जिसमें सब बातें कही जा कसें लेकिन इस सै ान में भी बहुत सी चीजें कहने से रह जाती हैं जिनको बहस में नहीं लाया जाता। इसीलिए पिछली बार वह नौ कौंफिडैंस मो ान दिया था क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी रह गई थीं जिनको हम पब्लिक के सामने लाना चाहते थे। एक और अजीब बात थी जो नौ कौफिंडैंस मो ान हमने पिछले सै ान में सरकार के खिलाफ दिया था इसे स्पीकर ने रिजैक्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने कैसे जज किया कि मुख्य मंत्री की मैजोरटी उस दिन कायम थी? यह उस दिन कैसे जज किया गया ? उस दिन जज करने का कोई तरीका नहीं था कि मुख्य मंत्री की उस दिन मैजोरिटी थी। डिप्टी स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी में वह सरकार एक पल भी नहीं रह सकती जो माइनोरिटी में हो। कोई तरीका नहीं है कि माइनारिटी की सरकार कुर्सी पर बैठे ? परन्तु स्पीकर साहब, ने जिस प्रकार उस नो

कौंफिडैंस मो ान को डिसअलाउ किया, उससे स्वाभाविक था कि हमारे मनों में भांका पैदा हो, वरना हमें क्या आपत्ति थी। जब भी सत्र भाुरू होता है और जो भी इस कुर्सी पर आसीन होता है उसके खिलाफ कभी भी विपक्ष की ओर से कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे इस कुर्सी का सम्माचन न हो। कोई भी पर्सनल बात कभी नहीं हुई। लेकिन जब चेयर की ओर से ऐसा ऐक ान होने लगे तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में ऐसी भांका पैदा हो। लोगों ने हमें एक लाख वोट देकर हम पर कौंफिडैंस रिपोज किया है इसलिए हमारी मोरल डियूटी हो जाती है कि हरियाणा में जो कुछ हो रदहा है, उसको हाउस में लाएं। मौरल डियूटी होने के कारण ही इस बेबेस है कि इस चीज को लाए। अगर हम उस चीज को हाउस के अंदर नहीं रख पा रहे हैं इसका कारण यही है कि चेयर की तरफ से हमें जो कौआप्रे ान मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। इसलिए हमारी मौरल डियूटी बन जाती है कि चेयर के खिलाफ नौ कौंफिडैंस मो ान लाएं। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले सत्र में स्पीकर साहब ने जो नो कौंफिडैंस मो ान डिस अलाउ किया था वह बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर किया था और रूल्ज को फ्लाउट करके किया था। हरियाणा की जनता ही है जिसके बलबूते पर सरकार बनती है। स्पीकर के पास उस दिन कोई पैमाना नहीं था जिससे यह साबित हो जाए कि भजन लाल की सरकार मैजोरिटी में थी। इसलिए हमें आपत्ति थी कि वह जो नो कौंफिडैंस मो ान था वह गैर जरूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर रूल्ज के अगेन्स्ट डिस अलाउ किया गया।

जहां तक प्वायंट नम्बर दो का ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर साहब, बडे खेद के साथ कहना पडता है कि स्पीकर साहब ने रूलिंग देते हुए ओबजर्वे ान की कि प्वायंट नम्बर दो के बारे में कोई सबूत नहीं लगाया जिससे ऐलोगे ान सबस्टांि ाएट हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, हम क्या सबूत लगा सकते थे, कौन सी बात हम कह सकते थे ? स्पीकर साहब को प0ूरा हक है कि नो कौंफिडैंस मो ान में जो ऐलीगे ान हैं, उनको रिफ्यूट करें। वे तो इवेसिव बात करकर चले गये। वे हाउस में आकर कह दें कि फतेहाबाद चुनाव क्षेत्र में वे नहीं गए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि फतेहाबाद के इलैक ान में लोगों ने उनको देखा। हमारे दोस्तों ने इनको देखा और हमारे कुलीग्ज ने देखा। अगर वे समझते हैं कि प्वायंट नम्बर दो सबस्टांि ाएट नहीं होता और हमसे सबूत चाहते हैं तो वे खुद आकर कह दें कि उन्होंने उस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वे यहां आकर कह सकते हैं।

तीसरा जो हमारा ग्राउंड है वह सैक्रेटरी साहब की नियुक्ति के बारे में है। मौजूदा सैक्रेटरी मेरे कुलीग रहे हैं। मेरे मित्र हैं। जाति तौर पर मुझे उनसे तनिक भी गिला नहीं है। ये पहले भी मेरे मित्र रहे हैं और अब भी मित्र हैं लेकिन जिस ढंग से यह अप्वांयटमैंट की, वह ठीक नहीं है। जिस दिन मौजूदा सैक्रेटरी की अप्वांयटमैंअ हुई और चार्ज लिया, मैं इनको कांग्रेचुलेट करके गया था लेकिन साथ ही यह कह कर गया था कि जी0एल0 बतरा

से मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिस ढंग से अप्वांयटमैंट की गई है, मैं इसके बारे में प्रैस में स्टेटमैंअ दूंगा कि यह गलत अप्वायंटमैंट हुई है। मैंने उस दिन प्रैस स्टेटमैंट दी थी। चाहिये तो यह था कि विधान सभा में जो सीनियर कर्मचारी हैं, उन्हीं में से परमो ान दी जाती। डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत कम स्कोप यहां के लोगों को परमो ान का है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप इनके हितौं के रखवाले हैं, इंचार्ज हैं, जिस आदमी का परमो ान के लिये नम्बर पडता था जो सीनियर था, उसी का इस परमो ान के लिये हम बनता था। अगर किसी कारण से जवायंट सैक्रेटरी का रिकार्ड खराब था, वैसे मैं यह कहता तो नहीं कि इनका रिकार्ड खराब था, भाायद हो या किसी और वजह से उनको परमो ान न देनी हो तो उससे अगले आदमी डिप्टी सैक्रेटरी को परमो ान दी जा सकती थी। यदि किसी वजह से उनकी परमीट नहीं करना था तो उससे अगले आदमी को ही परमोट किया जा सकता था। डिप्टी स्पीकर साहब, मौजूदा सैक्रेटरी साहब की आयु लगभग 46 वर्श है, हम तो यह चाहते हैं कि वे जुगजुग जीएं, सौ साल की उनकी उम्र हो और जब ये रिटायरमैंट के मौके पर आएंगे, तब तक यह जो दूसरा स्टाफ है, यह बहुत दूर तक निकल चुका होगा। भाायद कुछ तो इस जहान में भी न रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों का परमो ान की आस बंधी हुई थी, जो इस तरह की आ ाएं लगाये बैठे थे, और यह कह रहे थे कि अब मेरा नम्बर आ गया है, वे बेचारे पूरी तरह से निरा ा हो चुके हैं, गुजारे के लिये ही यहां बैठे हैं। खिंचाई में ही काम कर रहे हैं लेकिन मन

उनका प्रसन्न नहीं है। जब सारी कंवै ाज को, सारी ट्रेडी ांज को फ्लाउट करके ऐसी अप्वायंटमैंट की गयी हो तो आप ही बताइयें कि दूसरे कर्मचारी बेचारे क्या कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, अब आप अपने चौथे प्वायंट पर आईये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तो मेरा तीसरा प्वायंट रहता है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः चौधरी साहब, बाकी का आप इलैक ान जलसों में बोल लेना। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला को तो यहां हाउस में बोलने की छूट है और हमें यह कहते हैं कि जलसों में बोल लेना। मैं गुजारि ा कर रहा था कि इन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में स्पीकर साहब की कसैंट ली जाती है लेकिन स्पीकर साहब को यह चाहिये था कि अप्वायंटमैंट करते समय अपने स्टाफ को ध्यान में रखते हुए सरकार को लिखते लेकिन कुछ नहीं किया गया। कई केसिज में पब्लिक सर्विस कमी ान भी बीच में आता है। अगर स्पीकर साहब, थोडा सा महसूस करते कि विधान सभा के आदमियों को जिनके हक बनते थे, उनको इग्नौर किया जा रहा है, तो कम से कम उनके बारे में सरकार को लिखते कि आप बाहर से आदमी क्यों अप्वायंट कर रहे हो। इस विधान सभा के स्टाफ का क्या बनेगा। लेकिन इस बारे में

स्पीकर साहब बिल्कुल भाांत रहे। स्पीकर साहब, अगर चाहते तो सरकार को यह लिखकर भेज सकते थे कि आपके फैसले में रजामंद नहीं हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बताता हूं कि आज ही हाई कोर्ट की एक जजमैंट अखबार में छपी है। भाायद आपने आज अखबार में पढा होगा। आप भी अच्छे वकीलों में स्थान रखते हैं आपको पता है कि इस जजमैंट में एम0एल0एज0 के फ्लैटस की अलाटमैंटस के बारे में क्या लिखा है। (व्यवधान) इस जजमैंट को ध्यान में रखते हुए हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कंफीडैंस का मो ान लेकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, यह प्वायंट आपके मो ान में नहीं है। ऐसी कोई बात मो ान में नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर मैं इन बातों को यहां पर एक्सप्लेन न करूं तो आप ही हमें गाइड लाईन दे दीजियेगा जिन पर हमें बोलना चाहिये। उस जजमैंट के आधार पर एक मैम्बर अपने रैजीडैंस परटेलीफोन लगवाने का हकदार है लेकिन बदकिस्मती से श्री लछमन दास कम्बोज एक गरीब घराने में पैदा हुआ है, छोटे से गांव में पैदा हो गया और झोंपडी में कच्चे घर में रहता है। (व्यवधान)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः नारनौंद में रहता तो भाायद पक्के मकान में रहता।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर नरवाना में भी रहता तो भी वह फैसिलीटीज का हकदार था लेकिन वह बेचारा हांसू माजरा में पैदा हो गया। इन्होंने यह कहा कि हम इसलिये टेलीफोन नहीं लगा सकते क्योंकि इसके ऊपर लगभग एक लाख रूपये खर्चा बैठेगा। मैं इस सरकार से आपके माध्यम से पूछता हूं कि क्या फायदा है। एम0एल0एज0 को इतनी सहूलियात देने का ? डिप्टी स्पीकर साहब, हम इस हाउस के मैम्बर होने के नाते आपकी प्रोटेक ान के नीचे हैं और आपका यह फर्ज बनता है चाहे आप डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो, आप हमारे राईटस को प्रोटैक्ट करें लेकिन यहां पर एम0एल0एज0 के राईटस को गार्ड नहीं किया जाता। यदि आप भी बोइंग एक नार्मल हयूमन बीइंग यह सोचें कि आपके राईटस सेफगार्ड नहीं होंगे तो आपके मन में भी तरह तरह की भांकाएं उत्पन्न होगी और आपको मन भी दुःखी होगा। चौधरी देवी लाल जी और श्री कम्बोज जी को टेलीफोन की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है और प्ली यह लेते हैं कि खर्चा बहुत होता है। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि आप एम0एल0एज. को दी गयी सभी प्रिवलेज विदड्रा करवा लीजिएगा। (व्यवधान) मैं तो ट्रेजरी बैंचिज के भाइयों को और वि ोशकर मुख्य मंत्री महोदय को यह कहूंगा कि इस रवैये को त्यांगे क्योंकि उनके सिवाये और तो किसी की वहां पर चलती नहीं है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, प्रिंसीपल भाई ई वर सिंह जी बैठे हैं। जिस दिन यह नहीं विधान सभा बनी थी उस दिन से

ये उन्हें स्पीकर बनाने ले रहे हैं और दो साल तो इनहों इसी तरह से गुजार दिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, इसकी इससे क्या रैलेवैंसी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसकी रैलेवैंसी यह है कि सरदार तारा सिंह जी को मिनिस्टर बना देंगे और इनको स्पीकर बना लैंगे। बस इन्हीं चन्द भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

13.00 बजे।

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, आज बडे ही भारी मन से हम इस प्रस्ताव पर अपनी बात कहने जा रहे हैं। हमें बडा अफसोस है कि डैमोक्रेटिक इंस्टीटयू ान को मजबूत करने का हमारा संकल्प होते हुए भी यहां पर कुछ बातें बडी अन प्लैजैंट हो जाती है। नाखु ागवार बातें घट जाती हैं जिसके कारण हमने यह फैसला किया है कि स्पीकर साहब के खिलाफ नो कांफैंडैंस मो ान लाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, आज जब से इस मामले पर बात भाुरू हुई है, तब से हमारे सभी राईटस का इरोजन हुआ है। कौल एण्ड भाकधर ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ यानी स्पीकर के खिलाफ कोई नो कन्फीडैंस मो ाना लाना हो तो उसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिये। यह एक

सिस्टम हैं हमारे रूल्ज में भी यही प्रोवीजन है कि इस तरह के मामले के लिये 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। इस तरह के नोटिस का स्पीकर साहब बाकायदा एग्जामिन करते हैं और अगर वह इन आर्डर हो तो इसे एडमिट करते हैं लेकिन इन्होंने हमारा मो ान 14 दिनों के बाद टेक अप करने की बजाये आज ही एडमिट कर लिया और उस पर बहस भी हमारे ऊपर आज ही थोप दी जो कि रूल्ज के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम स्पीकर साहब के खिलाफ इसलिये नो काफीडैंस मो ान लाए हैं कि उन्होंने हेस्ट में रूल फलाउट किए हैं हमारे हम तलब किए हैं और कौल एण्ड भाकधर की एस्टैब्लि ा की हुई प्रैक्टिसिज को जान बूझ कर इग्नोर किया है। आज हमारा भाक वि वास में बदल गया है। मैं चौधरी भजन लाल जी से कहूंगा कि वे मंत्रियों के साथ तो जैसा भी व्यवहार करें लेकिन अध्यक्ष पद को सम्मानित ही रहने दें। इसको अपनी मंत्री परिशद का हिस्साच न बनाएं और इनको अच्छी मिसालें कायम करने के लिये कहें। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने तो ब्रिटि ा पार्लियामैंट की प्रैक्टिस विस्तार से पढी होगी, उसमें लिखा है – 'Once a Apeaker always a Speaker'. जिन्दगी में एक बार स्पीकर बनने के बाद उसका मुकाबिला कोई नहीं करता, वे निर्विरोध चुन कर आते हैं। वे सदन में सबके सम्माननीय होते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पुरानी बातों की और नहीं चाहता। मैं भजन लाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में ये भाायद किसी ग्राम सभा के प्रधान होंगे। बजट सै ान 1962 क बात है उस समय सरदार

प्रताप सिंह कैरों मुख्य मंत्री हुआ करते थे और सरदार गुरदयाल सिंह ढिलों स्पीकर थे। हमें गर्व है ऐसे आदमी पर हमने उस समय कहा था कि स्पीकर साहब हम आपके चुनाव का विरोध नहीं करते लेकिन सरदार प्रताप सिंह कैरों ने अपने सगे बहनोई को उनके मुकाबिले में खडा कर दिया था। तो भजन लाल जी हम तो अब भी वहीं बात कह देंगे कि आप अपने रि तेदार को स्पीकर के मुकाबले में खडा न कर देना। मैं तो प्रिवियस रिकार्ड और सारी हिस्टरी जानता हूं। स्पीकर साहब ने हमारे अवि वास प्रस्ताव को इसलिये रद्द कर दिया था कि चूंकि पहले हमने उसको दिया फिर वापिस ले लिया और उसके बाद फिर दिया। मेरे पास इस बारे में रूलिंग हैं और मैंने ही 1971 में जब बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मिनिस्टरी के खिलाफ नो कन्फीडैंस मो ान दिया था। यह मो ान आप विधान सभा की डिबेटस वाल्यम 1, नम्बर 1, दिनांक 13.2.70 में देख सकते हैं। यह मो ान हमने 13.2.79 को रखा था और फिर विदड्रा कर लिया था और स्पीकर साहब ने विदड्रा होने दिया था। जब हमने दोबारा मो ान दिया तो फिर एडमिट कर लिया। नो कन्फीडैंस मो ान की सैंस यह है कि डैमोक्रेटिक सैट आप में मंत्री परिशद में कभी वि वास और कभी अवि वास पैदा हो सकता है। एक ऐसा मौका भी आ सकता है कि हैड आफ दि गवर्नमैंट अच्छा काम कर दे और सारा हाउस उसके साथ हो जाए। कभी ऐसा काम भी हो सकता है जिसके खिलाफ पाट्री के सारे लोग बागी हो सकते हैं। इस तरह बात ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिये यह कहना कि पहले जो

नोटिस दिया था वह विदड्रा कर लिया गलत है। हम बलपूर्वक कहना चाहते हैं with all the force at our command, कि काल अटैं ान मो ान एडजर्नमैंट मो ान, रूल 84 का मो ान या सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैंटस पर डिस्क ान, ये सारे मीनज अपनी अपनी, जगह अपनी अपनी इम्पोर्टैंस रखते हैं और नो कन्फीडैंस मो ान अपनी जगह पर इम्पोर्टैंस रखता है। ऐसा करके स्पीकर साहब ने हमारे साथ ज्यादती की। He has played in the hands of the ruling party. We have tabled a not confidence motion against him. Otherwise we have no right to say like this, Sir. तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने रद्द करने का यह एक बहाना लगाया कि 1981 में बंगलौर प्रिजाइडिंग आफिसर्ज की मीटिंग में यह फैसला हुआ था। श्री वीरेन्द्र सिंह जी, बहिन चन्द्रावती जी और मैं तीनों इस मामले को लेकर हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट के स्पीकर के पास गये। उन्होंने बैठते ही कहा कि तारा सिंह जी ने बहुत बुरा किया था। मैंने उनसे नाराजगी जाहिर की है कि इन्होंने यह अच्छा नहीं किया था, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्लियामैंट के स्पीकर भी इस बात को एप्रूव नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डैमोक्रेसी में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का क्या तरीका है ? अगर आप हमारी वाजब बात भी न मानें, कौल एण्ड भाकधर की किताब को भी यह कह कर एक तरफ रख दिया कि मैं इसको नहीं मानता तो फिर फरियाद करने का और क्या तरीका है ? Democracy is the best system in the prevalent systems of Government and in this

system, one can express his views and ventilate his grievances. दूसरे मुलकों में तो थोडे से कसूर के लिए आदमी को सूली पर टांग दिया जाता है। जो आदमी दूसरे को सूली पर टांग देता है। एक दिन उसका नम्बर भी आ जाता है। इसलिये जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी में कुर्बानियां दी थीं, उन्होंने हमें यह संविधान सौंपा है। बडे अफसोस की बात है कि उस दिन हमारी बात सुने बिना, रूलिंग देकर स्पीकर साहब चले गये। हमने जो कहा था वह जायज कहा था। अगर वे सच्चे गुरू के ि ाश्य हैं तो सौंगंध खाकर कह दें कि वे फतेहाबाद के चुनाव में नहीं गये थे। अगर वे गये थे तो उनको इस कुर्सी पर बैठना भाोभा नहीं देता, अस्तीफा देकर चले जाएं। हम कोई ग्रलत बात नहीं कहते। भाई वीरेन्द्र सिंह ने सैक्रेटरी साहब की बात कही। ठीक हैं, वे सज्जन आदमी हैं। व्यक्ति से हमें कोई दु मनी नहीं है। सवाल तो यह है कि अप्वायंटमैंट का कोई सिस्टम होता है और इसके लिये बाकायदा कायदे कानून बने हुए हैं। हरियाणा विधान सभा स्टाफ के सर्विस रूल्ज के रूल 7 में लिखा है –

"Appointment to the posts in the Service shall be made-

(a) in the case of Secretary, by the Governmnet in consultation with the Speaker; and ....."

डिप्टी स्पीकर साहब सैक्रेटरी की रिक्वीजिट क्वालिफिके ान्ज क्या हैं, इसके बारे में अपैंडिक्स (बी) में लिखा है –

"(1) Law Graduate.

(2) Eight years experience in a Supervisory capacity involving practical knowlede of Secretariat administratration, parliamentary procedure and Rules of Legislative Assembly.

(3) Adequate knowledge of Hindi."

Mr. Deputy Speaker: Speaker is only consutled .....

Sh. Mangal Sein: I have every right to quote the rule which empowers the Speaker to recruit the Secretary. I am very sorry, Sir, you are interrupting me at this stage.

Mr. Deputy Speaker: He is not the appointing authority of the Secretary. He is to be consulted only.

Sh. Mangal Sein: That is right. But if anything has been done in consistent with the rules and if anything wrong has been done, I have every right to speak. We have moved a motion of no confidence against the Speaker. The Speaker is the concurring authority. Without his concurrence, the Govt. has not power to appoint the Secretary. It is a mandatory provision. This is my humble submission.

मेरे लायक दोस्त की न तो सुपरवाइजरी कैपेसिटी थी और न ही 8 साल का तजुरबा था। यह किन हालातम में किया गया कौन सी ऐसी जरूरी बात थी ? यहां पर बडे सीनियर लोग हैं और बडे कम्पीटैंट लोग हैं, इनमें से ही किसी को लगा लिया जाता। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यह एक इररैगुलैरिटी हुई है। मैं जानना चाहता हूं

कि क्या इस पोस्ट के लिए पब्लिक सर्विस कमि ान के सामने इन्टरव्यू दी गई, क्या गवर्नमैंअ ने या स्पीकर साहब ने यह पोस्ट एडवरटाइज की ? इस बारे में एनलाइटन कर दें तो हम मान जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं 1957 से एम0एम0ए0 बनता आ रहा हूं। उस समय हमारे सदन के स्वर्गीय श्री कुलदपी चन्द बेदी, सैक्रेटरी हुआ करते थे। हमें बडा नाज है उन पर। वे बडे कम्पीटैंट सैक्रेटरी थे। वे नए मैम्बर्ज को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया करते थे। डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय मैम्बर्ज द्वारा किए गए सवालों की हत्याएं नहीं हुआ करती थी। आज हम जो भी सवाल पूछतें हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। हमने रूल 84 के तहत एच0एस0ई0 के बारे में डिस्क ान के लिए एक मो ान दिया था। उस समय बिजली बोर्ड के एक ज्वायंट सैक्रेटरी ने यह फरमा दिया कि यह बिजली बोर्ड का इंटरनल मामला है। डिप्टी स्पीकर साहब, इनको इस तरह की बातें कहना भाोभा नहीं देता। बिजली बोर्ड गरीब जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से चल रहा है। वह किसी मंत्री या मुख्य मंत्री के घर के खजाने से नहीं चल रहा हैं

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, इनके 40 मिनट तो हो चुके हैं। (ाोर)

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, हम जो भी बात कह रहे हैं वह टू दि प्वायंट कह रहे हैं। उसमें कोई रैपिटी ान

नहीं है। (ाोर) इसलिये मेरे बोलने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: But you cannot be given more time at the cost of others. You please come to the points given in the motion and do not touch other issues.

Sh. Mangal Sein: Sir, you can extend the sitting. It is an important matter and I have to place my views on these points. डिप्टी स्पीकर साहब, विधान सभा सैक्रेटेरिएट के अंदर अनियमितताएं चल रही हैं। कई इम्पलाईज हाई कोर्ट में गए। डिप्टी स्पीकर साहब, रिक्रूटमैंट करने का सिस्टम होना चाहिए। हम हर रोज इस सैक्रेटेरिएट में नए चेहरे देखते हैं हमें यह समझ नहीं आता कि यह वाच एंड वार्ड स्टाफ का आदमी है या कोई और जगह से आया है। इस सैक्रेटेरिएट में बडी हरासमैंट है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में फैक्टस जानने के लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए और उसमें हमें बुला लिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, सितम्बर सै ान में हमने इस सरकार के खिलाफ जो नो कांफिडैंस मो ान दिया था, वह स्पीकर साहब ने रिजैक्ट कर दिया था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इतने हाई आफिस के आदमी को रूलिंग पार्टी के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। कांस्टीच्यू ान ने उनको जो पावर्ज दे रखी हैं और हाउस ने जो पावर्ज दे रखी हैं। उन्हीं के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। और उसी हिसाब से मैम्बर्ज के साथ व्यवहार करना चाहिए।

पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और मैम्बर्ज साहेबान से यह रिकवेस्ट करता हूं कि हमने जो स्पीकर की रिमुवल का मो ान दिया है, वह पास होना चाहिए।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: All the three leaders form the opposition have spoken. Now let the Ch. Surjewala speak. (Interruptions).

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आप हाउस का टाईम बढा दें। हमने जो मो ान दिया है उस पर बोलने के लिए अपोजी ान के मैम्बर्ज को पूरा मौका मिलना चाहिए। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, अपोजी ान के तीनों लीडर्ज अपनी स्पीच देकर अपनी मर्जी से बैठे हैं और अपनी सारी बातें कह कर ही बैठे हैं। (ाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने इस मो ान पर डिबेट के लिए केवल एक घंटा टाईम फिक्स किया था। 40 मिनट अपोजी ान पार्टी के लिए और 20 मिनट रूलिंग पार्टी के लिए। अपोजी ान पार्टी 40 मिनट बोल चुकी है। (ाोर)

श्री हरिचन्द हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, श्री खिलन सिंह नए मैम्बर हैं इसलिये इनको बोलने का समय दे दिया जाए। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: He is on a point of order. Please resume your seat.

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अपोजी ान पार्टी को अपनी बात कहने के लिये जो 40 मिनट का समय दिया था वह टाईम पूरा हो चुका है। अब हमारी पार्टी को बोलने के लिए समय दिया जाए। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, आप श्री खिलन सिंह को बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दें क्योंकि ये नए मैम्बर हैं। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: All right I will not give time to Sh. Khilon Singh, form the opposition.

चौधरी खिलन सिंह (हथीन): डिप्टी स्पीकर साहब, जिस समय मैं स्पीकर साहब के चैम्बरी में मैम्बर चुने जाने के बाद भापथ लेने आया तो उस समय स्पीकर साहब के पक्षपातपूर्ण रवैये की कहानी मेरे साथ घटित हुई थी। इस समय के जो स्पीकर हैं, वे सरकार के दबावज में आ कर पक्षपात का रवैया अपनाते हैं डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्टिड डिक्लेयर किया है और जिस दिन मैं स्पीकर साहब के चैम्बर में भापथ लेने के

लिये आया तो उस समय मेरे साथ बहन चन्द्रावती जी, श्री सुजान सिंह जी और श्री रो ान लाल आर्य आए थे। उस समय मुझे भापथ दिलवाने की बजाये स्पीकर साहब ने सरकार के दबाव में आकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अपने चैम्बर से बाहर चले जाने के लिए कहा था तथा मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पे ा आए। (अपोजी ान की ओर से भोम भोम की आवाजें) डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे स्पीकर साहब सरकार के दबाव में आकर अपोजी ान के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और हाउस का सारा काम सरकार के दबाव में आकर करते हैं। (ाोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे स्पीकर साहब सरदार तारा सिंह जी 26 जून 1982 को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन गए थे और उस वक्त इनकी तारीफ में जो भाब्द कहे गऐ थे, वे सारे रिकार्ड पर हैं। उस समय सभी मैम्बर्ज साहेबान ने इनकी बहुत तारीफ की थी। मैं उन बातों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन सरदार तारा सिंह जी के स्पीकर चुने जाने से लेकर अब तक उन्होंने जहां तक मुमकिन हो सका है, वह हर प्रकार से इम्पा ाल रहे हैं। इन्होंनें हाउस की कार्यवाही पूरे तौर पर अच्छी तरह से चलाने की पूरी कोि ा ा की है और उन्होंने बडे बेहतरीन तरीके से हाउस की कार्यवाही चलाई हैं डिप्टी स्पीकर साहब, जब से सरदार तारा सिंह जी स्पीकर चुने गए हैं, उस समय से लेकर अब तक के कुछ आंकडें

देकर हाउस को बताना चाहूंगा। जून 1982 से लेकर अब तक जितने भी सै ान हो चुके हैं। उनमें उन्होंने अपोजी ान को बोलने के लिए जो समय दिया है वह मैं आपको बता देता हूं। (ाोर)

Sh. Verender Singh: Sir, when we, the opposition members, were speaking you asked us not to go beyond the four points mentioned in the No confidence Motion. But he is going beyond that.

श्री उपाध्यक्षः आप इनको अपनी बात कहने दें।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, जून 1982 से लेकर अब तक जितने भी विधान सभा के सै ान हुए हैं, इनमें जो अपोजी ान पार्टी को बोलने के लिए जो समय दिया उसके बारे में बताना चाहता हूं जितने भी सै ान हुए उनमें अपोजी ान पार्टी को बोलने के लिए 33.13 घंटे टाईम मिलाच और रूलिंग पार्टी को 25.3 घंटे टाईम मिला। इस टाईम में वह टाईम भाामिल नहीं है जो क्वै चन आवर और जीरो आवर का होता है। इसी प्रकार इस सै ान में अब तक अपोजी ान पार्टी को बोलने के लिए 2 घंटे 47 मिनट टाईम मिला है और रूलिंग पार्टी को एक घंटा 8 मिनट टाईम मिला है। डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी ान वालों ने जो मुद्दे उठाए हैं, इनमें कोई सबस्टांस नहीं है (ाोर) ?

Dr. Bhim Singh Dahiya: Why is the being permitted to say such things ?

Mr. Deputy Speaker: Let us confine to these four points.

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, जो इल्जाम स्पीकर साहब पर इन्होंने लगाये हैं; वे गलत तौर पर लगाये गये हैं। जो इल्जाम इन्होंने लगाये हैं उनके बारे में मैं संक्षेप में ही कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार तो दिन का सै ान था। सै ान भाुरू होने पर इन्होंने अपनी मो ान दी थी लेकिन फिर उस मो ान को वापिस ले लिया था। (ाोर)

श्री मंगल सैनः हम वापस ले सकते हैं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः उस समय तीन दिन का सै ान था लेकिन इनके कहने पर ही स्पीकर साहब ने 4 या 5 दिन का सै ान किया था। उस समय हाउस के सामने बडे इम्पोर्टैंट मो ान थे। जैसे सप्लीमैंटरी एस्टिमटस, एप्रोप्रिए ान बिल, बाढ की समस्या, एस0वई0एल0 तथा एम0डी0यू0 के बारे में काफी मो ान्ज थे जिन पर विस्तार से बहस हुई थी और गवर्नमैंट को क्रिटीसाईज करने का पूरा मौका मिला था।

डा0 भीम सिंह दहियाः यह गलत बात कह रहे हैं कि उस दिन एम0डी0यू0 पर भी डिस्क ान हुई थी। उस पर बोलने के लिए हमें समय नहीं दिया गया क्योंकि हाउस को एडजर्न कर दिया गया था।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: दहिया साहब, मैं हाउस की डिबेटस का जो रिकार्ड है, उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Deputy Speaker: It is the sense the House the time of the setting be extended by 15 minuts ?

Voices: Yes.

Mr. Deputy Speaker: The sitting is extended by 15 minuts.

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: ठीक है जी, आपने समय बढा दिया। अभी मुख्य मंत्री जी ने भी बोलना है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि उस समय इन्होंने नो कांफीडैं ा मो ान भी 16 तारीख को ही दिया था।

श्री मंगल सैन: हमने अपना मो ान 16 तारीख को नहीं दिया था बल्कि 15 तारीख को दिया था।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: इन्होंने एक आरोप यह लगाया है कि विधान सभा के सैक्रेटरी की जो एप्वायंटमैंट की

है वह ठीक ढंग से नहीं की गयी। इस मामले में भी इन्होंने स्पीकर साहब को इन्वाल्व किया है। मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि सैक्रेटरी विधान सभा को स्पीकर एप्वायंट नहीं करता बल्कि गवर्नमैंट एप्वायंट करती है। इस केस में सैक्रेटरी साहब की एप्वायंटमैंट करने से पहले सरकार ने स्पीकर साहब को कंसल्ट कर लिया था और पब्लिक सर्विस कमी ान को एप्रूवल ले ली थी। (ाोर) स्पीकर साहब को कंसल्ट करके ही सैक्रेटरी की एप्वायंटमैंट की गई है। स्पीकर साहब की ओर गवर्नमैंट की क्या बात हुई, वह इस समय यहां पर डिस्कलोज नहीं की जा सकती। (ाोर)

Smt. Chandravati: Everything can be disclosed here, Sir.

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि अभी इन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब और पब्लिक सर्विस कमी ान की गवर्नमैंट के साथ क्या क्या कारस्पौंडैंस हुई हैं, वह यहां पर डिस्कलोज नहीं हो सकती। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह अगस्ट हाउस यह जानने के लिए कम्पीटेंट नही है कि सैक्रेटरी साहब की एप्वायंटमैंट के मामले में स्पीकर साहब की और गवर्नमैंट की क्या बात हुई है ?

श्री उपाध्यक्षः अभी सुरजेवाला साहब ने बताया है कि सैक्रेटरी विधान सभा की एप्वायंटमैंट सरकार ने पब्लिक सर्विस

कमी ान की एप्रूवल और स्पीकर साहब के साथ कंसलटे ान करने के बाद ही की है। (ाोर)

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कन्सलेट ान हुई है ? (ाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि प्रैजेन्ट जो सैक्रेटरी हैं, वे पूरी क्वालिफिके ान मीट करते हैं ये 9 साल तक वकालत करते रहे हैं। 6 साल का इनका बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एटौर्नी का अनुभव है और 3 साल का डिस्ट्रिक्ट एटौर्नी का अनुभव है। इसके अतिरिक्त ये दो साल तक सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं।(ाोर)

श्री मंगल सैनः जो हम पूछ रहे हैं वह नहीं बताया जा रहा। (ाोर)

डा0 भीम सिंह दहियाः आप हाउस के सामने जो सैक्रेटरी विधान सभा का एप्वायंटमैंट लैटर हैं, वही पढ कर सुना दें। एप्वायंटमैंट लैटर में लिखा है कि रूल्ज में रिलैक्से ान दी गयी हैं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः उपाध्यक्ष महोदय, अपोजी ान के पास कोई सबस्टांस नहीं, इसलिये ये बार बार इन्ट्रप्ट कर रहे हैं (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के पास इन्ट्रप्ट करना ही सबसे बडा हथियार है। मेरा कहना यह है कि

वर्तमान सैक्रेटरी साहब की क्वालिफिके ान पूरी मीट करती है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक हैरास करने के एलीगे ान का ताल्लुक है, कोई ऐसा एम्पलाई नहीं है जिसको हैरास किया हो, कोई भी स्पेसिफिक इन्स्ट्रांस नहीं है, न बोलने में है और न सुनने में है। (व्यवधान)

चौधरी नर सिंह ढांडाः डिप्टी स्पीकर साहब, भाोर हो रहा है, ये लोग सुनने नहीं देते। (व्यवधान)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डिप्टी स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन जी ने एक बात कही कि वे स्पीकर लोकसभा से मिले थे और उन्होंने इनके बारे में नाराजगी प्रकट की है। प्रैस में भी आया है कि उन्होंने इनको रैप्रीमांड किया है मैं भी स्पीकर लोकसभा से मिला था और उन्होंने कहा था ..... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी हमारे बहुत ही सोबर संजीदा, और काबिल आदमी हैं। ये बोलते हुए अपनी पटडी से क्यों उतर रहे हैं ? अगर गुस्सा ही होना है तो मुख्य मंत्री जी पर होना चाहिए, हम पर नहीं। यह कमजोर केस इन्होंने आपको कैसे हैंड ओवर कर दिया ? (व्यवधान) आप आराम से बोलें, गुस्से में न बोलें।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः मैं आराम से बोल रहा हूं। आप सुनने की कृपया करें। डिप्टी स्पीकर साहब, 11

तारीख को सुबह 9 बजे मैं लोक सभा स्पीकर से मिलता था। उनसे बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि अखबारों मैं जो खबर छपी है वह ठीक नहीं है। लोक सभा के जो स्पीकर हैं, वे इनके बौस नहीं हैं। उनकी नजरों में सब बराबर हैं। उन्होंने ऐंसी कोई बात नहीं कही जैसा कि अखबारों में आया है।

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, हम भी माननीय अध्यक्ष लोकसभा से मिले थे और हम उनकी बडी इज्जत करते हैं। हमारे सामने श्री तारा सिंह के खिलाफ जो इन्होंने नाराजगी जाहिर की है, उस बात को कहना हमारा हक है .....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः अगर हाउस सहमत हो तो सिटिंग का टाईम 15 मिनट के लिए और बढा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी, बढा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः हाउस का टाईम 15 मिनट के लिए और बढाया जाता है।

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री लछमन सिंह (कालका): डिप्टी स्पीकर साहब, जब से हरियाण बना है, स्पीकर साहब के खिलाफ नो कांफीडैंस मो ान आई है। श्रीमती चन्द्रावती जी पैपसू के जमाने की पुरानी लैजिस्टर हैं, डा0 साहब भी पुराने लैजिस्टलेटर हैं, लेकिन यहां पर इनका उल्टा ही काम है। ट्रैजरी बैंचिज वालों को तो कुछ न कुछ गिला हो सकता है लेकिन अपोजी ान बैंचिंज वालों को किस चीज का गिला ि ाकवा हो सकता है ? मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि जहां वे इतने लिबरल हैं, अगर वे सै ान को और दो दिन के लिए बढा देंगे तो कोई फर्क पडने वाला नहीं है। ऐसा करने से इनका गिला खत्म हो जाएगा। यह अच्छी परम्परा है, आगे के लिये ऐसी परम्परा डालें। वैसे भी यह बहुत पुराना रिवाज चला आ रहा है। आज स्पीकर साहब के खिलाफ नो कान्फिडैंस

की बात हाउस के सामने है। मैं अपोजी ान के काम की बात करूंगा, टाईम कम है, क्लोक इज रनिंग फास्ट। मैं लीडर आफ दी हाउस से रिक्वैस्ट करू।गा कि वे दो चार दिन के लिए हाउस बढा दिया करें, दो चार दिन में कुछ होने वाला नहीं है। स्पीकर इज ए डीसेंट परसन, बडे भारीफ आदमी हैं, वैसे भी वे हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं, उधर ही वे देखते रहते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। ये एलीगे ान जो इन्होंने लगाये हैं ये नो कांफिडैंस से कंसर्ड हैं। पहले उस वक्त मैम्बर साहिबान ने जो नो कांफीडैंस मो ान दी थी वह सरकार के खिलाफ थी वह उन्होंन विदड्रा कर ली थी। मैं समझता हूं कि उस वक्त There was a gap of communication between the opposition parties. उसमें और इस नौ कांफिडैंस मो ान में कम्युनिके ान का गैप है। डिप्टी स्पीकर साहब, भाायद आपको पता है एक बार सरदार प्रताप सिंह कैरों श्री य ा के साथ कार में जा रहे थे। एक साहा रोड पर इधर उधर जा रहा था कि एकदम कार के नीचे आ गया और मारा गया। सरदार प्रताप सिंह ने कहा कि आपने क्या देखा ? उन्होंने कहा कि वह मारा गया है। उन्हों पूछा कि क्यों मारा गया ? श्री य ा ने कहा कि पता नहीं। सरदार प्रताप सिंह कहने लगे कि इसलिये मारा गया कि वह समय पर डिसाईड नहीं कर सका। इसी तरह अपोजी ान वाले समय पर डिसीजन नहीं ले सके। डिसीजन कैसे लेते तीन दिन का सै ान था, इतने कम पीरियड में क्या कर सकते थे। बाकी जो बातें हैं, जैसे कि सैक्रेटरी की एप्वायंटमैंट की बात है, यह तो लेटर आन की बात है, उस वक्त की तो है नहीं,

लेकिन अगर ये वक्त पर सैटल कर लेते सी0एम0 साहब से मिल लेते या स्पीकर साहब से बात कर लेते तो बात बेहतर होतीं क्या एक ही एप्वायंटमैंट है जिसके पीछे आपने इतना झगडा कर लिया। यह अच्छा नहीं किया है। परम्परा के खिलाफ ऐसा काम करके आपने अच्छा नहीं किया। इस एप्वायंटमैंट के इलावा हरियाणा में और भी बहुत सी चीजें हैं जो हरियाणा में अनहोनी हो रही हैं। मेरे मन में बहुत सारे डाउटस क्रिएट होते हैं और कल गवर्नर एड्रैस पर बोलूंगा भी। बाकी जो मैम्बर बोले हैं, वे सभी वायस बोले हैं। इनको चाहिए यह था कि ये इस मो ान का विदड्रा कर लेते। स्पीकर के बारे में सब बातें कह ली हैं। स्पीकर के खिलाफ जो एलीगे ान लगाये, वे बिल्कुल गलत, निराधार रौंग एलीगे ान हैं, इनमें कोई वजन नहीं है। मैं चाहूंगा कि बजाये इसके कि ये सदन से वाक आउट करें। ये यह मान लें कि यह उनकी गलती है जो बेहतर होगा।

डा0 भीम सिंह दहियाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में दो बातें लाना चाहूंगा। स्पीकर साहब के खिलाफ जो नो कांफिडैंस मो ान आया है, मैं इसके हक में बोलूंगा चूंकि टाईम थोडा है इसलिये केवल दो ही बातें कहना चाहता हूं। सरदार लछमन सिंह जी ने ठीक बात कहीं है कि स्पीकर भारीफ आदमी हैं, हमें बोलने का टाईम देते हैं हम इस बात की कदर रकते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ जो काम वे करते हैं, चाहे क्वै चन्ज डिसआउ करते हैं, चाहे मो ान डिसआलउ करते हैं,

यानी हर बात में यही झलक आती है कि वे उनकी बडी मजबूरी है। एक पार्टी के मैम्बर होने के नाते उनकी मजबूरी है क्योंकि इन्हें भी टिकट चाहिए। अभी डा0 मंगल सैन जी ने कहा था 'Once a Speaker always a Speaker'. ऐसा ब्रिटि ा में होता है, लेकिन यहां इसके बिल्कुल उल्ट हैं। यहां यह है कि Once a Speaker, never a Speaker. आप देखें, कमेटी रूम में पिछले स्पीकर्ज की जो फोटोज लगी हुई हैं, उन फोटोज के नीचे स्पीकर बनने की तारीख लिखी हुई है। इन फोटोज से जाहिर होता है कि कोई एक हफ्ता कोई दस दिन स्पीकर रहे और बाद में मंत्री बन गये। आप पार्टी में होने के नाते से मजबूरी में बंधे हुए हैं, और इसी लिए हमें महसूस होता है कि हमारे साथ न्याय नहीं होता। हमने नो कान्फिडैंस मो ान दिया। इस पर इन्होंने दो बातें कहीं हैं। एक तो यह कि हाउस की प्रोसीडिंग इन्ट्रप्ट करने के लिए और सै ान की सिटिंग्ज बढाने के लिए नो कांफिडैंस मो ान दी है। उस दिन अपोजी ान की तरफ से दो मो ांज थीं। हमने कहा कि हम विदड्रा कर लेते हैं। आप एक मिनट भी सै ान को न बढायें, हम उसी दिन निपट लेंगे। लेकिन यह जा आज की औब्जर्वे ान है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि नो कांफिडैंस आये, अगर आये तो इसको रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा आप हर मीटिंग में जाते हैं, मुख्य मंत्री बुलाते हैं, चाहे फलड बारे में मीटिंग हो, चाहे ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान पद मीटिंग हो, हमारी स्पीकर साहब वहां हाजिर होते हैं जैसे वे भी उनके कोई मंत्री या उनसे छोटे ओहदे के आफिसर

हों। मैं यह नहीं कहता कि स्पीकर की मजबूरी है। यह तो इन पर निर्भर है क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब को यानी रूलिंग पार्टी को चाहिए कि स्पीकर साहब को आजादी से काम करने दिया जाए। सैक्रेटरी भी उन पर थोपा जा रहा है। इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहब, विधान सभा में हमारे पास बैठने के लिए कोई कमरा नहीं है। हम 90 एम0एल0एज0 यहां वहां घूमते रहते हैं, कभी किसी अफसर के पास, कभी किसी एम्पलाई के कमरे में आकर बैठ जायें तो वह भी हाथ जोडता है .....

श्री उपाध्यक्षः मेरे वाला कमरा खाली रहता है, आप उसमें बैठ जाया करें।

डा0 भीम सिंह दहियाः डिप्टी स्पीकर साहब, कमाल की बात है, आपके ऐम्पलाईज बहुत टैरोराइज्ड हैं जिसके पास जाते हैं वह हाथ जोडता है कि मेरे पास न बैठो, मेरी ि ाकायत हो जाएगी और सरकार नाराज हो जाएगी। विधान सभा सचिवालय को गवर्नमैंट का सबसिडियरी डिपार्टमैंट नहीं बनना चाहिए जो कि अनफार्चुनेटली यह बन गया है। यही हमारा गिलाच ि ाकवा है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, बडे ही खेद और दुख का विशय है कि अपोजी ान की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव आ जाए। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि स्पीकर साहब का ओहदा, स्पीकर की गरिमा और स्पीकर का दायित्व एक बहुत बडा दायित्व

है। चौधरी भाम ोर सिंह जी ने डिटेल से आपको बताया कि कितना लिबरल ऐटीच्यूड उनका अपोजी ान के साथ रहा है। अपोजी ान के मैम्बर्ज की संख्या एक तिहाई है और रूलिंग पार्टी के मैम्बर्ज की संख्या दो तिहाई है। अगर संख्या के हिसाब से टाईम दिया जाए तो एक तिहाई से फालतू टाईम इनका नहीं बनता लेकिन इन्हें हामरे से फालतू टाईम दिया गया। कई बार तो मैंने यह भी महसूस किया कि स्पीकर साहब ने इनकी न मानने योग्य बातें भी मानी हैं। (विघ्न) स्पीकर अगर इनके साथ ज्यादती करते हों तो उनके खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव लाना मुनासिब बनता है। सरकार के खिलाफ भी ये अवि वास का प्रस्ताव ला सकते हैं ? यह इनका अधिकार हैं प्रजातंत्र ने और संविधान ने इनको यह अधिकर दिया हुआ है लेकिन हर बात की कुछ मर्यादा होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ असूल होते हैं। किसी आदमी के बारे कोई बात कहने से पहले बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि इसका असर क्या होगा ? मेरे विचारानुसार इन्होंने ऐसा करके कोई मुनासिब बात नहीं की। इस मो ान को ऐडमिट करने के बारे में भी इन्होंने दो तीन आपत्तियां उठाईं एक बात इन्होंने यह कही कि इस मो ान पर आज डिस्क ान अलाउ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन मैं कहता हूं कि यह स्पीकर साहब की उदारता है। जब एक चीज बनती ही न हो, जो ऐलीगे ान्ज लगाए गए हैं, उनमें सच्चाई न हो, इसके बावजूद भी इसे एडमिट करके इन्होंने एक बहुत बडा उदाहरण सारे हरियाणा में ही नहीं, बल्कि सारे दे ा के सामने रखा है ताकि उनके ऊपर बात में कोई उंगली न उठाए।

(विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने यह ऐलीगे ान लगाया कि इस मो ान र डिस्क ान 14 दिन के बाद होनी चाहिए थी। अगर इन्हें 14 दिन का समय दे देते तो यह कहते कि डिस्क ान के लिए टाईम कम मिला और हमारे आदमी तोड लिए। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी जो 14 दिन वाली बात कह रहे हैं, यह तो कांस्टिच्यू ान में लिखी हुई है कौल एंड भाकधर की पुस्तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर औफ पार्लियामैंट में भी लिखी हुई है। ये इन चीजों को नहीं मानते तो बात दूसरी है।

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहिन जी को एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जब प्रधान मंत्री थे तो मावलंकर जी स्पीकर थे। उनके खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव आया था। पंडित जी ने कहा कि स्पीकर में वि वास व्यक्त किए बिना एक मिनट भी हाउस नहीं चलेगा। उसी समय उस पर दो घंटे तक बहस हुई। उस समय लोक सभा के 500 मैम्बर्ज थे और डिस्क ान के लिए केवल दो घंटे का समय निर्धारित हुआ था।

श्रीमती चन्द्रावतीः आप तारीख बताएं।

चौधरी भजन लालः तारीख 18.12.1954 हैं पंजाब असैम्बली का भी एक उदाहरण आपको बताता हूं। प्रबोध चन्द्र जी स्पीकर थे और सरदार प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री थी। जब

स्पीकर के खिलाफ उस सम नो कान्फिडैंस मो ान आया तो मुख्य मंत्री ने कहा कि इस पर अभी डिसक ान होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः प्रताप सिंह कैरों उन्हें हराना चाहते थे। (विघ्न) आप इस बात को नहीं जानते। हम तो उस समय भी असैम्बली के मैम्बर थे।

चौधरी भजन लालः मैं चाहे मैम्बर नहीं था लेकिन उस समय गैलरी में बैठा हुआ था। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं मैम्बर थी। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आपको पास भी अगर इ ू हुआ हो तो सजा दोगे वह कबूल करूंगा। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः क्या सजा भुगतोगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जो दी जाएगी।

चौधरी भजन लालः आप लिख कर स्पीकर साहब को दे दो।

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी रौंग ऐम्जाम्ल साइट कर रहे हैं। मैं उस वक्त भी हाउस की मैम्बर थी।

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, ये इतनी देर बोलती रहीं लेकिन हम बीच में नहीं बोले (विघ्न) बहिन जी आप

पुरानी मैम्बर हैं। आपकी हम इज्जत करते हैं लेकिन उस इज्जत को बरकरार रहने दीजिए। हमें आपकी इज्जत न करने पर मजबूर न करें। आप इतनी देर बोलती रहीं आपके दूसरे साथी भी बोले हैं लेकिन हमारा कोई भी मैम्बर अगर बीच में बोला हो तो आप बताएं। आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलने का अधिकार है लेकिन चेयर से टाईम लेकर आपको बोलना चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः अगर हाउस की सैंस हो तो समय दस मिनट और बढा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्षः सदन का समय 10 मिनट बढाया जाता हैं

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने स्पीकर साहब के खिलाफ कुछ ऐलीगे ांज लगाए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वे फतेहाबाद के इलैक ान में और सफीदों के इलैक ान में गए। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर कोई अपने काम से कहीं जाता

हो तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं ? हां, अगर वे कहीं कांग्रेस के जलसे में बोले हों तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्रीमती चन्द्रावतीः यह बात आप गीता के ऊपर हाथ रख कर कहें।

चौधरी नर सिंह ढांडाः सफीदों में तो कुन्दन लाल जी ने यह कहा था कि स्पीकर साहब इलैक ान के दौरान आ रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी कुन्दल लालः यह गलत बात है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, यह इनका एक बहाना है। इलैक ान पैंटी ान में अपना केस मजबूत करने के लिए ही ये स्पीकर साहब को इस तरह से इनवौल्व करना चाहते हैं। (ाोर)

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी ने एक बात कहीं और बडी जिम्मेवारी से कही। इन्होंने यह कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि स्पीकर साहब कांग्रेस के जलसे में बोले हों ये इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इस हाउस की एक कमेटी बना दी जाए जो यह देखे कि सरदार तारा सिंह जी चुनाव के दिनों में फतेहाबाद के हल्के में गए या नहीं गए।

चौधर भजन लालः स्पीकर अपने काम से कहीं भी जा सकता है। हम उन पर कोई रोक नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने पब्लिकली किसी प्लेटफार्म से कोई भाशण दिया हो तो ये बताएं। मैं जिम्मेवारी से यह बात कह सकता हूं कि उन्होंने किसी कांग्रेस के जलसे में भाशण नहीं दिया। इनका ऐसा कहना बडी गैर जिम्मेदाराना बात है।

श्री मंगल सैनः अगर अखबार में छपा हो तो ?

चौधरी भजन लालः हमने पढा नहीं। आपने कहीं छपवा दिया हो तो और बात है।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, 11 तारीख को ऐरवां गांव के लोगों ने जब इनसे यह कहा कि सरदार तारा सिंह को वहां भेजा जाए तो इन्होंने खुद बोलते हुये यह कहा था कि वे बाकायदा आएंगे। उसके बाद सरदार जी वहां गए और मीटिंग को ऐड्रैस किया। इस बात के हम सबूत ला सकते हैं और एविडैंस प्रोडयूस कर सकते हैं (विघ्न)

चौधरी भजन लालः ये सब बेसलैस और बेबुनियाद बाते हैं इनके पास कोई सबूत नहीं है और न ही इसमें कोई सच्चाई है। (ाोर)

श्रीमती भाारदा रानीः डिप्टी स्पीकर साहब, यह पवित्र हाउस हे। एक तरफ मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि स्पीकर साहब वहां नही गये और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि वे गये हैं।

कोर्ट में इलैक ान पैंटी ान चल रही है वहां पर प्रूव कर दें कि वे गये हैं। सारा पता चल जायेगा कि वे गये थे या नहीं। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि आन ओथ कहने के लिए तैयार हैं। इनकी ओथ की कोई कीमत नहीं है। अगर स्पीकर सहब खुद आन ओथ कह दें तो हम उनकी बात मान लेंगे। (ाोर)

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी ान के भाईयों ने दूसरा अल्जाम यह लगाया कि सरकार के खिलाफ जो अवि वास प्रस्ताव रखा था, उसे स्पीकर साहब ने ना मंजूर कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले दिन इन्होंने अवि वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ दिया और अगले ही दिन उस अवि वास प्रस्ताव को वापिस ले लिया। इन्होंने स्पीकर साहब से कहा था कि आपकी बडी मेहरबानी होगी अगर यह अवि वास प्रस्ताव वापिस दे दें। यह रिकार्ड की बात कह रहा हूं। आप बे ाक पता कर लें कि इन्होंने वापिस लिया था या नहीं। अगर यह वापिस उस समय न लेते तो इन्हें अपनी हैसियत का पता लग जाता। लेकिन जिस दिन असैम्बली उठने जा रही थी उसी दिन ये अवि वास प्रस्ताव लाये ताकि दो चार दिन और सै ान का बढा लें। जब इन्हें समय दिया गया तो उस समय इन्होंन क्यों वापिस लिया ? जब कोई डिमांड फाइनैंस से ताल्लुक रखती हो यानी मनी डिमांड या बिल हो और हाउस में पास न हो तो सरकार गिर जाती है और सरकार को इस्तीफा देना पड जाता

है। उस समय ये अपनी मैजोरिटी का सबूत दे सकते हैं। पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मजौरिटी नहीं। मैंने तो एक दिन में आपको छः छः दफा पटख रखा हैं जिन को एक दिन में छः बार पटक रखा हो, वे ऐसी बातें कैसे करते हैं ? (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब को यह भाोभा नहीं देती। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। (ाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः आपने सारे हरियाणा के हितों को बेच दिया है।

चौधरी भजन लालः आप बीच में न बोलें। जब आप बोलते हैं तो हम आराम से सुनते हैं और बीच में बोलने की कोि ा ा नहीं करते। जब मैं बोल रहा हूं तो आप भी आराम से सुनें। (विघ्न) यह कोई तरीका नहीं है कि आप मेरे बीच में बोलें।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अभी एक बात कही कि मैंने दिन में छः छः बार इनको पटख रखा है। क्या मुख्य मंत्री जी ने यहां पर पटकने का अखाडा बनाया हुआ है ?

चौधर भजन लालः यह हार और जीत का तो अखाडा है ही, लेकिन उन्हें बोलने की समझ भी तो होनी चाहिए ?

श्री मंगल सैनः आप मैजोरिटी में हैं, पिछड गये तो पिछड गये। इसमें ऐसी क्या बात हो गई ?

चौधरी भजन लालः मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए परन्तु आप लोग कहलवाते हो। हमने आपकी पूरी बातें भाान्ति से सुनी लेकिन आपने टोकना भाुरू कर दिया। मर्यादा के अंदर बोलना चाहिए। सभी लोग चुन कर आये हैं। सारी जनता हमारी तरफ देख रही है कि हम क्या कह रहे हैं।

श्री ए0सी0 चौधरीः डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी ान के भाई इस सब्जैक्ट पर काफी बोल चुके हैं लेकिन फिर भी इनकी तसल्ली नहीं हुई। इनका तो यह हाल है–

बहुत भाोर सुनते थे पहलू में दिल के;

जो चीरा तो कतराये खूं भी न निकला।

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि अगर विधानसभा सैक्रेटेरियट में किसी आदमी के साथ ज्यादती हुई है और कायदे कानून के खिलाफ कोई बात हुई है तो उसके लिये हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कोई भी कर्मचारी हाई कोर्ट में जा सकता है। किसी आदमी के साथ कोई ज्यादती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सैक्रेटरी की अप्वायंटमैंट स्पीकर साहब से डिस्कस करके की गई है। जिस आदमी को सैक्रेटरी विधान सभा बनाया गया है वह नौ साल तक हिसार में

वकील रहे। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी तो उने मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। वे बहुत काबिल वकील रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः आपको बहुत पता है क्योंकि आपने कई मुकद्दमें लडे हैं।

चौधरी भजन लालः दूसरे वे छः साल तक असिस्टैंट डिस्ट्रक्ट अटौरनी रहे, तीन साल तक डिस्ट्रक्ट अटौरनी रहे और दो साल तक सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं। उनका बडा ही भाानदार रिकार्ड रहा है और बीस साल का तजुर्बा है। बीस साल के तजुर्बे वाले व्यक्ति को ही सैक्रेटरी लगाया है।

एक सदस्यः क्या उन्हें असैम्बली का भी एक्सपीरियंस है ?

चौधरी भजन लालः जिस आदमी को बीस सात का कानूनी तजुर्बा हो, उसी तजुर्बे में असैम्बली के कानूनों की बात भी आ जाती है। दूसरे जिस आदमी ने हाईकोर्ट में वकालत कर रखी हो उसे विधान सभा की और विधान सभा के बाहर की सभी बातों के बारे में ज्ञान होता है। हमने बहुत काबिल वकील को चुन कर सैक्रेटरी अप्वायंट किया है। किसी के साथ कोई बेइन्साफी की बात नहीं हुई।

स्पीकर साहब के विशय में एक बात और कही गई कि स्पीकर साहब के खिलाफ हाई कोर्ट की जजमैंट आ गई क्योंकि उन्होंने एम0एल0एज0 फलैटस की अलाटमैंट गलत की थी। उनके

खिलाफ कोई जजमैंट नहीं आयी। जजमैंट में तो यह कहा गया है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो दुबारा से देख लें। अगर इस जजमैंट को भी स्पीकर साहब के खिलाफ समझते हैं तो बडी बदकिस्मती की बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भीम सिंह दहिया की मैं बहुत इज्जत करता हूं। वे बहुत काबिल और सज्जन व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि स्पीकर साहब फल्ड कमेटी की मीटिंग में गये। स्पीकर साहब चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर उनके हलके में फल्ड आया है तो वे अपने इलाके के लोगों की तकलीफ कमेटी के सामने रखेंगे ही। वहां पर पार्टी की कोई बात नहीं हुई। वहां अपोजी ान के लोग भी थे। अगर स्पीकर साहब चले भी गये तो इसमें कौन सी गलत बात है ?

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब,मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब को वहां नहीं बुलाना चाहिए था। आपको खुद माननीय स्पीकर साहब के कमरे में आना चाहिए था। अगर आप स्पीकर साहब को बुलाते हैं तो उनका अपमान करते हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः यदि हाउस की सैंस हो तो पांच मिनट के लिए हाउस का समय और बढा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है बढा दें।

श्री अध्यक्षः सदन का समय 5 मिनट और बढाया जाता है।

अध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः स्टेट फलड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग थी। उसमें सारे अपोली ान के लीडर और एम0एल0एज0 साहेबान आये थे। जिन इलाकें में फल्ड आया था उनके सभी एम0एल0एज0 आये थे। उस मीटिंग में डाक्टर भीम सिंह दहिया और डाक्टर मंगल सैन भी थे।

14.00 बजे।

रोहतक और सोनीपत जिलों के कुछ दूसरे साथी भी थे। हो सकता है इनके अलावा कोई दूसरे भी हों। हमने उन सब सदस्यों को बुलाया था जिनके इलाके में फल्ड आया हुआ था। स्पीकर साहब के इलाके में भी चूंकि फल्ड आया हुआ था इसलिये वह भी वहां पर बुलाये हुए थे। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि जितने भी एलीगे ांज लगाये गये हैं, इन एलीगे ांज में किसी में कोई सच्चाई नहीं है। सब बेसलैस और बेबुनियाद एलीगे ांज हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि हाउस यूनानीमसली इसको कन्डैम करे और इस प्रस्ताव की मुखालिपत करके स्पीकर साहब के अंदर अपना कान्फीडैंस रीपोज करके पहले से ज्यादा सम्मान दिया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

This House expresses its lack of confidence in Sardar Tara Singh, Speaker, Haryana Vidhan Sabha on the following grounds :-

(i) That No Confidence Motion given by the opposition was rejected in a wrong manner during the Haryana Vidhan Sabha Session held during last year in the month8 of September. He had rejected the motion on the reasons of Party Politics.

(ii) To take active part in the election campaign of Congress in Fatehabad by election.

(iii) To select the Secretary of the Session of the Vidhan Sabha against the prescribed procedure of the selection;

(iv) Discriminatory attitude towards the employee on account of irregularities prevailing in the Vidhan Sabha Secretariat.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Deputy Speaker announced that 'Noes' have it. This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Deputy Speaker, after calling upon those Members who were for 'Aye' and those who were for 'No' respectively to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was lost.

The motion was lost.

श्री उपाध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बते तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

14.04 बजे।

(तत्प चात सदन वीरवार 15 मार्च 1984 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)